



The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017


Act 9 of 2017

Keyword(s):

Actionable Claim, Agent, Turnover, Assessment, Associated Enterprises, Audit, Capital Goods, Cess, Common Portal, Fixed Establishment, Invoice, Return, Securities, Services, Tax Period, Voucher

Amendments appended: 4 of 2020, 15 of 2020, 23 of 2020, 8 of 2021, 11 of 2022, 13 of 2023, 1 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

 <p>सत्यमेव जयते</p>	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	वैशाख 8, शुक्रवार, शाके 1938—अप्रैल 28, 2017 <i>Vaisakha 8, Friday, Saka 1938-April 28, 2017</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 28, 2017

संख्या प. 2 (34) विधि/2/2017:—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 9)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और इससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राजस्थान सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे

किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "अनुयोज्य दावा" का वही अर्थ होगा, जैसाकि इसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) की धारा 3 में समनुदेशित किया गया है;

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता का पता, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी किये गये कर बीजक पर उपदर्शित है, अभिप्रेत है;

(3) "अभिलेख पर पता" से प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्धानुसार प्राप्तिकर्ता का पता अभिप्रेत है;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित करने या विनिश्चय करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण सम्मिलित नहीं है;

(5) "अभिकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें फेक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है;

(6) "संकलित आवर्त" से सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय हो), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित समान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक प्रदायों का संकलित मूल्य अभिप्रेत है,

किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है;

(7) "कृषक" से कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो-

(क) स्वयं के श्रम द्वारा, या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा, या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन,

भूमि पर खेती का जिम्मा लेता है;

(8) "अपील प्राधिकारी" से धारा 107 में यथानिर्दिष्ट अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(10) "नियत दिवस" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसमें स्वतः निर्धारण, पुनः निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी सम्मिलित है;

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जैसाकि आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 92क में इसे समनुदेशित किया गया है;

(13) "लेखापरीक्षा" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा संधारित या दिये गये अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय की सत्यता को सत्यापित करने, और इस अधिनियम या उसके

अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम को संगृहीत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 में यथानिर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है;

(16) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पंद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो;

(ख) उप-खण्ड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार;

(ग) उप-खण्ड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसके बन्द किये जाने के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले ऐसे किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफल के लिए व्यक्तियों का प्रवेश;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गयी सेवाएं;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सेवाएं या ऐसे क्लब में सट्टेबाज को अनुज्ञप्ति; और

(झ) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं;

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के, समूह के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यक्षीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएं, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां कहीं भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं;

(19) "पूंजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिसका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा

बहियों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधेय राज्यक्षेत्र में, जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है;

(21) "केन्द्रीय कर" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्गृहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(22) "उपकर" का वही अर्थ होगा, जो उसे माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में दिया गया है;

(23) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है;

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर का प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त भी सम्मिलित हैं;

(25) "बोर्ड में का आयुक्त" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है;

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है;

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिवस अभिप्रेत हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित नहीं किया गया है;

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) की धारा 2 की

उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(30) "संयुक्त प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्राकृतिक रूप से बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है;

दृष्टांत.- जहां माल का पैक और परिवहन बीमा के साथ किया जाता है, वहां माल का प्रदाय, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा;

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गयी कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके उत्प्रेरण के लिए, कोई कार्य करने या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गयी कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी:

परन्तु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिये गये निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किये गये संदाय के रूप में नहीं समझा जायेगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन किसी तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, नियमित रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध करायी जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पायी जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसमें ऐसे माल का, जो सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी सम्मिलित है;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से सेवाओं का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नियमित रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध करायी जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पायी जाए और इसमें ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी सम्मिलित है;

(34) "प्रवहण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान है;

(35) "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है;

(37) "जमा पत्र" से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(39) "समझा गया निर्यात" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 के खण्ड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रानिक अभिलेख है;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किये गये किसी माल के संबंध में "वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुट पर या किन्हीं घरेलू इनपुटों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर की रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलेक्ट्रानिक नकद खाता" से धारा 49 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है;

(44) "इलेक्ट्रानिक वाणिज्य" से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसमें डिजिटल या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी सम्मिलित हैं;

(45) "इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो;

(46) "इलेक्ट्रानिक जमा खाता" से धारा 49 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक जमा खाता अभिप्रेत है;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी कर की दर शून्य हो या जिसे धारा 11 के अधीन, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन, कर से पूर्णतया छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय है;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले विधान-मण्डल या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया या बनाया गया है;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,-

(i) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे, और

(ii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहनें, यदि वे पूर्णतः या मुख्यतः उक्त व्यक्ति पर आश्रित हैं;

(50) "नियत स्थापन" से कोई ऐसा स्थान (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं के प्रदाय या सेवाएं प्राप्त करने और उनके उपयोग के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त मात्रा द्वारा विशिष्टता बतायी गयी है;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(52) "माल" से धन और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किन्तु जिसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किये जाने का करार किया गया है;

(53) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 15) अभिप्रेत है;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 80) में यथानिर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 13) अभिप्रेत है;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(59) "इनपुट" से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गयी या उपयोग किये जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मददे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर

या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है,;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से उसको माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर; या

(घ) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किन्तु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है;

(64) "माल का राज्य के भीतर प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जैसाकि इसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में समनुदेशित किया गया है;

(65) "सेवाओं का राज्य के भीतर प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जैसाकि इसे एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में समनुदेशित किया गया है;

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है;

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गयी प्रक्रिया अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "छुटपुट कार्यकर्ता" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (घ) में यथा परिभाषित कोई "पंचायत";

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड (ड) में यथा परिभाषित कोई "नगरपालिका";

(ग) कोई नगरपालिका समिति, कोई जिला परिषद्, कोई जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का विधिक हकदार है या जिसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 41) की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद्;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद्;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,-

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए

रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(71) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से,-

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापन अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है;

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या इनपुट का किसी भी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले किसी नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसके प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और गुणवत्ता के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किये जाने की अपेक्षा होती है;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय अभिप्रेत हैं, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है।

दृष्टांत.- डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाइयों, चाकलेटों, केकों, सूखे मेवों, वातित पेयों और फल के रसों को मिलाकर बनाये गये किसी पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय है। इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा;

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, जमा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किन्तु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है;

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो इसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 2 के खण्ड (28) में समनुदेशित किया गया है;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, मालिक या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किन्तु जिसका भारत में कारबार या निवास स्थान का कोई नियत स्थान नहीं है;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(79) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खण्ड (114) के उप-खण्ड (क) से (ड) में निर्दिष्ट हैं;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिलोम प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किये जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय अभिप्रेत है;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(क) कोई व्यक्ति;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब;

- (ग) कोई कंपनी;
- (घ) कोई फर्म;
- (ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;
- (च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;
- (छ) किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी;
- (ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय;
- (झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी;
- (ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;
- (ट) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;
- (ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी;
- (ड) न्यास; और
- (ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है;
- (85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-
- (क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है; या
- (ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा बहियों को अनुरक्षित रखता है; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है;

(86) "प्रदाय का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान अभिप्रेत है;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है;

(90) "मुख्य प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अभिप्रेत है, जिससे किसी संयुक्त प्रदाय के प्रधान कारक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किये जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" से राज्य कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है;

(92) "तिमाही" से ऐसी कालावधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलेंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिवस को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलेंडर मास समाविष्ट हों;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" से-

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया जाता है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती हैं,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जायेगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किन्तु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है;

(95) "विनियम" से सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिश पर, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से-

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या उनके अधीन दिये जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी अभिप्रेत है;

(98) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में इसे समनुदेशित किया गया है;

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं;

(103) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(104) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है;

(105) किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा;

(106) "कर कालावधि" से ऐसी कालावधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी है;

(108) "कराधेय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं;

(110) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टैक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्स्ट सर्विस, रेडियो पैजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी हैं) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिगनल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं;

(111) "केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 12) अभिप्रेत है;

(112) "राज्य में के आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किये गये (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों का, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक प्रदाय का, संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किन्तु इसमें केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से-

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से-

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप;

(ख) लक्षद्वीप;

(ग) दादरा और नागर हवेली;

(घ) दमण और दीव;

(ङ) चंडीगढ़; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उप-खण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जायेगा;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) अभिप्रेत है;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन दी गयी कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वतः निर्धारित कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है;

(118) "वाउचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किये जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या संबंधित दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किन्तु

इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं;

(119) "कार्य संविदा" से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में, माल (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) में संपत्ति का अंतरण अंतर्वलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें उन अधिनियमों में समनुदेशित किये गये हैं।

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्:-

- (क) राज्य कर प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त,
- (ख) राज्य कर विशेष आयुक्त,
- (ग) राज्य कर अपर आयुक्त,
- (घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त,
- (ङ) राज्य कर उपायुक्त,
- (च) राज्य कर सहायक आयुक्त, और
- (छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे:

परन्तु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी समझे जायेंगे।

4. अधिकारियों की नियुक्ति.- (1) सरकार, धारा 3 के अधीन यथा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

(2) आयुक्त को सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी, विशिष्ट आयुक्त और अपर आयुक्त को उन्हें समनुदेशित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों के संबंध में सम्पूर्ण राज्य पर अधिकारिता होगी या जहां राज्य सरकार ऐसा निदिष्ट करे, उसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता होगी और अन्य समस्त अधिकारियों को, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन जो विनिर्दिष्ट की जायें, सम्पूर्ण राज्य पर या ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर, जो आयुक्त आदेश द्वारा निदिष्ट करे, अधिकारिता होगी।

5. अधिकारियों की शक्तियां.- (1) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, राज्य कर अधिकारी इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, अपनी शक्तियां, अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा।

6. कतिपय परिस्थितियों में केन्द्रीय कर अधिकारियों को समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकार देना.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी, समुचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए,-

(क) जहां कोई समुचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश जारी करता है, वहां वह केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, केन्द्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, उक्त अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा;

(ख) जहां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई समुचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां समुचित अधिकारी द्वारा उसी विषय-वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जायेंगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां कहीं लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. प्रदाय की परिधि.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रदाय" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किये जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वे कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हों या नहीं;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किये गये या किये जाने के लिए करार पाए गये अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप; और

(घ) अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गये क्रियाकलाप।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को; या

(ख) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें-

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जायेगा।

8. संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व.- किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किये गये किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय के प्रदाय के रूप में माना जायेगा; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किये गये किसी मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय के प्रदाय के रूप में माना जायेगा, जिसके कर की दर उच्चतम है।

9. उद्ग्रहण और संग्रहण.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिक पान के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर सभी प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से

अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं, राजस्थान माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(2) अपरिष्कृत पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिंट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जायेगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके राज्य के भीतर प्रदायों पर कर, यदि सेवाओं का प्रदाय इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है तो, उसके द्वारा संदत्त किया जायेगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा प्रदायकर्ता है जो ऐसी सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है:

परन्तु जहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो वहां कराधेय राज्यक्षेत्र

में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु यह और कि जहां कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

10. प्रशमन उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किन्तु जो,-

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा:

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपये की उक्त सीमा को एक करोड़ रुपये से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि-

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा हुआ है;

(घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, माल के किसी प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए:

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प चुनने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय का विकल्प नहीं चुनते हैं।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिवस से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जायेगा।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उप-धारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किये गये प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

(5) यदि समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उप-धारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

11. कर से छूट देने की शक्ति.- (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(3) सरकार, यदि वह उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उप-धारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किये जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना या उप-धारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, ऐसी अधिसूचना या, यथास्थिति, ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव ऐसी पहली अधिसूचना या, यथास्थिति, आदेश का भाग था।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या, यथास्थिति, आदेश समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गयी है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या

सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

12. माल के प्रदाय का समय.- (1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा।

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख या ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत् बीजक जारी करने की अपेक्षा है; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय की बाबत् संदाय प्राप्त करता है:

परन्तु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किये जाने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण 1.- खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जायेगा, जहां तक वह बीजक या, यथास्थिति, संदाय के अंतर्गत आता है।

स्पष्टीकरण 2.- खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है", वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय प्रत्यय किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) माल प्राप्ति की तारीख; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किये जाने की तारीख से तीस दिवस के ठीक पश्चात्पूर्वी तारीख:

परन्तु जहां खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाउचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,-

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय-

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

13. सेवाओं के प्रदाय का समय.- (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा।

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किये जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है, या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ग) ऐसे मामले में, जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तकर्ता अपनी लेखा बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है:

परन्तु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए-

(i) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जायेगा, जिस तक वह बीजक या, यथास्थिति, संदाय के अंतर्गत आता है;

(ii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय प्रत्यय किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों से पूर्वतर होगा, अर्थात्:-

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के ठीक पश्चात्पूर्ती तारीख:

परन्तु जहां खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगी:

परन्तु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाउचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय-

(क) वाउचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाउचर के मोचन की तारीख होगा।

(5) जहां उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,-

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

14. माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन.- धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय कर दिया गया है, उस दशा में,-

(i) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(ii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किन्तु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा; या

(iii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किन्तु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किये जाने की दशा में,-

(i) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किन्तु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा; या

(ii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(iii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किन्तु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा:

परन्तु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा, कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात्, की जाती है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा बहियों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय प्रत्यय किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

15. कराधेय प्रदाय का मूल्य.- (1) जहां प्रदायकर्ता और प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

(2) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किये गये हैं;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसको प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किन्तु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गयी है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसमें कमीशन और पैकिंग भी सम्मिलित है, और माल के परिदान या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध

में प्रदायकर्ता द्वारा की गयी किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायिकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुड़ी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को ऐसे प्रदायकर्ता के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) प्रदाय के मूल्य में ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो-

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,-

(i) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किये गये किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है; और

(ii) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(4) जहां उप-धारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाए।

(5) उप-धारा (1) या उप-धारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) ऐसे व्यक्तियों को "संबंधित व्यक्ति" समझा जायेगा, यदि-

(i) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबारों के अधिकारी या निदेशक हैं;

(ii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार हैं;

(iii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं;

(iv) कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय वोटिंग स्टॉक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण रखता है या धारण करता है;

(v) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पर नियंत्रण रखता है;

(vi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हैं;

(vii) वे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक साथ किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं; या

(viii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं;

(ख) "व्यक्ति" पद में विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध हैं, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही है, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये, संबद्ध व्यक्ति समझा जायेगा।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किये गये ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित

है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किये गये किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;

(ख) वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदत्त न कर दिया जाए; और

(घ) वह धारा 39 के अधीन विवरणी न दे दे:

परन्तु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा

बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस की कालावधि के पश्चात् भी संदत्त करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा:

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मददे रकम का उसके द्वारा किये गये संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा।

17. प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन.- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जायेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त

प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की रकम, उतने इनपुट कर तक निर्बंधित रहेगी, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिभूमि प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूमि संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

(4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, उप-धारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जायेगा;

परन्तु एक बार उपयोग में लिये गये विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किये गये प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

(5) धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:-

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसे यानों या प्रवहणों के और प्रदाय के लिए; या

(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए; या

(ग) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए;
 (ii) माल के परिवहन के लिए;
 (ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए-

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता;

(iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां-

(क) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है; और

(iv) प्रावकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे जैसे छुट्टी या गृह यात्रा रियायत;

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है;

स्पष्टीकरण.- खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति, जिससे उप-धारा (1) और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा, विहित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया

जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किन्तु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,-

- (i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण;
- (ii) दूर-संचार टावर; और
- (iii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गयी पाइप लाइनें।

18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता.- (1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं-

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिवस के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, स्टॉक में धारित इनपुट और उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिवस को स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टॉक में धारित इनपुट और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना छोड़ देता है, वहां वह स्टॉक में धारित इनपुट, स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिवस को पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जायेगा, जो विहित किया जाए;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय संबंधित स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिवस को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जायेगा, जो विहित किया जाए।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अंतरित करना अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिये गये या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में अनुपयोजित है।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गये हैं, वहां वह इलेक्ट्रानिक जमा खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित इनपुट और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुट के संबंध में और पूंजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है:

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जायेगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उप-धारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति से की जायेगी, जो विहित की जाए।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता के बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा:

परन्तु जहां स्ट्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

19. छुटपुट कार्य के लिए भेजे गये इनपुट और पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना.- (1) प्रधान, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को भेजे गये इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(2) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान इनपुट को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाये बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, इनपुट पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(3) जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजे गये इनपुट, बाहर भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा 143 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अनुसार, छुटपुट कार्य के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा प्रधान द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जाता है या छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा

जायेगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को ऐसे इनपुट का प्रदाय उस दिवस किया गया था, जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गये थे:

परन्तु जहां किसी छुटपुट कर्मकार को सीधे इनपुट भेजे जाते हैं, वहां छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि की संगणना की जायेगी।

(4) प्रधान, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को भेजे गये पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(5) धारा 16 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाये बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की कालावधि के भीतर प्रधान द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जायेगा कि प्रधान द्वारा छुटपुट कर्मकार को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिवस किया गया था जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजा गया था:

परन्तु जहां किसी छुटपुट कर्मकार को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की कालावधि की संगणना छुटपुट कर्मकार द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से की जायेगी।

(7) उप-धारा (3) या उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कर्मकार को बाहर भेजे गये सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों या औजारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

20. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.- (1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किये जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किये जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरण किये गये प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जायेगा;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जायेगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत कालावधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गयी है, आवर्त का आनुपातिक होगा;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गयी इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जायेगा और ऐसा वितरण, सुसंगत कालावधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत कालावधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर आनुपातिक होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "सुसंगत कालावधि"-

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या समस्त प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए समस्त प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरक के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं हैं, प्रदाय में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

21. आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति.- जहां इनपुट सेवा वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जायेगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किये जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति.- (1) राज्य में माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदायकर्ता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपये से अधिक है:

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपये से अधिक है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिवस से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कोई कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरिति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(4) उप-धारा (1) और (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गयी समस्त प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी प्रधानों की ओर से सम्मिलित है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत छुटपुट कर्मकार द्वारा छुटपुट कार्य पूर्ण करने के पश्चात्, माल का प्रदाय, धारा 143 में निर्दिष्ट प्रधान द्वारा माल का प्रदाय माना जायेगा और ऐसे माल में रजिस्ट्रीकृत छुटपुट कर्मकार का संकलित आवर्त सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उप-खण्ड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्वाधीन नहीं हैं.- (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्वाधीन नहीं होंगे, अर्थात्:-

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है;

(ख) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज के प्रदाय के विस्तार तक।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.- धारा 22 की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,-

(i) व्यक्ति जो किसी अंतरराज्यिक कराधेय का प्रदाय करते हैं;

(ii) कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति;

(iii) व्यक्ति जिनसे प्रतिलोम प्रभार के अधीन कर का संदाय अपेक्षित है;

(iv) व्यक्ति जिनसे धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन कर का संदाय अपेक्षित है;

(v) कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति;

(vi) व्यक्ति जिनसे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं;

(vii) व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की निमित्त कराधेय माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करते हैं;

(viii) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं;

(ix) व्यक्ति जो धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न माल या सेवाओं या दोनों की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जिनसे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है, के माध्यम से प्रदाय करते हैं;

(x) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक;

(xi) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या सुधार सेवाओं का भारत में किसी व्यक्ति को प्रदाय करता है;

(xii) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्वाधीन है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्वाधीन होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड से कोई प्रदाय करता है, ऐसे राज्य में, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु उस राज्य में अवस्थित है, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, को एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जायेगा:

परन्तु एक राज्य में बहुल कारबार शीर्षका रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार शीर्षका के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के समस्त उपबंध जैसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे, चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किये हैं या प्राप्त करना अपेक्षित है, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जायेगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने किसी स्थापन की बाबत् राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कोई स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रूप में माना जायेगा।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किये जाने के लिए पात्र होने हेतु आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक रखेगा:

परन्तु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्यांक के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्यांक रख सकेगा।

(7) उप-धारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किये जाएं के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकेगा।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए दायित्वाधीन है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल

हो जाता है, समुचित अधिकारी कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्टर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(9) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेश के वाणिज्यदूतावास या दूतावास; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिसे

आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए,

ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदाय पर, करों का प्रतिदाय, जैसाकि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्यांक प्रदान करेगा।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक, ऐसी रीति से सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाए, मंजूर या नामंजूर किया जायेगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जायेगा और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो विहित किया जाए।

(12) कोई रजिस्ट्रीकरण या कोई विशिष्ट पहचान संख्यांक उप-धारा (10) के अधीन विहित कालावधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जायेगा, यदि उस कालावधि के भीतर आवेदक को कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

26. रजिस्ट्रीकरण समझा जाना.- (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन धारा 25 की उप-धारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर नामंजूर नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक मंजूर किया गया समझा जायेगा।

(2) धारा 25 की उप-धारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्यांक के लिए आवेदन का नामंजूर किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का नामंजूर किया जाना समझा जायेगा।

27. नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध.- (1) नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् कराधेय प्रदाय करेगा:

परन्तु समुचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिवस की कालावधि को नब्बे दिवस से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी कालावधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण ईप्सित है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा:

परन्तु जहां उप-धारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार ईप्सित है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी कालावधि, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण ईप्सित है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम को जमा करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन निक्षिप्त की गयी रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जायेगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति से उपयोग में ली जायेगी।

28. रजिस्ट्रीकरण का संशोधन.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्यांक समनुदेशित की गयी है रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् ऐसे प्ररूप में व रीति से और ऐसी

कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गयी सूचना में किसी परिवर्तन को समुचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) समुचित अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन दी गयी या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गयी सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या नामंजूर करेगा:

परन्तु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत् समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा:

परन्तु यह और कि समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये बिना नामंजूर नहीं करेगा।

(3) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का नामंजूर किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन नामंजूर या अनुमोदन समझा जायेगा।

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.- (1) समुचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किये गये आवेदन पर, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,-

(क) कारबार किन्हीं कारणों से, जिसमें स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी सम्मिलित हैं, बंद कर दिया है, पूर्णतया अंतरित कर दिया है; या

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है; या

(ग) धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए इससे अधिक दायित्वाधीन नहीं होगा।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी तारीख जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,-

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो विहित किये जाएं; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले किसी व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर कालावधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की कालावधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किये गये मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है:

परन्तु समुचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा।

(3) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोधय या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन, रद्दकरण की तारीख से पहले किसी कालावधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोधय, रद्दकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किये जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जायेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द हो गया है, इलेक्ट्रानिक जमा खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में विकलन

के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे रद्दकरण की तारीख से ठीक पूर्व के दिवस को स्टॉक में धारित इनपुट के बाबत इनपुट कर और स्टॉक में धारित अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुट या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगणित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो, कर प्रत्यय के समतुल्य है:

परन्तु पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गये इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किये जाएं, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उप-धारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगणित की जायेगी।

30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.- (1) ऐसी शर्तें, जो विहित की जायें, के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तारीख की तारीख से तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) समुचित अधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामंजूर नहीं किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जायेगा।

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे नोट

31. कर बीजक.- (1) कराधेय माल का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय पर या उससे पहले,-

(क) प्राप्तिकर्ता के प्रदाय, जहां प्रदाय में माल का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटायेगा; या

(ख) किसी अन्य मामले में, माल का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसे उपलब्ध करायेगा,

विवरण, परिमाण और माल के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे समय में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, माल या प्रदायों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जायेगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परन्तु विहित कालावधि के भीतर विवरण, मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में-

(क) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जायेगा; या

(ख) कर बीजक जारी नहीं किया जा सके।

(3) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक, प्रारंभ होने वाली कालावधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अधीन रहते हुए, माल या सेवाओं या दोनों प्रदायों का मूल्य दो सौ रुपये से कम है;

(ग) छूट प्राप्त माल और सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रदाय का बिल जारी नहीं करेगा, यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो विहित का जाए, दो सौ रुपये से कम है;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय के साक्ष्य की रसीद देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाएं, कोई रसीद, वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परन्तु पश्चात्पूर्ति कोई प्रदाय नहीं किया जाता है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदायकर्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए

दायित्वाधीन है, प्रदायकर्ता को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा।

(4) माल के निरंतर प्रदाय की दशा में जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जायेगा।

(5) उप-धारा (3) के खण्ड (घ) के उपबंधों के अधीन सेवाओं के निरंतर प्रदाय की दशा में,-

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जायेगा;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां बीजक जब सेवाओं का प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जायेगा;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जायेगा।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन प्रदाय के पूरा होने से पूर्व सेवाओं का प्रदाय समाप्त हो जाता है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जायेगा जब प्रदाय समाप्त होता है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित प्रदाय की सीमा तक जारी किया जायेगा।

(7) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा या लिया जा रहा माल प्रदाय किये जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक प्रदाय के समय या उससे पूर्व या हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पहले हो, जारी किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पहले किये गये प्रदाय के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा।

32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध.- (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।

33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम.- इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रदाय किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रदाय के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और ऐसे अन्य दस्तावेज, कर की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसा प्रदाय किया जाता है, प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।

34. जमा पत्र और नामे नोट.- (1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभावित कराधेय मूल्य या कर ऐसे प्रदाय के संबंध में कराधेय मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये गये माल को वापिस किया जाता है या जहां प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों में कमी पायी जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों का प्रदाय किया है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमा पत्र जारी कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है। ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परन्तु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसा प्रदाय किया गया था, के अंत के पश्चात् सितंबर मास से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पहले हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जायेगा:

परन्तु यदि ऐसे प्रदाय पर कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल दिया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कराधेय मूल्य या प्रभारित कर, कराधेय मूल्य या ऐसे प्रदाय के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट नामे नोट जारी करेगा।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई नामे नोट जारी करता है, ऐसे नामे नोट के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे नोट जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व, ऐसे रीति से जो विहित की जाए, में समायोजित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे नोट" पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. लेखे और अन्य अभिलेख.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित,-

(क) माल का उत्पादन और विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों का आवक या जावक प्रदाय;

(ग) माल का स्टॉक;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएं,

के सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा:

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार के स्थान विनिर्दिष्ट किये गये हैं, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के उन्हीं स्थानों में रखे जायेंगे:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिये बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे, जो विहित किये जाएं, के अभिलेख रखेगा।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कराधेय व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लेखों को, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उप-धारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति से प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

(6) धारा 17 की उप-धारा (5) के खण्ड (ज) के उपबंधों के अध्यक्षीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदाय किया गया था और, यथास्थिति,

धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36. लेखों के प्रतिधारण की कालावधि.- धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन लेखा-बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से बहतर मास की समाप्ति तक प्रतिधारित करेगा:

परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गयी हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की कालावधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।

अध्याय 9

विवरणियां

37. जावक प्रदाय के ब्यौरे देना.- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति से जो विहित की जाए, माल या सेवाओं या दोनों के किये गये जावक प्रदाय के ब्यौरे कर कालावधि के दौरान उक्त कर कालावधि के मास के उत्तरवर्ती दसवें दिवस से पूर्व या दसवें दिवस पर देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संसूचित किये जायेंगे:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के ग्यारहवें दिवस से पन्द्रहवें दिवस तक की कालावधि के दौरान जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उप-धारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उप-धारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के आवक प्रदायों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किये गये हैं, सत्रहवें दिवस या उससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को या तो मंजूर या नामंजूर करेगा, परन्तु कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवें दिवस से पूर्व नहीं करेगा तथा उसके द्वारा उप-धारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे तदनुसार संशोधित होंगे।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर कालावधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे दिये हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर कालावधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उप-धारा (1) के अधीन दिये गये ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "जावक प्रदायों के ब्यौरे" में किसी कर-कालावधि के दौरान किये गये जावक प्रदायों के संबंध में जारी बीजक, नामे नोट, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

38. आवक प्रदाय के ब्यौरे देना.- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपने आवक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटायेगा और उसमें ऐसे प्रदायों, जो धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं किये गये हैं, के संबंध में प्राप्त आवक प्रदायों और जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप में कराधेय माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदाय या जिस पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51) की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय है तथा कर कालावधि के दौरान दसवें दिवस के पश्चात् परन्तु कर कालावधि के उत्तरवर्ती मास के पंद्रहवें दिवस या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, ऐसे प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा पत्र या नामे नोट के ब्यौरे देगा:

परन्तु आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा कराधेय व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाये गये या सम्मिलित किये गये प्रदायों के और उप-धारा (2) के अधीन दिये गये ब्यौरे, संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किये जायेंगे।

(4) प्राप्तिकर्ता द्वारा धारा 39 की उप-धारा (2) या उप-धारा (4) के अधीन दी गयी विवरणी में उपांतरित, हटाये गये या सम्मिलित किये गये प्रदायों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किये जायेंगे।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर कालावधि के लिए उप-धारा (2) के अधीन ब्यौरे दिये हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर कालावधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परन्तु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उप-धारा (2) के अधीन दिये गये ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

39. विवरणियां देना.- (1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां और ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस या उससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे

प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, राज्य में आवर्त कोई माल या सेवा या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, ऐसी तिमाही की समाप्ति के पश्चात् अठारह दिवसों के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा।

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिवसों के भीतर, की गयी है, की विवरणी इलेक्ट्रानिक रूप में देगा।

(4) इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् तेरह दिवसों के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कराधेय व्यक्ति प्रत्येक कलेंडर मास या उसके किसी भाग के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, कलेंडर मास के अंत के पश्चात् बीस दिवसों के भीतर या धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की कालावधि के अंतिम दिवस के पश्चात् सात दिवसों के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(6) आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गयी है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, अंतिम तारीख से, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर कालावधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों का कोई प्रदाय ऐसी कर कालावधि के दौरान किया गया हो या नहीं।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या उप-धारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यक्षीन रहते हुए, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा:

परन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर कालावधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए विवरणी नहीं दी गयी है।

40. प्रथम विवरणी.- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था, के मध्य कालावधि में जावक प्रदाय किये हैं, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गयी प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति.-

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अपनी विवरणी में यथा स्वतः निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्यय का उपयोग केवल उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए ही किया जायेगा।

42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना.-

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर कालावधि के लिए ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, दिये गये प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे-

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर कालावधि या किसी पूर्ववर्ती कर कालावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गयी जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51) की धारा 3 के अधीन संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

मिलान किया जायेगा।

(2) वह आवक प्रदाय, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 51) की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जायेगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संसूचित की जायेगी।

(3) जहां किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा आवक प्रदाय के संबंध में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं किया गया है, वहां विसंगति से दोनों ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, संसूचित किया जायेगा।

(4) इनपुट कर प्रत्यय के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति से जो विहित की जाए, संसूचित की जायेगी।

(5) कोई रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गयी है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा सुधारा नहीं गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गयी है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी आउटपुट कर दायित्व में ऐसी रीति से जोड़ा जायेगा, जो विहित की जाए।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गयी रकम, जो दावों के अनुलिपिकरण के कारण आधिक्य में पायी जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें अनुलिपिकरण संसूचित किया जाता है, की विवरणी में जोड़ा जायेगा।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (5) के अधीन जोड़ी गयी रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उप-धारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उप-धाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किये जाने तक इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उप-धारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उप-धारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रानिक नकद खाता में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये गये ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उप-धारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में

उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जायेगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गयी रकम पर धारा 50 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

43. आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान, उलटाव और वापस लेना.- (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर कालावधि के लिए जावक प्रदाय से संबंधित प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जायेगा-

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी कर कालावधि या अन्य पश्चात्कर्ता कर कालावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के अनुलिपिकरण के लिए।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मेल खाता है, को अंतिम रूप से स्वीकार किया जायेगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जायेगी।

(3) जहां जावक प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर प्रत्यय दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र के प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गयी है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से दी जायेगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के अनुलिपिकरण की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति से दी जायेगी, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गयी है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास

की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गयी है, की विधिमान्य विवरणी में सुधारा नहीं गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्पूर्व मास में, जिसमें विसंगति संसूचित की गयी है, की विवरणी में उस रीति से जोड़ दिया जायेगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों के अनुलिपिकरण के कारण पायी जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जायेगा, जिसमें अनुलिपिकरण संसूचित किया जाता है।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (5) के अधीन जोड़ी गयी रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता अपने जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उप-धारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, इस प्रकार जोड़ी गयी रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उप-धाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को उप-धारा (7) के अधीन स्वीकार किया जाता है वहां उप-धारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को, उसकी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रकम जमा करके प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु किसी भी दशा में प्रत्यय किये जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उप-धारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गयी रकम को प्रदायकर्ता की उस मास की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गयी रकम में धारा 50 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

44. वार्षिक विवरणी.- (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की लेखापरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ, जो विहित की जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उप-धारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

45. अंतिम विवरणी.- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

46. विवरणी व्यतिक्रमियों को नोटिस.- जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिवसों के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक नोटिस जारी किया जायेगा।

47. विलंब फीस का उदग्रहण.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित जावक या आवक प्रदायों या धारा 39 या धारा 45 के अधीन के ब्यौरे नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपये की विलंब फीस का संदाय करेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो नियत तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य में उसके आवर्त के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक दिवस के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपये की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

48. माल और सेवा कर व्यवसायी.- (1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, पदच्युत करने की रीति तथा उनके कार्यकरण के लिए सुसंगत अन्य शर्तें, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को, धारा 37 के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किये गये अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हैं।

अध्याय 10

कर का संदाय

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकम का संदाय.- (1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किये गये प्रत्येक निक्षेप को, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संधारित करने के लिए प्रत्यय किया जायेगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वतः निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसके इलेक्ट्रानिक जमा खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जायेगा।

(3) इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(4) इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलेक्ट्रानिक जमा खाते में निम्नलिखित के मद्धे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम-

(क) एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग केन्द्रीय कर और राज्य कर या, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र कर का, उस क्रम में, संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(ख) केन्द्रीय कर का उपयोग पहले केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(ग) राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग पहले संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जायेगा;

(ड) केन्द्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जायेगा; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केन्द्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक नकद खाते या इलेक्ट्रानिक जमा खाते में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलेक्ट्रानिक उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जायेगा और उनका ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संधारण किया जायेगा।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) स्वतः निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ख) स्वतः निर्धारित कर और अन्य चालू कर कालावधि से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ग) धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग को सम्मिलित करते हुए, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन माल या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे कर के पूर्ण भार को ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को दिया है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की तारीख, इलेक्ट्रानिक नकद खाते में निक्षेप की तारीख समझी जायेगी;

(ख) अभिव्यक्ति,-

(i) "कर शोध्य" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसमें ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है; और

(ii) "अन्य शोध्य" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

50. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किन्तु सरकार को विहित कालावधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस कालावधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसा सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना, उस दिवस से, जिसको ऐसा कर संदत्त किये जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्त्वर्ती दिवस से ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जायेगी।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उप-धारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के अशोध्य या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उप-धारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में अशोध्य या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह ऐसे अशोध्य या आधिक्य दावे या, यथास्थिति, ऐसी अशोध्य या आधिक्य कटौती पर सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

51. स्रोत पर कर कटौती.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार,-

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है), को प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "जिससे कटौती की गयी है" कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किये गये संदाय या किये गये प्रत्यय से वहां, जहां ऐसे प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी:

परन्तु यदि प्रदायकर्ता की अवस्थिति और प्रदाय का स्थान किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है जो कि प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है तो कोई कटौती नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, प्रदाय के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर और उपकर को अपवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गयी रकम, कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिवस के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गयी है, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सरकार को संदत्त की जायेगी।

(3) कटौतीकर्ता, उस व्यक्ति को, जिससे कटौती की जा रही है, संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गयी रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, उस व्यक्ति को, जिसकी कटौती की जा रही है, स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गयी रकम का प्रत्यय करने के पांच दिवस के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिवस की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को सुधारा

नहीं जाता है, पांच हजार रुपये की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, एक सौ रुपये की राशि का संदाय करेगा।

(5) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, कटौती किये गये और धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उप-धारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गयी रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किये गये कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जायेगा।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के कारण उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या उस व्यक्ति से, जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा 54 के उपबंधों के अनुसरण में संव्यवहार किया जायेगा:

परन्तु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जायेगा यदि कटौती की गयी रकम, उस व्यक्ति की, जिससे कटौती की जा रही है, इलेक्ट्रानिक नकद खाते में जमा कर दी गयी है।

52. स्रोत पर कर का संग्रहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, किसी रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद् द्वारा की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा की गयी कराधेय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जायेगी, जहां ऐसे प्रदायों के संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य" से, धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न माल या सेवाओं के कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनका सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी मास के दौरान प्रचालक द्वारा प्रदाय किया गया है, से उक्त मास के दौरान

प्रदायकर्ताओं द्वारा लौटाये गये कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत है।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति, प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन संगृहीत रकम का संदाय, प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिवस के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किया जायेगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किये जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों, जिसमें उसके द्वारा लौटाये गये माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय तथा किसी मास के दौरान उप-धारा (1) के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे मास के अंत से दस दिवस के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा किये जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों, जिसमें उसके द्वारा लौटाये गये माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त उप-धारा के अधीन संगृहीत रकम के ब्यौरे सम्मिलित हैं, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलेक्ट्रानिक रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि कोई प्रचालक उप-धारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, लेखापरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलाप से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आयी हैं, के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सुधार सकेगा:

परन्तु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों को इस प्रकार शुद्ध किया जाना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया है, संगृहीत रकम और उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा का दावा करेगा।

(8) प्रत्येक प्रचालक द्वारा उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रदायकर्ताओं के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायकर्ताओं के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जायेगा।

(9) प्रचालक द्वारा जहां उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत जावक प्रदायकर्ताओं के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जायेगी।

(10) वह रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (9) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गयी है और जिसको प्रदायकर्ता द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गयी थी, सुधार नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, जोड़ा जायेगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदायों के मूल्य से, उस मास के पश्चात्पूर्वी मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति की सूचना दी गयी थी, अधिक है।

(11) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गयी है, वह ऐसे प्रदाय के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय, धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन

विनिर्दिष्ट दर से जोड़ी गयी रकम पर, उस तारीख से, जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की तारीख तक करेगा।

(12) उपायुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके अनुक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने के नोटिस की तामील कर सकेगा-

(क) ऐसे प्रचालक के माध्यम से किसी कालावधि के दौरान किये गये माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, धृत माल का स्टॉक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थानों के रूप में घोषणा की है,

जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उप-धारा (12) के अधीन नोटिस की तामील की गयी है, से नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(14) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (12) के अधीन तामील की गयी सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" पद से प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है।

53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण.- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्यों के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा 49 की उप-धारा (5) के उपबंधों के अनुसार उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसाकि धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, राज्य कर के रूप में संगृहीत रकम को इस प्रकार उपयोग किये गये ऐसे प्रत्यय के बराबर

रकम से घटा दिया जायेगा और राज्य सरकार राज्य कर लेखे से इस प्रकार घटाई गयी रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी।

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. कर का प्रतिदाय.- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो, या उसके द्वारा संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा:

परन्तु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलेक्ट्रानिक नकद खाते में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेश के वाणिज्यदूतावास या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, उसके द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, उस तिमाही, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया गया था, के अंतिम दिवस से छह मास के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा।

(3) उप-धारा (10) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी कर कालावधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा:

परन्तु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जायेगा-

(i) कर का संदाय किये बिना किया गया शून्य दर प्रदाय;

(ii) जहां इनपुट पर कर की दर के, सिवाय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायों के जैसाकि परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, आउटपुट प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के अधिक होने के मद्दे संचित हुआ है:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहां भारत से बाहर निर्यात किये गये माल निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन है:

परन्तु यह भी कि इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता ऐसे प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है।

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

(क) यह साबित करने के लिए कि आवेदक को प्रतिदाय देय है ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य जो विहित किया जाये; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसाकि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई हो, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी अन्य रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया जाता है, उस रकम को उससे संगृहीत किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था और ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला गया था:

परन्तु जहां प्रतिदाय का दावा की गयी रकम दो लाख रुपये से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया गया था।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किये गये प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा और इस प्रकार अवधारित रकम धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा की जायेगी।

(6) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लेखे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी कुल रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप-धारा (5) के अधीन आदेश कर सकेगा।

(7) समुचित अधिकारी सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के भीतर उप-धारा (5) के अधीन आदेश जारी करेगा।

(8) उप-धारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किये जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जायेगा यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है-

(क) शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसे शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय;

(ख) उप-धारा (3) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय;

(ग) किसी प्रदाय पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है, और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है, या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई अन्य रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज के भार को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया था; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसाकि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सिवाय उप-धारा (8) के उपबंधों के अनुसरण में, कोई प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(10) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (3) के अधीन कोई प्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किये जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई गयी है, वहां समुचित अधिकारी-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या कर, ब्याज या, यथास्थिति, शास्ति का संदाय किये जाने तक देय प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा;

(ख) देय प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किन्तु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है।

(11) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या आगे की कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त की यह राय है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाहियों में अपकरण या किये गये कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा।

(12) जहां उप-धारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया जाता है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या आगे की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है।

(13) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा निक्षिप्त की गयी अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, उस समस्त कालावधि के संबंध में, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की कालावधि के लिए, धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर दी हैं।

(14) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जायेगा यदि रकम एक हजार रुपये से कम है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(1) "प्रतिदाय" में शून्य दर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गये निर्यात के रूप में माल के प्रदाय पर कर का प्रतिदाय, या उप-धारा (3) के अधीन यथा उपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(क) भारत के बाहर निर्यात किये गये माल की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे माल के लिए स्वयं या ऐसे माल में उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,-

(i) यदि माल का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे माल की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है; या

(ii) यदि माल का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं; या

(iii) यदि माल का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को माल के प्रेषण की तारीख;

(ख) माने गये निर्यात के संबंध में माल के प्रदाय की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय माल के संबंध में उपलब्ध है, वहां वह तारीख जिसको ऐसे माने गये निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की जाती है;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किये गये इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख-

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की प्राप्ति, जहां सेवाओं के प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया था; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने की तारीख से पूर्व अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया गया था;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश की संसूचना की तारीख;

(ङ) उप-धारा (3) के अधीन उपयोग न किये गये इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्तीय वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उद्भूत होता है;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदाय किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् उसके समायोजन की तारीख;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख; और

(ज) किसी अन्य दशा में कर के संदाय की तारीख।

55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अधीन अधिसूचित है, विदेश के वाणिज्यदूतावास या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाएं, जो कि ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो विहित किये जाएं, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त माल या

सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदाय पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होगा।

56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज.- यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिवस के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, ऐसे प्रतिदाय के संबंध में ब्याज संदेय होगा:

परन्तु जहां प्रतिदाय का कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप फाइल किये गये आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक ऐसे प्रतिदाय के संबंध में ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उप-धारा (5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जायेगा।

57. उपभोक्ता कल्याण निधि.- सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, निम्नलिखित का प्रत्यय किया जायेगा,-

(क) धारा 54 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट रकम;

(ख) निधि में प्रत्यय की गयी रकम के विनिधान से कोई आय; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां।

58. निधि का उपयोग.- (1) निधि में प्रत्यय की गयी सभी राशियों का उपयोग सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति से किया जायेगा, जो विहित की जाए।

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथा विहित प्ररूप में तैयार करेगा।

अध्याय 12

निर्धारण

59. स्वतः निर्धारण.- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों को स्वतः निर्धारित करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

60. अनंतिम निर्धारण.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारण देते हुए अनुरोध कर सकेगा और समुचित अधिकारी, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिवस से अपश्चात् की कालावधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करते हुए आदेश पारित करेगा।

(2) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है।

(3) समुचित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक की कालावधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा:

परन्तु इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करते हुए और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक की और कालावधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अनंतिम निर्धारण के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर संदेय कर, किन्तु जिसका संदाय नियत तारीख तक धारा 39 की उप-धारा (7) या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर ब्याज धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट दर, पर माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के संबंध में कर का संदाय करने की नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिवस से वास्तविक संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा, चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने के पूर्व या पश्चात् किया गया हो।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 54 की उप-धारा (8) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसा प्रतिदाय धारा 56 में यथा उपबंधितानुसार संदत्त किया जायेगा।

61. विवरणियों की संवीक्षा.- (1) समुचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा कर सकेगा और ध्यान में आयी विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना दे सकेगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकेगा।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाये जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जायेगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(3) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने के तीस दिवस की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की जाती है, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं, या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

62. विवरणी फाइल न करने वालों का निर्धारण.- (1) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता है तो समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध सभी सुसंगत तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी कर सकेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिवस के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश प्रतिसंहत किया गया समझा जायेगा किन्तु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय का या धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज के संदाय का दायित्व जारी रहेगा।

63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण.- धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उप-धारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किन्तु जो कर का संदाय करने का दायी

था तो समुचित अधिकारी ऐसे कराधेय व्यक्ति का सुसंगत कर कालावधि के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक से कर दायित्व निर्धारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी कर सकेगा:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जायेगा।

64. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण.- (1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर हो सकेगा और निर्धारण आदेश जारी कर सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है:

परन्तु जहां कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व माल के प्रदाय के संबंध में है तो ऐसे माल के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण का दायी कराधेय व्यक्ति समझा जायेगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से, यदि अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा 73 या धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा.- (1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान पर या उनके कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से पन्द्रह कार्य दिवस से अन्यून पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, नोटिस के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जायेगी।

(4) उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जायेगा:

परन्तु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "लेखापरीक्षा का आरंभ" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गये अभिलेख और अन्य दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हों, में उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,-

(i) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का, जो वह अपेक्षा करे, सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना;

(ii) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, देने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की।

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिवस के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा।

(7) जहां उप-धारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

66. विशेष लेखापरीक्षा.- (1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी की मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गयी है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल, जैसाकि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट, उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा:

परन्तु सहायक आयुक्त, उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा किये गये आवेदन पर, या किसी तात्त्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिवस की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन की गयी है।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं

कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन अभिलेखों की परीक्षा और लेखापरीक्षा के व्यय, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जायेगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।

(6) जहां उप-धारा (1) के अधीन संचालित विशेष लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किये जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किये जाने, या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.- (1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि-

(क) किसी कराधेय व्यक्ति ने माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या अपने पास रखे गये माल के स्टॉक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है, या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे माल को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या माल को ऐसी रीति से रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को कराधेय व्यक्ति या माल के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों, या

भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के स्वामी या प्रचालक के कारबार के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के समुचित अधिकारी के पास या तो उप-धारा (1) के अधीन किये गये निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे माल, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसे माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल को नहीं हटायेगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार अभिग्रहण किये गये दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज, बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य दस्तावेज, बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन नोटिस जारी करने के लिए अवलंब नहीं लिया गया है, उक्त नोटिस जारी करने की तारीख से तीस दिवस से अनधिक की कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति को लौटा दी जायेगी।

(4) उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की, या किसी अलमारी, इलेक्ट्रानिक युक्ति, बाक्स, संदूक को, जिसमें ऐसे व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे

परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, बाक्स या संदूक तक पहुंच को रोका जाता है, तोड़कर खोलने की, शक्ति होगी।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उप-धारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों का अभिग्रहण किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय, जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसे उद्धरण लेना समुचित अधिकारी की राय में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो, उनकी प्रतियां बनाने या उद्धरण लेने का हकदार होगा।

(6) उप-धारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अनंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति से और ऐसी मात्रा की प्रतिभूति देने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जायेगा।

(7) जहां उप-धारा (2) के अधीन किन्हीं माल का अभिग्रहण किया जाता है और माल के अभिग्रहण से छह मास के भीतर उनके संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो माल उस व्यक्ति को लौटा दिया जायेगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था:

परन्तु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की कालावधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह मास से अनधिक की और कालावधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(8) सरकार किसी माल के शीघ्र नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति के होने, समय के साथ माल के मूल्य में अवक्षयण, माल के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, माल या माल के ऐसे वर्ग को, जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उप-धारा (2) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जायेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(9) जहां कोई माल, जो उप-धारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिसका समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उप-धारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे माल की, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण में इस उपांतरण के अध्यक्षीन रहते हुए इस प्रकार लागू होंगे मानो उक्त संहिता की धारा 165 की उप-धारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और अभियोजन के लिए उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में जहां तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(12) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के क्रय को ऐसे कराधेय व्यक्ति द्वारा कर बीजकों या प्रदाय बिलों के मामले की जांच करने के लिए क्रय करा सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किये गये माल को लौटाये जाने पर ऐसा कराधेय व्यक्ति या कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति माल के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किये गये प्रदाय के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

68. संचलन में माल का निरीक्षण.- (1) सरकार, ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा वहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, माल के किसी परेषण के प्रवहण प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वहन किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति से विधिमान्यकरण किया जायेगा, जो विहित की जाए।

(3) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहण को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा बीच में रोक लिया जाता है तो वह उक्त

प्रवहण के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उप-धारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा माल के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

69. गिरफ्तार करने की शक्ति.- (1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित किया है जो उक्त धारा की उप-धारा (1) के खण्ड (i) या खण्ड (ii), या उप-धारा (2) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उप-धारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए,-

(क) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उप-धारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उप-धारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जमानत ली जायेगी या जमानत न होने की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जायेगा;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा छोड़ने के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अध्याधीन होंगी, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं।

70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को

किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए वह आवश्यक समझता है, उसी रीति से शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबंधों के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गयी है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक जांच को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जायेगा।

71. कारबार परिसरों तक पहुंच.- (1) संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियों, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कम्प्यूटर प्रोग्रामों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कम्प्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा, और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, जो किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच करने के प्रयोजनों के लिए जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुंच होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, मांग किये जाने पर उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा 66 के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखापाल या चार्टर्ड अकाउंटेंट को निम्नलिखित-

(i) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है;

(ii) शेष परीक्षण पत्र या उसके समतुल्य;

(iii) सम्यकतः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 148 के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;

(v) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 44कख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

ऐसे अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिवस से, जिसको ऐसी मांग की गयी थी, पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध करायेगा।

72. समुचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी.- (1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क के सभी अधिकारी और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए ऐसे अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केन्द्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए, जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी अन्य वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी।

अध्याय 15

मांग और वसूली

73. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया

गया है या कम संदाय किया गया है या जिसका त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस की तामील करेगा कि क्यों न वह नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उद्गृहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन, आदेश जारी करने के लिए उप-धारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है तो समुचित अधिकारी, उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाली कालावधि से भिन्न ऐसी कालावधि के लिए, संदत्त न किये गये या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये कर या गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उप-धारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर कालावधियों के लिए अवलंब लिए गये आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व नोटिस में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जायेगा।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील या उप-धारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस या उप-धारा (3) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उप-धारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उप-धारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने के नोटिस जारी करने के तीस दिवस के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की रकम, जो कर के दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य हो, का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उप-धारा (9) के अधीन आदेश को, ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन वर्ष के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जारी करेगा।

(11) उप-धारा (6) या उप-धारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर की रकम या कर के रूप में संगृहीत किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की नियत तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

74. कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण असंदत्त या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदत्त कर का अथवा गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण.- (1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को

छिपाने के कारण किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या इस प्रकार कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति से हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील करेगा कि क्यों न वह नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और नोटिस में विनिर्दिष्ट कर के समान शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी, आदेश जारी करने के लिए उप-धारा (10) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह मास पूर्व, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करेगा।

(3) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई नोटिस जारी किया गया है तो समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर, संदत्त न किये गये कर या कम संदत्त किये गये या त्रुटिवश प्रतिदाय किये गये या उप-धारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न ऐसी कालावधि के लिए गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए, एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन विवरण की तामील धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील इस शर्त के अध्यधीन समझी जायेगी कि उप-धारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कालावधियों के लिए उक्त विवरण में अवलंब लिए गये आधार, कर अपवंचन के लिए कपट, या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्य छिपाने के आधार के सिवाय वहीं हैं, जिनको पूर्व नोटिस में उल्लिखित किया गया है।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और कर के ऐसे स्व-अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित कर के आधार पर ऐसे कर के पन्द्रह

प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन सूचना की तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि उप-धारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित नोटिस जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(8) जहां उप-धारा (1) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का नोटिस जारी करने के तीस दिवस के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

(9) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(10) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया या कम संदत्त किया गया या इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया गया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से पांच वर्ष के भीतर उप-धारा (9) के अधीन आदेश जारी करेगा।

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (9) के अधीन जारी आदेश की तामील की गयी है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति, आदेश की संसूचना के तीस दिवस के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 1.- धारा 73 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां नोटिस उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन, कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, जारी किया जाता है, और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, 125, 129 और 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छिपाना" से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना, जिससे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन दी गयी विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को प्रस्तुत करने में विफलता, अभिप्रेत होगा।

75. कर के अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध.- (1) जहां किसी नोटिस की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को, धारा 73 की उप-धारा (2) और (10) या, यथास्थिति, धारा 74 की उप-धारा (2) और (10) में विनिर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने से अपवर्जित किया जायेगा।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको नोटिस जारी किया गया था, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा मानो धारा 73 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया गया था।

(3) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष के भीतर जारी किया जायेगा।

(4) सुनवाई के अवसर को वहां मंजूर किया जायेगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है।

(5) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है, उक्त व्यक्ति को समय देगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा:

परन्तु कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसा कोई स्थगन तीन बार से अधिक मंजूर नहीं किया जायेगा।

(6) समुचित अधिकारी अपने आदेश में सुसंगत तथ्यों और अपने विनिश्चय के आधार पर अधिकथन करेगा।

(7) आदेश में मांग किये गये कर, ब्याज और शास्ति की रकम नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और नोटिस में विनिर्दिष्ट आधारों से भिन्न आधारों पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जायेगी।

(8) जहां अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है वहां ब्याज और शास्ति की रकम, इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को ध्यान में रखते हुए, तदनुसार उपांतरित हो जायेगी।

(9) कम संदत्त किये गये या संदत्त नहीं किये गये कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जायेगा यदि आदेश धारा 73 की उप-धारा (10) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उप-धारा (10) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर जारी नहीं किया जाता है।

(11) कोई विवादक, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय दिया गया है जो

किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत कालावधि को धारा 73 की उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां अपवर्जित किया जायेगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी करने के माध्यम से संस्थित की गयी हैं।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो धारा 79 के उपबंधों के अधीन उसकी वसूली की जायेगी।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

76. संगृहीत किन्तु सरकार को संदत्त नहीं किया गया कर.- (1) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात को विचार में लाये बिना कि वह प्रदाय, जिसके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो

समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम का उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (2) के अधीन नोटिस की तामील की गयी है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त, उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर, उसके द्वारा संगृहीत रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का उसके द्वारा संदाय करने की तारीख तक, ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(5) सुनवाई का अवसर वहां प्रदान किया जायेगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक दर्शित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(6) समुचित अधिकारी नोटिस जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जायेगा।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में सुसंगत तथ्यों और अपने विनिश्चय के आधार अधिकथित करेगा।

(9) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जायेगा।

(10) जहां उप-धारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जायेगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जायेगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

77. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को गलती से संगृहीत और संदत्त कर.- (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्य के भीतर प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केन्द्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्पूर्वी रूप से अंतरराज्यिक प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जायेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतरराज्यिक प्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्पूर्वी रूप से राज्य के भीतर प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से, राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।

78. वसूली कार्यवाहियां आरंभ करना.- इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तारीख की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जायेगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी:

परन्तु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

79. कर की वसूली.- (1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी

निम्नलिखित एक या अधिक तरीकों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्:-

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है;

(ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा;

(ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्कर्त्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन शोध्य होने पर या उसके द्वारा धारण किये जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किये जाने से पूर्व का नहीं होगा, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप-खण्ड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, निक्षेप रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किये जाने से पूर्व

इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;

(iii) किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे उप-खण्ड

(i) के अधीन सूचना जारी की गयी है, उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जायेगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के सभी परिणाम लागू होंगे;

(iv) उप-खण्ड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा;

(v) उप-खण्ड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जायेगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किये जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जायेगा;

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उप-खण्ड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किये गये दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा;

(vii) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उप-खण्ड (i) के अधीन सूचना की तामील की गयी है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या न ही वह

व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किये जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किये जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गयी है, संदाय करने की अपेक्षा होगी;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम्, और उसे तब तक निरुद्ध, कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों के साथ संदेय रकम को चुकाया जायेगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत लागत है और आधिक्य लागत को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जायेगा;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित था;

(2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम को उप-धारा (1) में अधिकथित रीति से वसूल किया जायेगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जायेगी।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो केन्द्रीय कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह केन्द्रीय कर का बकाया हो और इस प्रकार वसूल की गयी रकम को सरकार के खाते में जमा करेगा।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन वसूल की गयी रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में जमा की जाने वाली रकम प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में होगी।

80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय.- किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किये गये आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वतः निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा 50 के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु जहां किसी सम्यक् तारीख को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी तारीख को संदेय सभी बकाया शोधय हो जायेगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किये बिना वसूली का दायी होगा।

81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना.- जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोधय हो जाने के पश्चात् उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या अंतरण का कोई अन्य तरीके, चाहे जो भी हो, द्वारा अपनी किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से वंचित करता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा:

परन्तु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लम्बित रहने पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।

82. कर का संपत्ति पर प्रथम प्रभार होना.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम प्रभार होगा।

83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की.- (1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश

द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं रहेगा।

84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण.- जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं तब-

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरा मांग नोटिस जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गयी मांग के नोटिस में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नये मांग नोटिस की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थीं;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो-

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग के नये नोटिस की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गयी मांग के

आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गयी रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व.- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति से, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः पूर्णतया या ऐसे अंतरण की सीमा तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोधय कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किन्तु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा प्रदाय किये जाने वाले माल या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायित्वाधीन होगा।

86. अभिकर्ता और मालिक का दायित्व.- जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान के निमित्त कराधेय वस्तुओं का प्रदाय करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे माल पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

87. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व.- (1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किये जाने की तारीख से पूर्व किसी तारीख से प्रभावी

होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली कालावधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच माल का या सेवाओं का या दोनों का प्रदाय किया है या माल को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसे प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति कारबार में सम्मिलित किया जायेगा और वह तदनुसार कर का संदाय करने की दायी होगी।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की कालावधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जायेगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जायेगा।

88. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व.- (1) जब किसी कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिवस के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी का परिसमापन किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी कालावधि के लिए, चाहे समापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस कालावधि, जिसके लिए कर शोधय है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्त्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय

जब तक वह आयुक्त को समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गयी वसूली कंपनी के मामलों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व.- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी कालावधि के लिए माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस कालावधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्: ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब तक वह आयुक्त को समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गयी वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां किसी प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा माल की या सेवाओं की या दोनों के प्रदाय के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति के लिए लागू नहीं होगी।

90. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्वाधीन है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्: दायी होगा:

परन्तु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का, चाहे उस तारीख को अवधारित की जाए या नहीं, दायित्वाधीन होगा:

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

91. संरक्षकों, न्यासियों इत्यादि का दायित्व.- जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अवयस्क या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अवयस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे संरक्षक या न्यासी या संरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जायेगी और वसूली जायेगी जैसे कि उसका ऐसे अवयस्क या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह वयस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

92. प्रतिपाल्य अधिकरण इत्यादि का दायित्व.- जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गयी है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहीत की जायेगी और ऐसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, प्रापक या प्रबंधक से उसी प्रकार और उसी सीमा तक वसूली होगी जो वह कराधेय व्यक्ति से इस प्रकार अवधारित

और वसूलीय होती मानो वह कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध.- (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब-

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किन्तु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है।

(2) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्त्तः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर,

ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्: इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,-

(क) किसी प्रतिपाल्य का संरक्षक है, जिसकी ओर से संरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो हिताधिकारी के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि संरक्षकता या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या हिताधिकारी कराधेय व्यक्ति से, संरक्षकता या न्यास के समापन तक, शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण संरक्षकता या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किन्तु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

94. अन्य मामलों में दायित्व.- (1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना जारी नहीं रखा है-

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को जारी न रखने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय

कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जायेगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे जारी न रखने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा जारी न रखना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा जारी न रखने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था।

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसाकि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व शोध कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायित्वाधीन होंगे।

(3) उप-धारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गयी फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाये जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में जारी न रखने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "सीमित दायित्व भागीदारी" जिसे सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जायेगा;

(ii) "न्यायालय" से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95. परिभाषाएं.- इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा, किसी आवेदक को धारा 97 की उप-धारा (2) या धारा 100 की उप-धारा (1) में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय, जो आवेदक द्वारा किया गया है या किये जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है;

(ख) "अपील प्राधिकरण" से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "आवेदन" से धारा 97 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है।

96. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजस्थान अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,-

(i) केन्द्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य; और

(ii) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमशः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन.- (1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का इच्छुक आवेदक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय ईप्सित है, एक आवेदन करेगा।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय ईप्सित है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,-

(क) किन्हीं माल या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना;

(ग) माल या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण;

(घ) संदत्त किये गये या समझे गये इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता;

(ङ) किन्हीं माल या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण;

(च) कि आवेदक का रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है;

(छ) कि आवेदक द्वारा किन्हीं माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गयी किसी विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के बराबर या उनके प्रदाय के रूप में होता है।

98. आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया.- (1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करायेगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा:

परन्तु जहां प्राधिकरण द्वारा किसी मामले में किन्हीं अभिलेखों की मांग की गयी है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, आवेदन और मांगे गये अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा:

परन्तु प्राधिकरण वहां आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है:

परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन किसी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो:

परन्तु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किये जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जायेगी।

(4) जहां किसी आवेदन को उप-धारा (2) के अधीन स्वीकार किया गया है तो प्राधिकरण, ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा करेगा।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतभेद रखते हैं, जिस पर अग्रिम विनिर्णय ईप्सित है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वे मतभेद रखते हैं और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(7) ऐसी उद्घोषणा के पश्चात्, प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति जो सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित

और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, प्रमाणित हो आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

99. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए राजस्थान माल और सेवा कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(i) बोर्ड द्वारा यथा पदाभिहित केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त; और

(ii) राज्य कर आयुक्त:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

100. अपील प्राधिकरण को अपील.- (1) धारा 98 की उप-धारा (4) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या कोई आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गयी अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिवस की कालावधि के भीतर फाइल की जायेगी:

परन्तु अपील प्राधिकरण का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीस दिवस की उक्त कालावधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह उसको तीस दिवस की उक्त कालावधि से अनधिक और कालावधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति से सत्यापन किया जायेगा, जो विहित की जाए।

101. अपील प्राधिकरण के आदेश.- (1) अपील प्राधिकरण अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्

ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किये गये विनिर्णय या निर्दिष्ट विनिर्णय की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए ठीक समझे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश धारा 100 के अधीन अपील पारित करने या धारा 98 की उप-धारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिवस की कालावधि के भीतर पारित किया जायेगा।

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उनको निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतभेद रखते हैं वहां यह समझा जायेगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है।

(4) प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति ऐसी उद्घोषणा के पश्चात्, सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति से प्रमाणित, जो विहित की जाये, आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि.- प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को उपांतरित कर सकेगा ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट त्रुटियों को सुधारा जा सके, यदि ऐसी त्रुटि प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के ध्यान में स्वप्रेरणा से आती है या संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, या आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर उसके ध्यान में लायी जाती है:

परन्तु ऐसी किसी परिशुद्धि को, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने या अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना.- (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा-

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी वांछा की थी;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तब तक बाध्यकर होगा जब तक कि मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गयी हों।

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना.-

(1) जहां प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उप-धारा (4) के अधीन या धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्त्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

स्पष्टीकरण.- धारा 73 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) या धारा 74 की उप-धारा (2) और उप-धारा (10) में विनिर्दिष्ट कालावधि की गणना करते समय इस उप-धारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

105. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां.- (1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908

का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी-

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जायेगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थातर्गत और भारतीय दंड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

106. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया.- प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, उस तारीख से तीन मास के भीतर जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, ऐसे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाए।

(2) आयुक्त, उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय

माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) जहां, उप-धारा (2) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसे आवेदन पर अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार किया जायेगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गयी अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को तीन मास या, यथास्थिति, छह मास की पूर्वोक्त कालावधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और कालावधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जायेगी जो विहित की जाए।

(6) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्ता ने-

(क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति की रकम को ऐसे भाग का पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में कर की शेष रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो।

(7) जहां अपीलकर्ता ने उप-धारा (6) के अधीन रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी।

(8) अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील की सुनवाई के किसी चरण पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय दे सकेगा और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अपील की सुनवाई को स्थगित रख सकेगा:

परन्तु यह कि अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को ऐसा कोई स्थगन तीन से अधिक बार नहीं दिया जायेगा।

(10) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किये गये अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उस विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, को संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाला ऐसा न्यायसंगत और समुचित आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था:

परन्तु अधिहरण या वृहतर मूल्य के माल के अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि जहां अपील प्राधिकारी की यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयुक्त किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और

आदेश धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पारित किया गया है।

(12) अपील का निपटारा करने वाले अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को फाइल किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर, सुनवाई करेगा और विनिश्चय करेगा:

परन्तु जहां आदेश का जारी किया जाना किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, वहां ऐसे स्थगन की कालावधि एक वर्ष की कालावधि की गणना करने में अपवर्जित की जायेगी।

(14) अपील के निपटारे पर, अपील प्राधिकारी उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(15) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केन्द्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जायेगी।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 या धारा 118 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां.- (1) धारा 121 और तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा तथा यदि वह यह समझता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं

रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये गये संप्रेक्षण के परिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी कालावधि के लिए जो वह ठीक समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे, इसमें उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना सम्मिलित है।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि-

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यक्षीन है; या

(ख) धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि अभी समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है; या

(ग) आदेश को इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था में पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है; या

(घ) आदेश उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है:

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उप-धारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी अपील में, उस अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व या उस उप-धारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा 117 या धारा 118 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

(4) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा विवादक अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गयी हैं वहां अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत कालावधि, उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जायेगी।

(5) जहां उप-धारा (1) के अधीन आदेश का जारी किया जाना किसी न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, वहां उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की कालावधि की गणना में ऐसे स्थगन की कालावधि अपवर्जित कर दी जायेगी।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,-

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय उपलब्ध किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना सम्मिलित होगी।

109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायापीठ.- (1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।

(2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार होगी।

110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें इत्यादि.- राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पदच्युति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगी।

111. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया.- (1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाही या अपील को निपटाने के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(2) अपील अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(ड) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय करने के किसी प्रतिवेदन को खारिज करना;

(छ) चूक के लिए किसी प्रतिवेदन को खारिज करने के किसी आदेश या अपने द्वारा पारित किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किये जाएं।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसके द्वारा उसी रीति से प्रवर्तित होगा मानो कि न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गयी डिक्री हो और अपील अधिकरण के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों को निष्पादन के लिए स्थानीय परिसीमा के न्यायालय में भेजे, जिसकी अधिकारिता में,-

(क) किसी कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में, जहां संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष समस्त कार्यवाहियां, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

112. अपील अधिकरण को अपील.- (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश के विरुद्ध अपील प्राधिकारी को अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, अपील चाहने वाले व्यक्ति को संसूचित किया गया है, तीन मास के भीतर कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को स्वविवेकानुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय में अंतर हो या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने, फीस या शास्ति की रकम पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है।

(3) आयुक्त उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस तारीख, जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(4) जहां उप-धारा (3) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जायेगा मानो कि वह धारा 107 की उप-धारा (11) के अधीन या धारा 108 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध की गयी अपील हो और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गयी अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील की गयी है, वह पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, किसी बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के पैंतालिस दिवस के भीतर, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गयी है के विरुद्ध विहित रीति से सत्यापित प्रति-आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निपटाया जायेगा मानो कि यह उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गयी कोई अपील हो।

(6) अपील अधिकरण, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अपील स्वीकार कर सकेगा या

उप-धारा (5) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पैंतालिस दिवस के भीतर प्रति आक्षेपों का जापन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि इसको उस कालावधि में प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को कोई अपील, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए।

(8) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, तब तक फाइल नहीं की जायेगी जब तक अपीलार्थी ने-

(क) कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और आक्षेपित आदेश से उत्पन्न शास्ति, जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गयी हो, की रकम के ऐसे भाग को पूर्ण रूप से संदत्त न कर दिया हो; और

(ख) धारा 107 की उप-धारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उत्पन्न विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि संदत्त न कर दी गयी हो।

(9) जहां अपीलार्थी उप-धारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक स्थगित की गयी समझी जाएंगी।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष,-

(क) त्रुटि को सुधारने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील; या

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु, प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

113. अपील अधिकरण के आदेश.- (1) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, विनिश्चय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील दायर की गयी है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातिलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा या अपील प्राधिकारी, या पुनरीक्षण प्राधिकारी या मूल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला, ऐसे निदेशों सहित जिनको वह ठीक समझे, अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात्, यदि आवश्यक हों, नये न्यायनिर्णयन या विनिश्चय के लिए वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) अपील अधिकरण, यदि पर्याप्त कारण दिये जायें, तो किसी अपील की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों या उनमें से किसी भी पक्षकार को समय प्रदान कर सकेगा और अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक प्रदान नहीं किया जायेगा।

(3) अपील अधिकरण, यदि ऐसी कोई त्रुटि स्वयं उसके ध्यान में आ जाती है, या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी अन्य पक्षकार द्वारा आदेश की तारीख के तीन मास की कालावधि में ध्यान में लाई जाती है तो वह अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उप-धारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई संशोधन जो निर्धारण में वृद्धि या प्रतिदाय या इनपुट कर प्रत्यय में कमी या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि पर प्रभाव डालता है तो इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि पक्षकार को सुने जाने का अवसर न प्रदान कर दिया जाए।

(4) अपील अधिकरण, जहां तक संभव हो, अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की कालवधि के भीतर प्रत्येक अपील को सुनेगा और विनिश्चित करेगा।

(5) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी, या, यथास्थिति, मूल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, अपीलार्थी और आयुक्त या केन्द्रीय कर की अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को भेजेगा।

(6) धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित के सिवाय, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां.-

राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं:

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा।

115. अपील को ग्रहण करने के लिए संदत्त रकम के प्रतिदाय पर ब्याज.- जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उप-धारा (6) या धारा 112 की उप-धारा (8) के अधीन संदत्त रकम का अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज, ऐसे प्रतिदाय के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसी रकम के प्रतिदाय की तारीख तक, संदेय होगा।

116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी.- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित से अन्यथा, इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन, प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है-

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी; या

(ख) कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है, और जिसे भारत में किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(ग) कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के वाणिज्य कर विभाग का या बोर्ड का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी, जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के पद पर दो वर्ष से अन्यून कालावधि के लिए कार्य किया था:

परन्तु ऐसा अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए हकदार नहीं होगा; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(3) कोई व्यक्ति,-

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो; या

(ख) जो इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, या विद्यमान किसी विधि के अधीन या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर के अधिरोपण से संबंधित किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित किन्हीं अधिनियमों के अधीन, किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में किसी अपराध का दोषसिद्ध हो; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा अवचार का दोषी पाया गया हो; या

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो, उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्हित नहीं होगा-

(i) खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में उस कालावधि के लिए जिसके दौरान दिवालियापन जारी रहे।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या किसी अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन निरर्हित है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्हित समझा जायेगा।

117. उच्च न्यायालय में अपील.- (1) अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से, जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, प्राप्त हुआ है, एक सौ अस्सी दिवस की कालावधि में अपील फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्ररूप में, उस सत्यापित रीति से, जो विहित की जाए, होगी:

परन्तु उच्च न्यायालय उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी कालावधि में अपील फाइल न किये जाने का समुचित कारण था।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा और केवल इस प्रकार निश्चित किये गये प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा, तथा अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थियों को यह बहस करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है:

परन्तु इस उप-धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायेगा कि वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी

अपील की, उसके द्वारा विरचित न की गयी विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विरचित किये गये विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उन आधारों, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है, सहित उस पर ऐसा निर्णय प्रदान करेगा और ऐसा खर्चा अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो-

(क) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा अवधारित न किया गया हो; या

(ख) उप-धारा (3) में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारित किया गया हो।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गयी है, वहां वह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से अन्यून की न्यायपीठ द्वारा नहीं सुनी जायेगी, और ऐसे न्यायाधीशों की राय या उनके बहुमत, यदि कोई हो, के अनुसार विनिश्चित की जायेगी।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु का कथन करेंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और तब मामला केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुना जायेगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित बहुमत की राय के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जायेगा।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन उसके समक्ष फाइल की गयी किसी अपील में कोई निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जायेगा।

(9) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबंध,

जो उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामले में, जहां तक संभव हो, लागू होंगे।

118. उच्चतम न्यायालय में अपील.- (1) निम्नलिखित मामलों में अपील उच्चतम न्यायालय में होगी-

(क) राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या

(ख) किसी भी मामले में धारा 117 के अधीन की गयी किसी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्व प्रेरणा से या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त किये गये आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के ठीक पश्चात्, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उचित मामला है।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय में अपील करने से संबंधित हैं, जहां तक संभव हो, इस धारा के अधीन अपीलों के मामले में उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उच्च न्यायालय की डिक््री की अपील के मामले में लागू होते हैं।

(3) जहां उच्च न्यायालय के निर्णय का अपील में फेरफार किया जाता है या उसे उलट दिया जाता है वहां उच्चतम न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के किसी निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति से होता है।

119. राशियां जो अपील इत्यादि के होते हुए भी संदत्त किये जाने के लिए शोध्य हैं.- उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील के होते हुए भी, धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों या धारा 113 की उप-धारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों या, यथास्थिति, धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को देय राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय होगी।

120. कतिपय मामलों में अपील का फाइल नहीं किया जाना.-

(1) आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अध्याय के उपबंधों के

अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गयी अपील या आवेदन को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी मौद्रिक सीमा को नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, समय-समय पर आदेश या अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर अधिकारी ने, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया है वहां, यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को उसी या समान विवादक या विधि के प्रश्न के किसी अन्य मामले में अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(3) इस तथ्य के होते हुए भी कि उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील या आवेदन में पक्षकार होते हुए यह प्रतिवाद नहीं करेगा कि राज्य कर अधिकारी ने अपील या आवेदन फाइल न करके विवादित बिंदु के विनिश्चय पर उपमति दे दी है।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उप-धारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किये जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

211. अपील न किये जाने योग्य विनिश्चय और आदेश.- इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, यदि ऐसा किया गया विनिश्चय या पारित आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक मामलों से संबंधित है, अर्थात्:-

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश, जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो; या

(ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों के अभिग्रहण या प्रतिधारण से संबंधित कोई आदेश; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियां

122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो-

(i) किसी बीजक के जारी किये बिना या किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के संबंध में मिथ्या या गलत बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के बिना कोई बीजक या बिल जारी करता है;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह करता है किन्तु उसे सरकार को संदत्त करने में तीन मास के बाद उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय शोध्द्य होता है, असफल रहता है;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी कर का संग्रह करता है किन्तु उसे सरकार को संदत्त करने में तीन मास के बाद उस तारीख को जिसको ऐसा संदाय शोध्द्य होता है, असफल रहता है;

(v) धारा 51 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है, या किसी रकम की कटौती करता है जो उक्त उप-धारा के अधीन कटौती किये जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम है, या जहां कर के रूप में कटौती की गयी रकम को उप-धारा (2) के अधीन सरकार को संदत्त करने में असफल रहता है;

(vi) धारा 52 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर संगृहीत करने में असफल रहता है, या कोई रकम संगृहीत करता है जो उक्त उप-धारा के अधीन संगृहीत किये जाने के लिए अपेक्षित रकम से कम रकम है या जहां वह धारा 52 की

उप-धारा (3) के अधीन कर के रूप में संगृहीत रकम सरकार को संदत्त करने में असफल रहता है;

(vii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में चाहे पूर्णतः या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपयोग करता है;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर का प्रतिदाय कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है;

(ix) धारा 20, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या वितरित करता है;

(x) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से वित्तीय अभिलेखों को मिथ्या रूप देता है या बदलता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों को रखता है या कोई मिथ्या सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है;

(xi) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है किन्तु रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफल रहता है;

(xii) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद में रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों के संबंध में मिथ्या सूचना देता है;

(xiii) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को बाधा डालता है या उसे रोकता है;

(xiv) इस निमित्त यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना किसी कराधेय माल का परिवहन कराता है;

(xv) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने आवर्त को छिपाता है;

(xvi) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने, संधारित करने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है;

(xvii) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान मिथ्या सूचना देता है या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है;

(xviii) ऐसे किसी माल का प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी हैं;

(xix) किसी दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का उपयोग कर कोई बीजक या दस्तावेज जारी करता है;

(xx) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(xxi) किसी माल को निपटाता है या छेड़छाड़ करता है, जिसे इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध, अभिग्रहण या कुर्क किया हुआ है,

दस हजार रुपये, या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किये गये कर या कम कटौती किये गये कर या कटौती किये गये किन्तु सरकार को संदेय नहीं किये गये कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किये गये कर या कम संगृहीत या संगृहीत किन्तु सरकार को संदत्त नहीं किये गये कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गये या अनियमित रूप से वितरित या हस्तान्तरित किये गये, या कपटपूर्वक दावाकृत प्रतिदाय, जो भी अधिक हो, के समतुल्य रकम, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिस पर कोई कर संदत्त नहीं किया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिदाय लिया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत तरीके से उपभोग या उपयोग किया है, वहां ऐसा व्यक्ति-

(क) कर के अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी कारण

के लिए, दस हजार रुपये या उससे शोध्य कर का दस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की शास्ति के लिए दायी होगा;

(ख) कर के अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण के लिए, दस हजार रुपये या उससे शोध्य कर, जो भी अधिक हो, के समतुल्य शास्ति के लिए दायी होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (i) से खण्ड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन में, उसे हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने, या क्रय करने या अन्य किसी रीति से अपने को किसी भी तरह से संबद्ध करता है, जिसके विषय में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिहरण के लिए दायी है;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या उसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध है या किसी अन्य रीति से सेवा का कोई प्रदाय करता है जिसके लिए वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य देने या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार बीजक जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में किसी बीजक का हिसाब देने में असफल रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी ।

123. सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उप-धारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी कालावधि, जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के प्रत्येक दिवस के लिए, एक सौ रुपये की शास्ति के लिए दायी होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

124. सांख्यिकी देने में असफल रहने पर जुर्माना.- यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,-

(क) उस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण के असफल रहता है, या
(ख) कोई सूचना या विवरणी, जिसका मिथ्या होना वह जानता है जानबूझकर प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत कराता है, वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा में और जुर्माने से जो ऐसे प्रथम दिवस, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के पश्चात् प्रत्येक दिवस के लिए, पच्चीस हजार रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, एक सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

125. साधारण शास्ति.- कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों के किसी उपबंध, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकेगी, के लिए दायी होगा।

126. शास्ति से संबंधित साधारण अनुशासन.- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के लघु भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या भूल, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता हो तथा जो कपटपूर्ण आशय या घोर उपेक्षा के बिना किये गये हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,-

(क) किसी भंग, यदि उसमें कर की रकम पांच हजार रुपये से कम अंतर्वलित है, को 'लघु भंग' माना जायेगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या भूल आसानी से सुधारी जा सकने वाली मानी जायेगी यदि वह ऐसी त्रुटि है जो अभिलेख पर प्रकट है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग की मात्रा और गंभीरता के अनुरूप में होगी।

(3) किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उस पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के किसी आदेश में, शास्ति अधिरोपित करते समय, भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रिया, जिसके अधीन भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट की गयी है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पूर्व, कर विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य को न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति या तो नियत राशि है या नियत प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है।

127. कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति.-

जहां समुचित अधिकारी का यह विचार है कि कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन नहीं आता है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

128. शास्ति या फीस या दोनों के अधित्यजन की शक्ति.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब फीस का भागतः या पूर्णतः और परिषद् की सिफारिशों पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी कम करने वाली परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।

129. माल का निरोध, अभिग्रहण और निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन करता है या माल का भंडारण करता है जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में अभिवहन में हैं, वहां ऐसे सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त प्रवहण और ऐसे माल तथा प्रवहण से संबंधित दस्तावेज निरोध में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होंगे तथा निरोध या अभिग्रहण के पश्चात् निम्नलिखित रूप में निर्मुक्त हो सकेंगे,-

(क) ऐसे माल पर संदेय कर के और, संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और, छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और, छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर जहां माल का स्वामी ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विहित की जाए, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन संदेय रकम के बराबर प्रतिभूति देने पर:

परन्तु इस प्रकार का माल या अभिवहन, माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति पर निरोध या अभिग्रहण के आदेश

की तामील कराये बिना निरोध में या अभिग्रहण में नहीं लिया जायेगा।

(2) धारा 67 की उप-धारा (6) के उपबंध माल और प्रवहण के निरोध और अभिग्रहण के लिए, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

(3) माल या प्रवहण का निरोध या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन कर और शास्ति के संदाय के लिए आदेश पारित करेगा।

(4) संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बिना उप-धारा (3) के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति अवधारित नहीं की जायेगी।

(5) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस के संबंध में सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गयी समझी जाएंगी।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उप-धारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर, संदाय करने में असफल रहता है वहां आगे की कार्यवाहियां धारा 130 के उपबंधों के अनुसार आरंभ की जाएंगी:

परन्तु जहां निरूद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने की संभावना है तो उक्त सात दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

130. माल या प्रवहणों का अधिहरण और शास्ति का उद्ग्रहण.-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति-

(i) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का प्रदाय या प्राप्ति, कर संदाय का अपवंचन करने के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए जिस पर वह इस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है, लेखा नहीं रखता है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किये बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय करता है; या

(iv) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन, कर संदाय का अपवंचन करने के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में माल वहन के लिए किसी प्रवहण का उपयोग साधन के रूप में करता है जब तक कि प्रवहण का स्वामी यह साबित न कर दे कि यह स्वयं उसके, उसके अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रवहण के प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना इस प्रकार उपयोग में लाया गया था,

तब ऐसा समस्त माल या प्रवहण अधिहरण के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण का अधिहरण इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो इसे न्यायनिर्णीत करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी को अधिहरण के स्थान पर ऐसा जुर्माना संदाय करने का विकल्प दे सकेगा, जो उक्त अधिकारी ठीक समझे:

परन्तु ऐसा उद्गृहणीय जुर्माना अधिहत माल के बाजार मूल्य से अधिक और उस पर प्रभारित कर से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऐसे जुर्माने और उद्गृहणीय शास्ति का योग धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्गृहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा प्रवहण भाड़े पर माल या यात्रियों के वहन करने में प्रयुक्त किया जाये, वहां प्रवहण के स्वामी को अधिहत प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किये माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदत्त करने का विकल्प दिया जा सकेगा।

(3) जहां उप-धारा (2) के अधीन माल या प्रवहण के अधिहरण के स्थान पर कोई जुर्माना अधिरोपित किया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामी या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति इसके अतिरिक्त

किसी ऐसे माल के प्रवहण की बाबत शास्ति और शोध्य प्रभारों के लिए दायी होगा।

(4) माल या प्रवहण के अधिहरण या शास्ति के अधिरोपण का कोई आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना जारी नहीं किया जायेगा।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण का अधिहरण कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जायेगा।

(6) अधिहरण के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी अधिहृत वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसकी सहायता करेगा।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि अधिहृत माल या प्रवहण इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और अधिहरण के स्थान पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करायेगा।

131. अधिहरण या शास्ति का अन्य दण्डों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना.- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित शास्ति कोई अन्य दण्ड जिसके लिए प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, दिये जाने से नहीं रोकेगी।

132. कतिपय अपराधों के लिए दंड.- (1) जो कोई भी निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है, अर्थात्:-

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अतिक्रमण में किसी बीजक को जारी किये बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय कर के अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अतिक्रमण में गलत प्राप्ति या इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग या कर के प्रतिदाय के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बिना किसी बीजक या बिल के जारी करता है;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की कालावधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग या कपट से प्रतिदाय अभिप्राप्त करता और जहां ऐसा अपराध खण्ड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के किसी आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों का मिथ्याकरण या प्रतिस्थापन करता है या जाली लेखे या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या कोई मिथ्या सूचना देता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या निवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसको वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिहरण करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या उसके परिवहन, हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने, या विक्रय करने, या किसी अन्य रीति से निपटाने में, स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है;

(झ) किसी सेवा को प्राप्त करता है या किसी अन्य रीति से उसके प्रदाय से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति से सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास

करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है;

(ज) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) कोई सूचना, जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदाय किया जाना अपेक्षित है (जब तक युक्तियुक्त विश्वास न हो जाये कि उसके द्वारा प्रदाय की गयी सूचना, जिसकी सत्यता सिद्ध करने का भार उस पर है, सत्य है) प्रदाय करने में असफल रहता है या मिथ्या सूचना देता है; या

(ठ) इस धारा के खण्ड (क) से खण्ड (ट) में वर्णित अपराधों में से किसी को भी कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण कारित करता है,

तो वह-

(i) ऐसी दशा में जहां कर अपवंचन की रकम या गलती से ली गयी इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या प्रतिदाय की गयी रकम पांच सौ लाख रुपये से अधिक हो, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से;

(ii) ऐसी दशा में जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गयी इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या प्रतिदाय की गयी रकम दो सौ लाख रुपये से अधिक है किन्तु पांच सौ लाख रुपये से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से;

(iii) ऐसे किसी अन्य अपराध की दशा में जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से उपभोग या उपयोग की गयी इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से प्रतिदाय की गयी रकम, एक सौ लाख रुपये से अधिक किन्तु दो सौ लाख रुपये से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से;

(iv) ऐसी दशा में जहां वह खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,

दंडनीय होगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (i), (ii) और (iii) और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कारावास, न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले इसके प्रतिकूल विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, छह मास से कम अवधि का नहीं होगा।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध उप-धारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होंगे।

(5) उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उप-धारा के खण्ड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में, इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से उपभोग या उपयोग की गयी या गलत रूप से प्रतिदाय की गयी इनपुट कर प्रत्यय की रकम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर सम्मिलित है।

133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व.-

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन आंकड़ों के संग्रहण या

संकलन या उनके कंप्यूटरीकरण के संबंध में या यदि धारा 150 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या सामान्य पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या सामान्य पोर्टल का अभिकर्ता इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन दी गयी किसी विवरणी की कोई सूचना या कोई अंतर्वस्तु, उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए जानबूझकर प्रकट करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति-

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व मंजूरी के अभियोजित नहीं किया जायेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व मंजूरी के अभियोजित नहीं किया जायेगा।

134. अपराध का संज्ञान.- कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व मंजूरी के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

135. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा.- इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा लेकिन अभियुक्त को तथ्य साबित करने के लिए यह प्रतिरक्षा होगी कि उसकी उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत् ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "आपराधिक मानसिक दशा" में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, कोई तथ्य सम्मिलित है;

(ii) कोई तथ्य साबित किया हुआ केवल तब कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता पर बिना युक्तियुक्त संदेह के विश्वास करता है और न केवल इसलिए कि इसकी विद्यमानता बाहुल्यता की संभाव्यता के द्वारा स्थापित है।

136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता.- इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी समन के प्रत्युत्तर में हाजिर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्यों की सत्यता जिसमें यह अंतर्विष्ट होगा,-

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्वारा रास्ते से परे कर दिया गया है या जिसकी उपस्थिति देरी या बिना खर्च के प्राप्त नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन जिसे न्यायालय अयुक्तियुक्त मानेगा; या

(ख) जब न्यायालय के समक्ष किसी मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों के संबंध में किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है, कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

137. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) इस अधिनियम के अधीन जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किये जाने के अधीन दायी होगा और तदनुसार दण्डित किया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को उप-धारा (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

138. अपराधों का प्रशमन.- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी-

(क) कोई व्यक्ति जिसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है;

(ख) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खण्ड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) या खण्ड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और

(च) किन्हीं अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विहित किया जाए:

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्यवाहियों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता:

परन्तु यह भी कि ऐसे अपराधों में प्रशमन केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् अनुज्ञात होगा।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत,

इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित, ऐसी प्रशमन रकम के संदाय पर, उसी अपराध और किन्हीं अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन आगे कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं होंगी, और यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, उनका उपशमन हो जायेगा।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रव्रजन.- (1) नियत दिवस से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा, जिसे जब तक कि उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जायेगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किये गये किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

140. इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं.- (1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी, नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को समाप्त होने

वाली कालावधि से संबंधित, विवरणी में अग्रणीत मूल्य परिवर्धित कर की रकम, यदि कोई हो, को विहित की जाने वाली रीति से अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा करने का हकदार होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्यय लेने की अनुज्ञा नहीं होगी, अर्थात्:-

(i) जहां प्रत्यय की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है; या

(ii) जहां वह नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती छह मास की कालावधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है:

परन्तु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जितनी केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 3, धारा 5 की उप-धारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उप-धारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति और कालावधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलेक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किये जाने की पात्र नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जायेगा जब उक्त दावों को केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, 1957 के नियम 12 में विहित रीति से सिद्ध कर दिया जाता है।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रणीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति से नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस लेने को समाप्ति कालावधि के लिए हकदार होगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्यय लेने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक उक्त प्रत्यय विद्यमान विधि के

अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हो और इस अधिनियम के अधीन भी इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं हो।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय" से वह रकम अभिप्रेत है जो इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम में से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में पहले से उपभोग की गयी (उपभुक्त) इनपुट कर प्रत्यय की रकम घटाने के बाद शेष बचती है जिसका विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में उक्त व्यक्ति हकदार था।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त माल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, या ऐसे माल, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनके पश्चातवर्ती विक्रय राज्य में कर के अधीन नहीं है, के विक्रय में लगा है, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं या जहां व्यक्ति माल के विक्रय, यदि कोई हो, के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था, अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिवस को मूल्य परिवर्धित कर के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात्:-

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे इनपुट या माल के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने हेतु उपयोग के लिए आशयित है;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र होगा;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है;

(iv) नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किये गये ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज:

परन्तु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदायकर्ता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर प्रत्यय करने के लिए अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय माल के साथ-साथ छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किन्तु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,-

(क) उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गयी किसी विवरणी में अग्रणीत मूल्य परिवर्धित कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम; और

(ख) उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त माल या कर मुक्त माल, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के संबंध में नियत दिवस को स्टॉक में रखे गये इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिवस को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में मूल्य परिवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय को लेने का हकदार होगा, किन्तु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिवस से तीस दिवस

की कालावधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था:

परन्तु तीस दिवस की कालावधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर आयुक्त द्वारा तीस दिवस से अनधिक की और कालावधि से विस्तारित होगी:

परन्तु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन प्रत्यय के संबंध में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिवस को अपने स्टॉक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित माल के इनपुट को स्टॉक में धारित स्टॉक और इनपुट के संबंध में मूल्य परिवर्धित कर की जमा अपने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:-

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट या माल जो प्रयोग किये गये हैं या कराधेय प्रदाय करने के लिए आशयित हैं;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे इनपुट पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में इनपुट के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज हैं; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत दिवस से ठीक पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किये गये थे।

(7) उप-धारा (3), (4) और (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति से प्रगणित होगी, जो विहित की जाए।

141. छुटपुट कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध.- (1) विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार नियत दिवस से पूर्व जहां कोई

इनपुट, कारबार के किसी स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में या और प्रसंस्करण, परीक्षण, मरम्मत, पुनरनुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिवस को या उसके पश्चात् लौटाया जाता है तो वहां कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को छुटपुट कार्य के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिवस से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:

परन्तु छह मास की कालावधि, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की और कालावधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि ऐसा इनपुट इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उप-धारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा।

(2) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिवस से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माण प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उप-धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिवस को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माण प्रक्रिया करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिवस से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर, छह मास की कालावधि को आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की और कालावधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लौटाया नहीं जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उप-धारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किये जाने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि माल को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर में भारत में कर के संदाय पर या निर्यात हेतु कर का संदाय किये बिना उक्त माल को, वहां से उनका प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए, अंतरित कर सकेगा।

(3) जहां किसी माल कारबार के स्थान से किसी परीक्षण कराये जाने या अन्य प्रक्रिया हेतु कर का संदाय किये बिना किन्हीं परिसरों में, चाहे रजिस्ट्रीकृत हों या नहीं, विद्यमान विधि के अनुसार नियत दिवस से पूर्व, प्रेषित कर दिया गया था, और ऐसा माल कारबार के उक्त स्थान पर नियत दिवस को या उसके पश्चात् लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नियत दिवस से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:

परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर, छह मास की कालावधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की और कालावधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लौटाया नहीं जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उप-धारा (8) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किये जाने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि माल को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, भारत में कर के संदाय पर या निर्यात के लिए कर का संदाय किये बिना किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के उक्त अन्य परिसरों से इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उक्त माल को अंतरित कर सकेगा।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन कर वहां संदेय नहीं होगा, यदि माल को प्रेषित करने वाला व्यक्ति और छुटपुट कर्मकार, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाये, नियत दिवस को उक्त व्यक्ति के निमित्त छुटपुट कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित इनपुट या माल के ब्यौरे घोषित करेगा।

142. प्रकीर्ण संक्रमणकालीन उपबंध.- (1) जहां कोई माल, जिस पर कर, यदि कोई हो, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन नियत दिवस से छह मास पूर्व संदत्त कर दिया गया था, नियत दिवस को या उसके पश्चात् कारबार के किसी स्थान पर लौटाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन संदत्त कर को लौटाये जाने के लिए पात्र होगा, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा माल नियत दिवस से छह मास की कालावधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए लौटाया जाता है और ऐसे माल के समुचित अधिकारी के समाधान के लिए पहचाने जाने योग्य है:

परन्तु यदि उक्त माल किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है तो ऐसे माल का लौटाया जाना प्रदाय समझा जायेगा।

(2) (क) जहां, नियत दिवस से पूर्व किये गये किसी करार के अनुसरण में, किसी माल की कीमत नियत दिवस को या उसके पश्चात् आरोही पुनरीक्षित की जाती है, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल विक्रीत किया है, प्राप्तिकर्ता को, ऐसी कीमत पुनरीक्षित किये जाने से तीस दिवस के भीतर, ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जायें, अंतर्विष्ट करते हुए, एक अनुपूरक बीजक या नामे नोट जारी करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक या नामे नोट को इस अधिनियम के अधीन किये गये जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया गया समझा जायेगा।

(ख) जहां, नियत दिवस से पूर्व किये गये किसी करार के अनुसरण में, किसी माल की कीमत नियत दिवस को या उसके पश्चात् अवरोही पुनरीक्षित की जाती है, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने ऐसा माल विक्रीत किया है, प्राप्तिकर्ता को, ऐसी कीमत पुनरीक्षित किये जाने से तीस दिवस के भीतर, ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जायें, अंतर्विष्ट करते हुए, एक जमा पत्र जारी करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा जमा पत्र इस अधिनियम के अधीन किये गये जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया गया समझा जायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल प्रत्यय पत्र के जारी किये जाने पर ही उसके कर दायित्व को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा यदि प्रत्यय पत्र के प्राप्तिकर्ता ने कर दायित्व की ऐसी कमी के तत्स्थानी अपना इनपुट कर प्रत्यय कम कर दिया है।

(3) प्रतिदाय का प्रत्येक दावा, जो किसी व्यक्ति द्वारा, इनपुट कर प्रत्यय, कर, ब्याज या विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् फाइल किया गया है, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा और अंत में उसको प्रोद्भूत किसी रकम का उक्त विधि के उपबंधों के अनुसार, नकद प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णतः या भागतः नामंजूर किया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर रकम व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी रकम का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहां नियत दिवस को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नियत दिवस के पूर्व या उसके पश्चात् निर्यात किये गये किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन संदत्त किसी कर के प्रतिदाय के लिए नियत दिवस के पश्चात् प्रतिदाय हेतु फाइल किया गया प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाया जायेगा:

परन्तु जहां इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णतः या भागतः नामंजूर किया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर रकम व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय की किसी रकम का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहां नियत दिवस को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिवस से पूर्व प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(6)(क) इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गयी हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटायी जायेगी, और दावेदार को अनुज्ञेय पाये गये प्रत्यय की कोई रकम, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार उसको नकद में प्रतिदत्त की जायेगी, और नामंजूर की गयी रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी:

परन्तु इनपुट कर प्रत्यय की किसी भी रकम का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जहां नियत दिवस को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(ख) इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गयी हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटायी जायेगी, और यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलीय हो जाती है, तो वह, जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गयी हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(7)(क) किसी आउटपुट कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही, चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गयी हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटायी जायेगी और यदि कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश के परिणामस्वरूप वसूलीय हो जाती है, तो वह, जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल न

कर ली गयी हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) आउटपुट कर दायित्व के संबंध में अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश की प्रत्येक कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गयी हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार निपटायी जायेगी, और दावाकर्ता को अनुज्ञेय पायी गयी किसी रकम का विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार उसे नकद प्रतिदाय किया जायेगा और नामंजूर की गयी रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(8)(क) जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियां, विद्यमान विधि के अधीन, चाहे नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात्, संस्थित की गयी हों, के अनुसरण में कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम उस व्यक्ति से वसूलीय हो जाती है, तो वह, जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गयी हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां किसी निर्धारण या न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियां, विद्यमान विधि के अधीन, चाहे नियत दिवस को, उससे पूर्व या उसके पश्चात्, संस्थित की गयी हों, के अनुसरण में कर, ब्याज, जुर्माना या शास्ति की कोई रकम कराधेय व्यक्ति को प्रतिदेय हो जाती है तो, उसका उक्त विधि के अधीन उसे नकद प्रतिदाय किया जायेगा, और नामंजूर की गयी रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(9)(क) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गयी कोई विवरणी, नियत दिवस के पश्चात् पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूलीय पायी जाती है या इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम अननुज्ञेय पायी जाती है, तो वह, जब तक विद्यमान विधि के अधीन वसूल न कर ली गयी हो, इस अधिनियम के अधीन कर के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी और इस प्रकार वसूल की गयी रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(ख) जहां विद्यमान विधि के अधीन दी गयी कोई विवरणी, नियत दिवस के पश्चात् किन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में किसी कराधेय व्यक्ति को कोई रकम प्रतिदेय पायी जाती है या इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञेय पाया जाता है, तो उसका विद्यमान विधि के अधीन नकद में प्रतिदाय किया जायेगा, और नामंजूर रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय, नियत दिवस के पूर्व की गयी किसी संविदा के अनुसरण में नियत दिवस को या उसके पश्चात् प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के दायित्वाधीन होंगे।

(11)(क) धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर उस सीमा तक कोई कर, संदेय नहीं होगा जिस तक उक्त माल पर वह कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन उद्ग्रहणीय था।

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं पर उस सीमा तक कोई कर संदेय नहीं होगा जिस तक वह कर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहणीय था।

(ग) जहां कोई कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) के अध्याय 5, दोनों के अधीन किसी प्रदाय पर संदत्त किया गया था, वहां ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय होगा और कराधेय व्यक्ति नियत दिवस के पश्चात् किये गये प्रदायों की सीमा तक विद्यमान विधि के अधीन संदत्त मूल्य परिवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय का हकदार होगा और ऐसे प्रत्यय की, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, गणना की जायेगी।

(12) जहां अनुमोदन के आधार पर भेजा गया कोई माल, नियत दिवस से पूर्व छह मास से पूर्वतर नहीं, नामंजूर हो जाता है या क्रेता द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत दिवस को या उसके पश्चात् विक्रेता को लौटाया जाता है वहां यदि ऐसा माल नियत दिवस से छह मास के भीतर लौटाया जाता है, उस पर कोई कर संदेय नहीं होगा:

परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शाये जाने पर, छह मास की उक्त कालावधि आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिक की और कालावधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी:

परन्तु यह और कि माल को लौटाने वाले व्यक्ति द्वारा कर संदेय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है, और इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् लौटाया जाता है:

परन्तु यह भी कि कर ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय होगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, और इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लौटाया नहीं जाता है।

(13) जहां किसी प्रदायकर्ता ने माल का कोई विक्रय किया है, जिसके संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किया जाना अपेक्षित था और उसके लिए नियत दिवस से पूर्व कोई बीजक भी जारी कर दिया गया है, वहां धारा 51 के अधीन स्रोत पर, उक्त धारा के

अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जायेगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को नियत दिवस को या उसके पश्चात् संदाय किया जाता है।

(14) जहां प्रधान से संबंधित कोई माल या पूंजी माल नियत दिवस को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसे माल या पूंजी माल पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने का हकदार होगा:-

(i) अभिकर्ता, इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिवस से ठीक पूर्ववर्ती दिवस को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे माल या पूंजी माल के स्टाक के ब्यौरे ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो इस निमित्त विहित किया जाए, घोषित करते हैं;

(iii) ऐसे माल या पूंजी माल के लिए बीजक नियत दिवस से ठीक पूर्व के बारह मास से पूर्व जारी नहीं किये गये थे; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,-

(क) माल; या

(ख) पूंजी माल,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिलोम कर दिया है या उसका उपभोग नहीं किया है या, ऐसे प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् उसका, उसके द्वारा किये गये उपभोग की सीमा तक, प्रतिलोम कर दिया है।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "पूंजी माल" का वही अर्थ होगा, जो उसे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. छुटपुट कार्य की प्रक्रिया.- (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" कहा गया है) सूचना के

अधीन और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए, छुटपुट कर्मकार को, कर का संदाय किये बिना कोई इनपुट या पूंजी माल भेज सकेगा और वहां से तत्पश्चात् दूसरे और इसी तरह के छुटपुट कर्मकार को भेज सकेगा, और,-

(क) सांचा और डाई, जिग और फिक्सचरों, या औजारों से भिन्न छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा इनपुट, या पूंजी माल, कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान से उनके बाहर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर वापस लायेगा;

(ख) सांचा और डाई, जिग और फिक्सचरों, या औजारों से भिन्न छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् या अन्यथा ऐसे इनपुट, या पूंजी माल का, भारत के भीतर कर के संदाय पर, या निर्यात के लिए कर से संदाय के सहित या, यथास्थिति, कर के संदाय के बिना, छुटपुट कर्मकार के कारबार के किसी स्थान से उनके बाहर भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, प्रदाय करेगा:

परन्तु प्रधान, इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार किसी छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल का प्रदाय तब तक नहीं करेगा जब तक कि उक्त प्रधान, निम्नलिखित मामलों के सिवाए, छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान को उसके कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित नहीं करता है-

(i) जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) जहां प्रधान ऐसे माल के प्रदाय में लगा हुआ है जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) इनपुट या पूंजी माल के लिए लेखाओं के समुचित रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगा।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया इनपुट, उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसार छुटपुट कार्य के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा प्रधान द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जाता है या उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की कालावधि के भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के

उपबंधों के अनुसार छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि ऐसे इनपुट उस दिवस को, जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गये थे, छुटपुट कर्मकार को प्रधान द्वारा प्रदाय किये गये थे।

(4) जहां सांचा और डाई, जिग और फिक्सचरों, या औजारों से भिन्न पूंजी माल को उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार प्रधान द्वारा वापस प्राप्त नहीं किया जाता है या उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की कालावधि के भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अनुसार छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से प्रदाय नहीं किया जाता है, इसे यह समझा जायेगा कि ऐसे पूंजी माल का उस दिवस को, जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गये थे, छुटपुट कर्मकार को प्रधान द्वारा प्रदाय किया गया था।

(5) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित अपशिष्ट और स्क्रैप का, कर के संदाय पर, छुटपुट कर्मकार द्वारा उसके कारबार के स्थान से सीधे प्रदाय किया जा सकेगा, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है, या प्रधान द्वारा, यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण.- छुटपुट कार्य के प्रयोजनों के लिए इनपुट में प्रधान या छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट पर किये गये किसी उपचार या प्रक्रिया से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है।

144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के बारे में उपधारणा.- जहां कोई दस्तावेज-

(i) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; या

(ii) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण से अभिगृहीत किया गया है; या

(iii) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, किन्हीं कार्यवाहियों के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज अभियोजन द्वारा उसके या किसी अन्य व्यक्ति, जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, के विरुद्ध साक्ष्य में पेश किया जाता है तो न्यायालय-

(क) जब तक ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाये, निम्नलिखित के संबंध में उपधारित करेगा-

(i) ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु की सत्यता के संबंध में;

(ii) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, या जिसे न्यायालय किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया, या उसके हस्तलेख में होना युक्तियुक्त रूप से उपधारित कर सकेगा, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और ऐसे निष्पादित या अधिप्रमाणित दस्तावेज के मामले में यह कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा यह इस प्रकार निष्पादित और अधिप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है, निष्पादित या अधिप्रमाणित था;

(ख) यह होते हुए भी कि, यह सम्यक् रूप से स्टांपित नहीं है, दस्तावेज को साक्ष्य में स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है।

145. दस्तावेज और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों की माईक्रो फिल्म, अनुकृति प्रतियों और कम्प्यूटर प्रिंट आउट की ग्राह्यता.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी दस्तावेज की माईक्रो फिल्म या ऐसी माईक्रो फिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुनरुत्पादन (चाहे वह विस्तारित हो या नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की अनुकृति प्रति; या

(ग) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, किसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट कोई कथन और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा बनायी गयी कोई मुद्रित सामग्री सम्मिलित है; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलेक्ट्रानिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां सम्मिलित हैं, को इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी दस्तावेज के रूप में समझा जायेगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की वांछा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र,-

(क) जो कथन को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज की पहचान करता है और उस रीति का वर्णन करता है, जिसमें उसको प्रस्तुत किया गया था;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में सम्मिलित किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियां देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि दस्तावेज किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था, प्रमाण पत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उप-धारा से प्रयोजनों के लिए इसका कथन करने वाले व्यक्ति की सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से कथन किया जाना किसी मामले के लिए पर्याप्त होगा।

146. सामान्य पोर्टल.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणियों के दिये जाने, एकीकृत कर की संगणना और निपटान, इलेक्ट्रानिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किये जाएं, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

147. समझे गये निर्यात.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, जहां प्रदाय किया गया माल भारत से बाहर नहीं जाता है, और ऐसे प्रदाय के लिए संदाय, भारतीय रुपये या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया जाता है, माल के कतिपय प्रदायों को "समझे गये निर्यात" के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

148. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष कार्य-पद्धति.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, और ऐसी शर्तों और सुरक्षा मानकों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों को, और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण, कर का संदाय और ऐसे व्यक्तियों का प्रशासन सम्मिलित है, अनुसरण की जाने वाली विशेष कार्य-पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी।

149. माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग.- (1) सरकार द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग दी जा सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को, ऐसे मानकों के आधार पर, जो विहित किये जाएं, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को आवधिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पब्लिक डोमेन में भी रखी जा सकेगी।

150. सूचना विवरणी देने की बाध्यता.- (1) कोई व्यक्ति-

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारण; या

(ग) मूल्य परिवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण; या

(घ) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 45क के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंककारी कंपनी होने के कारण; या

(च) विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई होने के कारण; या

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार होने के कारण; या

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार होने के कारण; या

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त किया गया प्राधिकारी होने के कारण; या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) की धारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर होने के कारण; या

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होने के कारण; या

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) में निर्दिष्ट निक्षेपागार होने के कारण; या

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी होने के कारण; या

(ढ) माल और सेवा कर नेटवर्क, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी होने के कारण; या

(ण) कोई व्यक्ति, जिसको धारा 25 की उप-धारा (9) के अधीन विशिष्ट पहचान संख्यांक प्रदान किया गया है, होने के कारण; या

(त) सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, कोई अन्य व्यक्ति, जिसे विहित किया जाये, होने के कारण,

जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के अभिलेख या लेखाओं के कथन या किसी आवधिक विवरणी या कर के संदाय के ब्यौरे और माल या सेवाओं या दोनों के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले किसी दस्तावेज या किसी बैंक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत उपयोग या क्रय या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति के विनिमय या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के संधारण के लिए उत्तरदायी है, ऐसी कालावधियों के संबंध में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और रीति से, और ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, उसकी सूचना विवरणी देगा।

(2) जहां आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी का यह विचार है कि सूचना विवरणी में दी गयी सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह ऐसी त्रुटि की सूचना ऐसी सूचना विवरणी देने वाले व्यक्ति को देगा और उसको ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर या इस निमित्त किये गये आवेदन पर ऐसी और कालावधि के भीतर जिसे उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करे, त्रुटि का परिशोधन करने का एक अवसर देगा और यदि त्रुटि का परिशोधन तीस दिवस की उक्त कालावधि या, उसे अनुज्ञात की गयी और कालावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी न दी गयी समझी जायेगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है, वह उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उस पर नोटिस की तामील की तारीख से नब्बे दिवस से अनधिक की कालावधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा करते हुए नोटिस की तामील कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा।

151. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति.- (1) आयुक्त, यदि वह यह समझता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा या के संबंध में किये गये किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने का निदेश दे सकेगा।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर, आयुक्त, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, ऐसे किसी मामले से संबंधित, जिसके संबंध में, सांख्यिकियों का संग्रहण किया जाना है, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा।

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन.- (1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दिये गये किसी मामले के संबंध में किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की सूचना, संबंधित व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित पूर्व सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित नहीं की जायेगी ताकि किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियों की पहचान हेतु समर्थ बना सकें और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किन्हीं प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जायेगी।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यक्ति विवरणी को देखने या उसकी पहुंच तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(3) इस धारा की कोई बात कराधेय व्यक्तियों के वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में, ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है।

153. किसी विशेषज्ञ से सहायता लेना.- सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या किसी अन्य कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

154. नमूने लेने की शक्ति.- आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह आवश्यक समझे, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और इस प्रकार लिए गये किन्हीं नमूनों की रसीद उपलब्ध करायेगा।

155. सबूत का भार.- जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

156. व्यक्ति जिन्हें लोक सेवक समझा जायेगा.- इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले समस्त व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

157. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- (1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित कोई बात अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकटन.- (1) इस अधिनियम के अनुसार किये गये कथन, दी गयी विवरणी या प्रस्तुत किये गये लेखे या दस्तावेजों में, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों (किसी दण्ड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) के अनुक्रम में दिये गये साक्ष्य के किसी अभिलेख में, या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में, अंतर्विष्ट सभी विशिष्टियों को, उप-धारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, उप-धारा (3) में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत करने या उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं करेगा।

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रकट किये जाने के लिए लागू नहीं होगी,-

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45), या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए, किसी कथन, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की या इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यरत किसी व्यक्ति की, कोई विशिष्टियां; या

(ग) जब किसी नोटिस की तामील या किसी मांग की वसूली के लिए किसी कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहियों में किसी सिविल न्यायालय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उद्भूत किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसे किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है, की कोई विशिष्टियां; या

(ड) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या अधिरोपित कर के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां; या

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचरण की किसी जांच के प्रयोजन के लिए जहां ऐसी विशिष्टियां सुसंगत हैं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की कोई विशिष्टियां; या

(छ) कर या शुल्क का उद्ग्रहण करने के लिए उस सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियां; या

(ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसकी शक्तियां किसी लोक सेवक या किसी अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां; या

(झ) किसी विधि व्यवसायी, किसी लागत लेखापाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट या, यथास्थिति, कंपनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायगत सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के लिए व्यवसायी अधिवक्ता, कर व्यवसायी, व्यवसायी लागत लेखापाल, व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायी कंपनी सचिव के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपों में की गयी किसी जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां; या

(ञ) डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजनों के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए, जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों को छोड़ कर ऐसी विशिष्टियों का उपयोग या उन्हें प्रकट करने के लिए संविदात्मक रूप से आबद्ध नहीं है, नियुक्त किसी अभिकरण की कोई विशिष्टियां; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए, जो आवश्यक हों, सरकार के किसी अधिकारी की ऐसी कोई विशिष्टियां; और

(ठ) प्रकाशन के लिए कराधेय व्यक्तियों के किसी वर्ग या संव्यवहारों के वर्ग, यदि, आयुक्त की राय में ऐसी सूचना को प्रकाशित करना लोकहित में वांछनीय है, से संबंधित कोई सूचना।

159. कतिपय मामलों में व्यक्तियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन.- (1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किन्हीं अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह ऐसे नाम और विशिष्टियों का, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रकाशन करा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक धारा 107 के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के समय का अपील प्रस्तुत किये बिना अवसान नहीं हो गया हो या यदि कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो तो उसका निपटारा न हो गया हो।

स्पष्टीकरण.- फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों या, यथास्थिति, संगम के सदस्यों के नाम भी प्रकाशित किये जा सकेंगे; यदि आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहरायें।

160. निर्धारण कार्यवाहियों, इत्यादि का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य न होना.- (1) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गयी, स्वीकृत की गयी, बनायी गयी, जारी की गयी, आरंभ की गयी, या किये जाने, स्वीकृत किये जाने, किये जाने, जारी किये जाने, आरंभ किये जाने के

लिए तात्पर्यित कोई अन्य कार्यवाहियां मात्र किसी भूल, त्रुटि या लोप के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी या अविधिमान्य नहीं समझी जायेंगी, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षाओं की अनुरूपता या के अनुसरण में सार और प्रभाव की हैं।

(2) किसी नोटिस, आदेश या संसूचना की तामील, प्रश्नगत नहीं की जायेगी, यदि नोटिस, आदेश या, यथास्थिति, संसूचना पर उस व्यक्ति जिसको यह जारी किया गया था, द्वारा पहले ही कार्यवाही कर ली गयी है या जहां ऐसी तामील को, ऐसे नोटिस, आदेश या संसूचना के अनुसरण में प्रारंभ किया गया, चालू या पूर्ण कर लिया गया है, पूर्वतर कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया गया है।

161. अभिलेख को देखने से ही प्रकट त्रुटियों का परिशोधन.- धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जिसने कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज पारित या जारी किया है, किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है, या तो स्वःप्रेरणा से या जहां ऐसी त्रुटि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा या प्रभावित व्यक्ति द्वारा ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर उसकी जानकारी में लाई जाती है:

परन्तु ऐसा परिशोधन, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की कालावधि के पश्चात् नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि उक्त छह मास की कालावधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन शुद्ध रूप में लिपिकीय या अंकगणितीय

त्रुटि, जो किसी घटनावश चूक या लोप से उद्भूत हो, के सुधार की प्रकृति की है:

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा परिशोधन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का ऐसे परिशोधन किये जाने के प्राधिकारी द्वारा पालन किया जायेगा।

162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- धारा 117 और 118 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से उद्भूत किसी प्रश्न को विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी।

163. फीस का उद्ग्रहण.- जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति किसी व्यक्ति को उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किये गये आवेदन पर उपलब्ध करायी जाती है, वहां यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जायेगी।

164. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले, जो विहित किये जाने अपेक्षित हैं या जो विहित किये जायें, या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं या जो किये जायें, नियम बना सकेगी।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में नियमों या उनमें से किसी नियम को उस तारीख से जो उस तारीख से पूर्ववर्ती नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन बनाये गये नियम यह उपबंध करते हैं कि उनके उल्लंघन पर दस हजार से अनधिक की शास्ति के दायी होंगे।

165. विनियम बनाने की शक्ति.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी।

166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे इस प्रकार बनाये जाने या जारी किये जाने के पश्चात् राज्य विधान-मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिवस की कालावधि के लिए जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की या पूर्वोक्त उत्तरोत्तर सत्रों के ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल नियम या विनियम या, यथास्थिति, अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाता है, या राज्य विधान-मण्डल इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि ऐसे कोई नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनायी जानी चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, विनियम या, यथास्थिति, अधिसूचना केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण, उस नियम या विनियम या, यथास्थिति, अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

167. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने योग्य कोई शक्ति, किसी दूसरे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग किये जाने योग्य हो सकेगी।

168. अनुदेश या निदेश जारी करने की शक्ति.- आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे, और तत्पश्चात् इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे

अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे।

169. कतिपय परिस्थितियों में नोटिस की तामील.- (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके द्वारा तामील की जायेगी, अर्थात्:-

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अधिवक्ता या किसी कर व्यवसायी, जिसके पास कराधेय व्यक्ति के निमित्त कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है, या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित किसी व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ निवास करने वाले कुटुंब के किसी वयस्क व्यक्ति को किसी संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा सीधे देकर या निविदत्त करके; या

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे यह आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, के कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर, रसीदी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय उपलब्ध कराये गये या समय-समय पर यथासंशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा; या

(ङ) उस समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा जिसका चलन उस परिक्षेत्र में है, जहां कराधेय व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसको यह जारी किया गया था, के अंतिम ज्ञात निवास स्थान जहां वह निवास करता था, कारबार करता था या व्यक्तिगत रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता था; या

(च) यदि उपर्युक्त में से कोई तरीका व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसा तरीका भी व्यवहारिक नहीं हो तो संबद्ध

कार्यालय या प्राधिकारी जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जायेगी।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या कोई संसूचना उस तारीख को तामील की हुई समझी जायेगी जिस पर इसे निविदत्त या प्रकाशित किया गया या उसकी एक प्रति उप-धारा (1) में उपबंधित रीति से वहां चिपकाई गयी थी।

(3) जब ऐसा विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या कोई संसूचना रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाये, तो जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, सामान्यतः जितनी कालावधि ऐसी डाक के अभिवहन में लगती है, उस कालावधि के अवसान पर, प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जायेगा।

170. कर इत्यादि का पूर्णांकन करना.- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माने की रकम या कोई अन्य संदेय राशि और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय राशि निकटतम रुपये के लिए पूर्णांकित की जायेगी और, इस प्रयोजन के लिए, जहां ऐसी रकम में रुपये का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो उसको एक रुपये तक बढ़ाया जायेगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इसे अनदेखा किया जायेगा।

171. मुनाफाखोरी निवारण उपाय.- (1) किसी माल या सेवाओं के किसी प्रदाय पर या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में कोई कमी कीमतों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तिकर्ता को दे दी जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यह परीक्षा करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के अनुरूप उसके द्वारा प्रदाय किये गये माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में वास्तव में कमी हुई है, किसी प्राधिकारी का गठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी विद्यमान प्राधिकारी को सशक्त कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जाएं।

172. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, राजपत्र में प्रकाशित किसी साधारण या किसी विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों, जो उक्त कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

173. कतिपय अधिनियमों का संशोधन.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,-

(i) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) में धारा 65 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर;"

(ii) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में धारा 102 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ड) मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर कर;" और

(iii) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) का विद्यमान अध्याय 11 (धारा 54 से 61, दोनों सम्मिलित) हटाया जायेगा।

174. निरसन और व्यावृत्ति.- (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) का इसके द्वारा निरसन किया जाता है:-

(i) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के सिवाय, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(ii) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24);

(iii) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर यानों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं. 14);

(iv) राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9);

(v) राजस्थान विलासों (तम्बाकू और उसके उत्पाद) पर कर अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 11); और

(vi) राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 13)।

(2) उप-धारा (1) या धारा 173 में उल्लिखित सीमा तक, उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "ऐसा संशोधन" या, यथास्थिति, "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),-

(क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय, कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या

(ख) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों और उनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात या आदेशों के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों या ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन आदेशों के अधीन किसी अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा:

परन्तु किसी अधिसूचना के माध्यम से विनिधान के प्रति किसी प्रोत्साहन के रूप में मंजूर की गयी कोई कर छूट विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिवस को या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है; या

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, जो शोध्य हैं या शोध्य हो सकते हैं, या किसी समपहरण या दण्ड को जो, संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के विरुद्ध किये गये किसी अपराध या अतिक्रमण के संबंध में उपगत या दिया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियां, न्यायनिर्णयन और कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां या बकाया की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार, और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और लेखापरीक्षा को सम्मिलित करते हुए), निर्धारण कार्यवाहियों, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा या बकाया की वसूली या उपचार को संस्थित किया, जारी रखा, या प्रवृत्त किया, जा सकेगा, और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इन अधिनियमों को इस प्रकार संशोधित या निरसित नहीं किया गया हो; या

(च) कोई कार्यवाहियां, जो उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन नियत दिवस को, उससे पूर्व, या उसके पश्चात् संस्थित किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित हैं, को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियमों या निरसित अधिनियमों के अधीन जारी रखी जा सकेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया हो।

(3) धारा 173 और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों के उल्लेख को निरसन के प्रभाव के संदर्भ में राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों के व्यापक रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जायेगा।

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

प्रतिफल के बिना किये गये क्रियाकलाप भी प्रदाय के रूप में माने जायेंगे

1. कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान, जहां ऐसी आस्तियों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है।
2. धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय, जब कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में, किया गया है:

परन्तु किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को किसी वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दिया गया दान, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय नहीं माना जायेगा।

3. (क) किसी प्रधान द्वारा उसके अभिकर्ता को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता प्रधान के निमित्त ऐसे माल का प्रदाय करने का जिम्मा लेता है; या
(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके प्रधान को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता प्रधान के निमित्त ऐसे माल को प्राप्त करने का जिम्मा लेता है।
4. किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में, भारत से बाहर किसी संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात।

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जायेगा

1. अंतरण

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है;

(ख) माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का, उसके हक के अंतरण के बिना, कोई अंतरण, सेवाओं का प्रदाय है;

(ग) किसी करार के अधीन किया गया माल में के हक का कोई अंतरण जो नियत करता है कि माल में की संपत्ति का करार पाये गये पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर, भविष्य की तारीख को हस्तान्तरित करेगा, माल का प्रदाय है।

2. भूमि और भवन

(क) कोई पट्टा, अभिधृति, सुखाचार, भूमि के अधिभोग की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है;

(ख) किसी भवन, जिसमें कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स सम्मिलित है, को या तो पूर्णतः या भागतः किसी पट्टे या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है।

3. उपचार या प्रक्रिया

कोई उपचार या प्रक्रिया जो दूसरे व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है।

4. कारबार आस्तियों का अंतरण

(क) जहां माल जो किसी कारबार की संपत्ति का भाग है, को कारबार करने वाले व्यक्ति के द्वारा या उसके निदेशों के अधीन अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है इससे अधिक वह उन आस्तियों का आगे हिस्सा न रहें, चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो, ऐसा अंतरण या व्ययन, ऐसे व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है;

(ख) जहां, कारबार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उसके निदेश के अधीन, कारबार के प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग किये गये माल को कारबार के प्रयोजनों से भिन्न किसी निजी उपयोग के लिए रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है या किसी व्यक्ति को कारबार के प्रयोजन के सिवाय किसी प्रयोजन में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न

हो, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्ध करवाना, सेवाओं का प्रदाय है;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में नहीं रहता है, वहां कोई माल जो उसके द्वारा किये जा रहे कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति नहीं रहने से ठीक पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जायेगा, जब तक कि-

(i) दूसरे व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण नहीं कर दिया जाता है; या

(ii) कारबार ऐसे व्यैक्तिक प्रतिनिधि द्वारा नहीं चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जायेगा।

5. सेवाओं का प्रदाय

निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जायेगा, अर्थात्:-

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना;

(ख) वहां के सिवाय जहां समापन प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने या प्रथम अधिभोग के पश्चात्, जो भी पहले हो, पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया गया है, कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग, जिसके अंतर्गत किसी क्रेता को पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित किसी कॉम्प्लेक्स या भवन सम्मिलित है, का सन्निर्माण।

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए-

(1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है और ऐसे प्राधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित न होने के मामले में, निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 20) के अधीन गठित वास्तुकला परिषद् से रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद्; या

(ii) अभियंता संस्थान (भारत) से रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड अभियंता; या

(iii) क्रमशः शहर या कस्बा या गांव के स्थानीय निकाय का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक, अथवा विकास या योजना प्राधिकारी;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" में किसी विद्यमान सिविल संरचना का परिवर्धन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण सम्मिलित है;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार का अस्थाई अंतरण या उपयोग या उपभोग की अनुमति देना;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, विशिष्ट रूप से निर्माण, अनुकूलन, उन्नयन, वृद्धि, क्रियान्वयन;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता से सहमत होना, या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना, या किसी कार्य का करना; और

(च) किसी प्रयोजन के लिए (चाहे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हो या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु किसी माल का उपयोग करने के अधिकार का अंतरण।

6. संयुक्त प्रदाय

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 2 के खण्ड (119) में यथा परिभाषित संकर्म संविदा; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या भाग के रूप में या किसी अन्य रीति से, जो भी हो, माल का प्रदाय जिसमें खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु मद्यसारिक पान से भिन्न) आता है, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।

7. माल का प्रदाय

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जायेगा, अर्थात्:-

किसी भी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, माल का प्रदाय।

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

1. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में या उसके संबंध में किसी नियोजक को दी गयी सेवाएं।
 2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं।
 3. (क) संसद् के सदस्यों, राज्य विधान-मण्डल के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों द्वारा पालन किये गये कृत्य;

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा पालन किये गये कर्तव्य जो ऐसी हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारित करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित किसी निकाय में अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में और जिसे इस खण्ड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा गया हो, पालन किये गये कर्तव्य।
 4. मृतक के परिवहन को सम्मिलित करते हुए, अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर की सेवाएं।
 5. अनुसूची-2 के पैरा 5 के खण्ड (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए भूमि का विक्रय और भवन का विक्रय।
 6. लाटरी, दांव और जुआं से भिन्न अनुयोज्य दावे।
- स्पष्टीकरण.-** पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, पद "न्यायालय" में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 28, 2017

No. F. 2 (34) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Maal aur Seva Kar Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 9) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(Act No. 9 of 2017)

(Received the assent of the Governor on the 28th day of April 2017)

An

Act

to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State of Rajasthan and the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(1) “actionable claim” shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act No. 4 of 1882) ;

(2) “address of delivery” means the address of the recipient of goods or services or both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both;

(3) “address on record” means the address of the recipient as available in the records of the supplier;

(4) “adjudicating authority” means any authority, appointed or authorised to pass any order or decision under this Act, but does not include the Commissioner, Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority and the Appellate Tribunal;

(5) “agent” means a person, including a factor, broker, commission agent, *arhatia*, *del credere* agent, an auctioneer or any other mercantile agent, by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another;

(6) “aggregate turnover” means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis), exempt supplies, exports of goods or services or both and inter-State supplies of persons having the same Permanent Account Number, to be computed on all India basis but excludes central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

(7) “agriculturist” means an individual or a Hindu Undivided Family who undertakes cultivation of land-

(a) by own labour, or

(b) by the labour of family, or

(c) by servants on wages payable in cash or kind or by hired labour under personal supervision or the personal supervision of any member of the family;

(8) “Appellate Authority” means an authority appointed or authorised to hear appeals as referred to in section 107;

(9) "Appellate Tribunal" means the Goods and Services Tax Appellate Tribunal referred to in section 109;

(10) “appointed day” means the date on which the provisions of this Act shall come into force;

(11) “assessment” means determination of tax liability under this Act and includes self-assessment, re-assessment, provisional assessment, summary assessment and best judgment assessment;

(12) “associated enterprises” shall have the same meaning as assigned to it in section 92A of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);

(13) “audit” means the examination of records, returns and other documents maintained or furnished by the registered person under this Act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(14) “authorised bank” shall mean a bank or a branch of a bank authorised by the Central Government to collect the tax or any other amount payable under this Act;

(15) “authorised representative” means the representative as referred to in section 116;

(16) “Board” means the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (Central Act No. 54 of 1963);

(17) “business” includes-

(a) any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit;

(b) any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to sub-clause (a);

(c) any activity or transaction in the nature of sub-clause (a), whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;

(d) supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business;

(e) provision by a club, association, society, or any such body (for a subscription or any other

consideration) of the facilities or benefits to its members;

(f) admission, for a consideration, of persons to any premises;

(g) services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation;

(h) services provided by a race club by way of totalisator or a licence to book maker in such club; and

(i) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities;

(18) “business vertical” means a distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals.

Explanation.- For the purposes of this clause, factors that should be considered in determining whether goods or services are related include-

(a) the nature of the goods or services;

(b) the nature of the production processes;

(c) the type or class of customers for the goods or services;

(d) the methods used to distribute the goods or supply of services; and

(e) the nature of regulatory environment (wherever applicable), including banking, insurance or public utilities;

(19) “capital goods” means goods, the value of which is capitalised in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to be used in the course or furtherance of business;

(20) “casual taxable person” means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or in any other

capacity, in the taxable territory where he has no fixed place of business;

(21) “central tax” means the central goods and services tax levied under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act;

(22) “cess” shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act;

(23) “chartered accountant” means a chartered accountant as defined in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949);

(24) “Commissioner” means the Commissioner of State tax appointed under section 3 and includes the Principal Commissioner or Chief Commissioner of State tax appointed under section 3;

(25) “Commissioner in the Board” means the Commissioner referred to in section 168 of the Central Goods and Services Tax Act;

(26) “common portal” means the common goods and services tax electronic portal referred to in section 146;

(27) “common working days” shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holidays by the Central Government or the Government of Rajasthan;

(28) “company secretary” means a company secretary as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Company Secretaries Act, 1980 (Central Act No. 56 of 1980);

(29) “competent authority” means such authority as may be notified by the Government;

(30) “composite supply” means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both, or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply;

Illustration.- *Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply;*

(31) “consideration” in relation to the supply of goods or services or both includes-

(a) any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government;

(b) the monetary value of any act or forbearance, in respect of, in response to, or for the inducement of, the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by the Central Government or a State Government:

Provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply;

(32) “continuous supply of goods” means a supply of goods which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular or periodic basis and includes supply of such goods as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;

(33) “continuous supply of services” means a supply of services which is provided, or agreed to be provided, continuously or on recurrent basis, under a contract, for a period exceeding three months with periodic payment obligations and includes supply of such services as the Government may, subject to such conditions, as it may, by notification, specify;

(34) “conveyance” includes a vessel, an aircraft and a vehicle;

(35) “cost accountant” means a cost accountant as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (Central Act No. 23 of 1959) ;

(36) “Council” means the Goods and Services Tax Council established under article 279A of the Constitution;

(37) “credit note” means a document issued by a registered person under sub-section (1) of section 34;

(38) “debit note” means a document issued by a registered person under sub-section (3) of section 34;

(39) “deemed exports” means such supplies of goods as may be notified under section 147;

(40) “designated authority” means such authority as may be notified by the Commissioner;

(41) “document” includes written or printed record of any sort and electronic record as defined in clause (t) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000);

(42) “drawback” in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty, tax or cess chargeable on any imported inputs or on any domestic inputs or input services used in the manufacture of such goods;

(43) “electronic cash ledger” means the electronic cash ledger referred to in sub-section (1) of section 49;

(44) “electronic commerce” means the supply of goods or services or both, including digital products over digital or electronic network;

(45) “electronic commerce operator” means any person who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce;

(46) “electronic credit ledger” means the electronic credit ledger referred to in sub-section (2) of section 49;

(47) “exempt supply” means supply of any goods or services or both which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11, or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act, and includes non-taxable supply;

(48) “existing law” means any law, notification, order, rule or regulation relating to levy and collection of duty or tax on goods or services or both passed or made before the commencement of this Act by the Legislature or any Authority or person having the power to make such law, notification, order, rule or regulation;

(49) “family” means,-

(i) the spouse and children of the person,
and

(ii) the parents, grand-parents, brothers and sisters of the person if they are wholly or mainly dependent on the said person;

(50) "fixed establishment" means a place (other than the registered place of business) which is characterised by a sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resources to supply services, or to receive and use services for its own needs;

(51) "Fund" means the Consumer Welfare Fund established under section 57;

(52) "goods" means every kind of movable property other than money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply;

(53) "Government" means the Government of Rajasthan;

(54) "Goods and Services Tax (Compensation to States) Act" means the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017(Central Act No. 15 of 2017) ;

(55) "goods and services tax practitioner" means any person who has been approved under section 48 to act as such practitioner;

(56) "India" means the territory of India as referred to in article 1 of the Constitution, its territorial waters, seabed and sub-soil underlying such waters, continental shelf, exclusive economic zone or any other maritime zone as referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Central Act No. 80 of 1976), and the air space above its territory and territorial waters;

(57) "Integrated Goods and Services Tax Act" means the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 13 of 2017);

(58) "integrated tax" means the integrated goods and services tax levied under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(59) "input" means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

(60) “input service” means any service used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business;

(61) “Input Service Distributor” means an office of the supplier of goods or services or both which receives tax invoices issued under section 31 towards the receipt of input services and issues a prescribed document for the purposes of distributing the credit of central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax paid on the said services to a supplier of taxable goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the said office;

(62) “input tax” in relation to a registered person, means the central tax, State tax, integrated tax or Union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes-

(a) the integrated goods and services tax charged on import of goods;

(b) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9;

(c) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act; or

(d) the tax payable under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act,

but does not include the tax paid under the composition levy;

(63) “input tax credit” means the credit of input tax;

(64) “intra-State supply of goods” shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(65) “intra-State supply of services” shall have the same meaning as assigned to it in section 8 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(66) “invoice” or “tax invoice” means the tax invoice referred to in section 31;

(67) “inward supply” in relation to a person, shall mean receipt of goods or services or both whether by purchase, acquisition or any other means, with or without consideration;

(68) “job work” means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person and the expression “job worker” shall be construed accordingly;

(69) “local authority” means-

(a) a “Panchayat” as defined in clause (d) of article 243 of the Constitution;

(b) a “Municipality” as defined in clause (e) of article 243P of the Constitution;

(c) a Municipal Committee, a Zilla Parishad, a District Board, and any other authority legally entitled to, or entrusted by the Central Government or any State Government with the control or management of a municipal or local fund;

(d) a Cantonment Board as defined in section 3 of the Cantonments Act, 2006 (Central Act No. 41 of 2006);

(e) a Regional Council or a District Council constituted under the Sixth Schedule to the Constitution;

(f) a Development Board constituted under article 371 of the Constitution; or

(g) a Regional Council constituted under article 371A of the Constitution;

(70) “location of the recipient of services” means,-

(a) where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is received at more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the receipt of the supply; and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the recipient;

(71) “location of the supplier of services” means,-

(a) where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business;

(b) where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained (a fixed establishment elsewhere), the location of such fixed establishment;

(c) where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provisions of the supply; and

(d) in absence of such places, the location of the usual place of residence of the supplier;

(72) “manufacture” means processing of raw material or inputs in any manner that results in emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturer” shall be construed accordingly;

(73) “market value” shall mean the full amount which a recipient of a supply is required to pay in order to obtain the goods or services or both of like kind and quality at or about the same time and at the same commercial level where the recipient and the supplier are not related;

(74) “mixed supply” means two or more individual supplies of goods or services, or any combination thereof, made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply.

Illustration.- *A supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately;*

(75) “money” means the Indian legal tender or any foreign currency, cheque, promissory note, bill of exchange, letter of credit, draft, pay order, traveller cheque, money order, postal or electronic remittance or any other instrument recognized by the Reserve Bank of India when

used as a consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination but shall not include any currency that is held for its numismatic value;

(76) “motor vehicle” shall have the same meaning as assigned to it in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988);

(77) “non-resident taxable person” means any person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India;

(78) “non-taxable supply” means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(79) “non-taxable territory” means the territory which is outside the taxable territory;

(80) “notification” means a notification published in the Official Gazette and the expressions ‘notify’ and ‘notified’ shall be construed accordingly;

(81) “other territory” includes territories other than those comprising in a State and those referred to in sub-clauses (a) to (e) of clause (114);

(82) “output tax” in relation to a taxable person, means the tax chargeable under this Act on taxable supply of goods or services or both made by him or by his agent but excludes tax payable by him on reverse charge basis;

(83) “outward supply” in relation to a taxable person, means supply of goods or services or both, whether by sale, transfer, barter, exchange, licence, rental, lease or disposal or any other mode, made or agreed to be made by such person in the course or furtherance of business;

(84) “person” includes-

- (a) an individual;
- (b) a Hindu Undivided Family;
- (c) a company;
- (d) a firm;
- (e) a Limited Liability Partnership;
- (f) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India;

(g) any corporation established by or under any Central Act, State Act or Provincial Act or a Government company as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);

(h) anybody corporate incorporated by or under the laws of a country outside India;

(i) a co-operative society registered under any law relating to co-operative societies;

(j) a local authority;

(k) Central Government or a State Government;

(l) society as defined under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860);

(m) trust; and

(n) every artificial juridical person, not falling within any of the above;

(85) “place of business” includes-

(a) a place from where the business is ordinarily carried on, and includes a warehouse, a godown or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both; or

(b) a place where a taxable person maintains his books of account; or

(c) a place where a taxable person is engaged in business through an agent, by whatever name called;

(86) “place of supply” means the place of supply as referred to in Chapter V of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(87) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act on the recommendations of the Council;

(88) “principal” means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply or receipt of goods or services or both;

(89) “principal place of business” means the place of business specified as the principal place of business in the certificate of registration;

(90) “principal supply” means the supply of goods or services which constitutes the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary;

(91) “proper officer” in relation to any function to be performed under this Act, means the Commissioner or the officer of the State tax who is assigned that function by the Commissioner;

(92) “quarter” shall mean a period comprising three consecutive calendar months, ending on the last day of March, June, September and December of a calendar year;

(93) “recipient” of supply of goods or services or both, means-

(a) where a consideration is payable for the supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration;

(b) where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of the goods is given or made available; and

(c) where no consideration is payable for the supply of a service, the person to whom the service is rendered,

and any reference to a person to whom a supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting as such on behalf of the recipient in relation to the goods or services or both supplied;

(94) “registered person” means a person who is registered under section 25 but does not include a person having a Unique Identity Number;

(95) “regulations” means the regulations made by the Government under this Act on the recommendations of the Council;

(96) “removal” in relation to goods, means-

(a) despatch of the goods for delivery by the supplier thereof or by any other person acting on behalf of such supplier; or

(b) collection of the goods by the recipient thereof or by any other person acting on behalf of such recipient;

(97) “return” means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this Act or the rules made thereunder;

(98) “reverse charge” means the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9, or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act;

(99) “Revisional Authority” means an authority appointed or authorised for revision of decision or orders as referred to in section 108;

(100) “Schedule” means a Schedule appended to this Act;

(101) “securities” shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956);

(102) “services” means anything other than goods, money and securities but includes activities relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode, from one form, currency or denomination, to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged;

(103) “State” means the State of Rajasthan;

(104) “State tax” means the tax levied under this Act;

(105) “supplier” in relation to any goods or services or both, shall mean the person supplying the said goods or services or both and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied;

(106) “tax period” means the period for which the return is required to be furnished;

(107) “taxable person” means a person who is registered or liable to be registered under section 22 or section 24;

(108) “taxable supply” means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this Act;

(109) “taxable territory” means the territory to which the provisions of this Act apply;

(110) “telecommunication service” means service of any description (including electronic mail, voice mail, data services, audio text services, video text services, radio paging and cellular mobile telephone services) which is made available to users by means of any transmission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature, by wire, radio, visual or other electromagnetic means;

(111) “the Central Goods and Services Tax Act” means the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act No. 12 of 2017);

(112) “turnover in State” or “turnover in Union territory” means the aggregate value of all taxable supplies (excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis) and exempt supplies made within a State or Union territory by a taxable person, exports of goods or services or both and inter-State supplies of goods or services or both made from the State or Union territory by the said taxable person but excludes Central tax, State tax, Union territory tax, integrated tax and cess;

(113) “usual place of residence” means-

(a) in case of an individual, the place where he ordinarily resides;

(b) in other cases, the place where the person is incorporated or otherwise legally constituted;

(114) “Union territory” means the territory of-

(a) the Andaman and Nicobar Islands;

(b) Lakshadweep;

(c) Dadra and Nagar Haveli;

(d) Daman and Diu;

(e) Chandigarh; and

(f) other territory;

Explanation.- For the purposes of this Act, each of the territories specified in sub-clauses (a) to (f) shall be considered to be a separate Union territory;

(115) “Union territory tax” means the Union territory goods and services tax levied under the Union Territory Goods and Services Tax Act;

(116) “Union Territory Goods and Services Tax Act” means the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(Central Act No. 14 of 2017);

(117) “valid return” means a return furnished under sub-section (1) of section 39 on which self-assessed tax has been paid in full;

(118) “voucher” means an instrument where there is an obligation to accept it as consideration or part consideration for a supply of goods or services or both and where the goods or services or both to be supplied or the identities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in related documentation, including the terms and conditions of use of such instrument;

(119) “works contract” means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract;

(120) words and expressions used and not defined in this Act but defined in the Integrated Goods and Services Tax Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Union Territory Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

CHAPTER II ADMINISTRATION

3. Officers under this Act.- The Government shall, by notification, appoint the following classes of officers for the purposes of this Act, namely:-

- (a) Principal Commissioner or Chief Commissioner of State tax,
- (b) Special Commissioners of State tax,
- (c) Additional Commissioners of State tax,
- (d) Joint Commissioners of State tax,
- (e) Deputy Commissioners of State tax,
- (f) Assistant Commissioners of State tax, and

(g) any other class of officers as it may deem fit:

Provided that, the officers appointed under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Act.

4. Appointment of officers.- (1) The Government may, in addition to the officers as may be notified under section 3, appoint such persons as it may think fit to be the officers under this Act.

(2) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State, the Special Commissioner and an Additional Commissioner in respect of all or any of the functions assigned to them, shall have jurisdiction over the whole of the State or where the State Government so directs, over any local area thereof, and all other officers shall, subject to such conditions as may be specified, have jurisdiction over the whole of the State or over such local areas as the Commissioner may, by order, specify.

5. Powers of officers.- (1) Subject to such conditions and limitations as the Commissioner may impose, an officer of State tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on him under this Act.

(2) An officer of State tax may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under this Act on any other officer of State tax who is subordinate to him.

(3) The Commissioner may, subject to such conditions and limitations as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate to him.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, an Appellate Authority shall not exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on any other officer of State tax.

6. Authorisation of officers of central tax as proper officer in certain circumstances.- (1) Without prejudice to the provisions of this Act, the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act are authorised to be the proper officers for the purposes of this Act, subject to such conditions as the Government shall, on the recommendations of the Council, by notification, specify.

(2) Subject to the conditions specified in the notification issued under sub-section (1),-

(a) where any proper officer issues an order under this Act, he shall also issue an order under the Central

Goods and Services Tax Act, as authorised by the said Act under intimation to the jurisdictional officer of central tax;

(b) where a proper officer under the Central Goods and Services Tax Act has initiated any proceedings on a subject matter, no proceedings shall be initiated by the proper officer under this Act on the same subject matter.

(3) Any proceedings for rectification, appeal and revision, wherever applicable, of any order passed by an officer appointed under this Act, shall not lie before an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act.

CHAPTER III LEVY AND COLLECTION OF TAX

7. Scope of supply.- (1) For the purposes of this Act, the expression “supply” includes-

(a) all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business;

(b) import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business;

(c) the activities specified in Schedule I, made or agreed to be made without a consideration; and

(d) the activities to be treated as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),-

(a) activities or transactions specified in Schedule III; or

(b) such activities or transactions undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Government may, on the recommendations of the Council, specify, by notification, the transactions that are to be treated as-

(a) a supply of goods and not as a supply of services; or

(b) a supply of services and not as a supply of goods.

8. Tax liability on composite and mixed supplies.- The tax liability on a composite or a mixed supply shall be determined in the following manner, namely:-

(a) a composite supply comprising two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply; and

(b) a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax.

9. Levy and collection.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), there shall be levied a tax called the Rajasthan goods and services tax on all intra-State supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption, on the value determined under section 15 and at such rates, not exceeding twenty per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person.

(2) The State tax on the supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel, shall be levied with effect from such date as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

(3) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(4) The State tax in respect of the supply of taxable goods or services or both by a supplier, who is not registered, to a registered person shall be paid by such person on reverse charge basis as the recipient and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both.

(5) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify categories of services the tax on intra-State supplies of which shall be paid by the electronic

commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this Act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services:

Provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax:

Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax.

10. Composition levy.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees may opt to pay, in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding,-

(a) one per cent. of the turnover in State in case of a manufacturer,

(b) two and a half per cent. of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II, and

(c) half per cent. of the turnover in State in case of other suppliers,

subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:

Provided that the Government may, by notification, increase the said limit of fifty lakh rupees to such higher amount, not exceeding one crore rupees, as may be recommended by the Council.

(2) The registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if-

(a) he is not engaged in the supply of services other than supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II;

(b) he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under this Act;

(c) he is not engaged in making any inter-State outward supplies of goods;

(d) he is not engaged in making any supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52; and

(e) he is not a manufacturer of such goods as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under sub-section (1) unless all such registered persons opt to pay tax under that sub-section.

(3) The option availed of by a registered person under sub-section (1) shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified under sub-section (1).

(4) A taxable person to whom the provisions of sub-section (1) apply shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him nor shall he be entitled to any credit of input tax.

(5) If the proper officer has reasons to believe that a taxable person has paid tax under sub-section (1) despite not being eligible, such person shall, in addition to any tax that may be payable by him under any other provisions of this Act, be liable to a penalty and the provisions of section 73 or section 74 shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of tax and penalty.

11. Power to grant exemption from tax.- (1) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, goods or services or both of any specified description from the whole or any part of the tax leviable thereon with effect from such date as may be specified in such notification.

(2) Where the Government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may, on the recommendations of the Council, by special order in each case, under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, exempt from payment of tax any goods or services or both on which tax is leviable.

(3) The Government may, if it considers necessary or expedient so to do for the purpose of clarifying the scope or applicability of any notification issued under sub-section (1) or order issued under sub-section (2), insert an explanation in such notification or order, as the case may be, by notification at any time within one year of issue of the notification under sub-section (1) or order under sub-section (2), and every such explanation shall have effect as if it had always been the part of the first such notification or order, as the case may be.

(4) Any notification issued by the Central Government, on the recommendations of the Council, under sub-section (1) of section 11 or order issued under sub-section (2) of the said section of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a notification or, as the case may be, an order issued under this Act.

Explanation.- For the purposes of this section, where an exemption in respect of any goods or services or both from the whole or part of the tax leviable thereon has been granted absolutely, the registered person supplying such goods or services or both shall not collect the tax, in excess of the effective rate, on such supply of goods or services or both.

CHAPTER IV TIME AND VALUE OF SUPPLY

12. Time of supply of goods.- (1) The liability to pay tax on goods shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of goods shall be the earlier of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required, under sub-section (1) of section 31, to issue the invoice with respect to the supply;
or

(b) the date on which the supplier receives the payment with respect to the supply:

Provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount.

Explanation 1.- For the purposes of clauses (a) and (b), “supply” shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment.

Explanation 2.- For the purposes of clause (b), “the date on which the supplier receives the payment” shall be the date on which the payment is entered in his books of account or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely:-

(a) the date of the receipt of goods; or

(b) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(c) the date immediately following thirty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b) or clause (c), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall-

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

13. Time of supply of services.- (1) The liability to pay tax on services shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.

(2) The time of supply of services shall be the earliest of the following dates, namely:-

(a) the date of issue of invoice by the supplier, if the invoice is issued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(b) the date of provision of service, if the invoice is not issued within the period prescribed under sub-section (2) of section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or

(c) the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account, in a case where the provisions of clause (a) or clause (b) do not apply:

Provided that where the supplier of taxable service receives an amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount.

Explanation.- For the purposes of clauses (a) and (b)-

(i) the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment;

(ii) “the date of receipt of payment” shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

(3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:-

(a) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or

(b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

Provided further that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

(4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be-

(a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or

(b) the date of redemption of voucher, in all other cases.

(5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall,-

(a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or

(b) in any other case, be the date on which the tax is paid.

(6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.

14. Change in rate of tax in respect of supply of goods or services.- Notwithstanding anything contained in section 12 or section 13, the time of supply, where there is a change in the rate of tax in respect of goods or services or both, shall be determined in the following manner, namely:-

(a) in case the goods or services or both have been supplied before the change in rate of tax,-

(i) where the invoice for the same has been issued and the payment is also received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(ii) where the invoice has been issued prior to the change in rate of tax but payment is received after the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice; or

(iii) where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax, the

time of supply shall be the date of receipt of payment;

(b) in case the goods or services or both have been supplied after the change in rate of tax,-

(i) where the payment is received after the change in rate of tax but the invoice has been issued prior to the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment; or

(ii) where the invoice has been issued and payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of receipt of payment or date of issue of invoice, whichever is earlier; or

(iii) where the invoice has been issued after the change in rate of tax but the payment is received before the change in rate of tax, the time of supply shall be the date of issue of invoice:

Provided that the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after four working days from the date of change in the rate of tax.

Explanation.- For the purposes of this section, “the date of receipt of payment” shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.

15. Value of taxable supply.- (1) The value of a supply of goods or services or both shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply.

(2) The value of supply shall include-

(a) any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than this Act, the Central Goods and Services Tax Act and the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, if charged separately by the supplier;

(b) any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both;

(c) incidental expenses, including commission and packing, charged by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of, or before delivery of goods or supply of services;

(d) interest or late fee or penalty for delayed payment of any consideration for any supply; and

(e) subsidies directly linked to the price excluding subsidies provided by the Central Government and State Governments.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the amount of subsidy shall be included in the value of supply of the supplier who receives the subsidy.

(3) The value of the supply shall not include any discount which is given-

(a) before or at the time of the supply if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply; and

(b) after the supply has been effected, if-

(i) such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoices; and

(ii) input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply.

(4) Where the value of the supply of goods or services or both cannot be determined under sub-section (1), the same shall be determined in such manner as may be prescribed.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (4), the value of such supplies as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be determined in such manner as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this Act,-

(a) persons shall be deemed to be “related persons” if -

(i) such persons are officers or directors of one another's businesses;

(ii) such persons are legally recognised partners in business;

- (iii) such persons are employer and employee;
- (iv) any person directly or indirectly owns, controls or holds twenty-five per cent. or more of the outstanding voting stock or shares of both of them;
- (v) one of them directly or indirectly controls the other;
- (vi) both of them are directly or indirectly controlled by a third person;
- (vii) together they directly or indirectly control a third person; or
- (viii) they are members of the same family;
- (b) the term "person" also includes legal persons;
- (c) persons who are associated in the business of one another in that one is the sole agent or sole distributor or sole concessionaire, howsoever described, of the other, shall be deemed to be related.

CHAPTER V INPUT TAX CREDIT

16. Eligibility and conditions for taking input tax credit.- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless,-

- (a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;
- (b) he has received the goods or services or both.

Explanation.- For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such

registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(c) subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(d) he has furnished the return under section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment:

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

(3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961), the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

17. Apportionment of credit and blocked credits.- (1)

Where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other

purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of his business.

(2) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero-rated supplies under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero-rated supplies.

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

(4) A banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provisions of sub-section (2), or avail of, every month, an amount equal to fifty per cent. of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month and the rest shall lapse:

Provided that the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year:

Provided further that the restriction of fifty per cent. shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same Permanent Account Number.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-

(a) motor vehicles and other conveyances except when they are used-

(i) for making the following taxable supplies, namely:-

(A) further supply of such vehicles or conveyances; or

(B) transportation of passengers; or

(C) imparting training on driving, flying, navigating such vehicles or conveyances;

(ii) for transportation of goods;

(b) the following supply of goods or services or both-

(i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery except where an inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre;

(iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where -

(A) the Government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employees under any law for the time being in force; or

(B) such inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as part of a taxable composite or mixed supply; and

(iv) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession;

(c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;

(d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant and machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business;

Explanation.- For the purposes of clauses (c) and (d), the expression “construction” includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property;

(e) goods or services or both on which tax has been paid under section 10;

(f) goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him;

(g) goods or services or both used for personal consumption;

(h) goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples; and

(i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.

(6) The Government may prescribe the manner in which the credit referred to in sub-sections (1) and (2) may be attributed.

Explanation.- For the purposes of this Chapter and Chapter VI, the expression “plant and machinery” means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both and includes such foundation and structural supports but excludes-

(i) land, building or any other civil structures;

(ii) telecommunication towers; and

(iii) pipelines laid outside the factory premises.

18. Availability of credit in special circumstances.- (1)

Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed-

(a) a person who has applied for registration under this Act within thirty days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this Act;

(b) a person who takes registration under sub-section (3) of section 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration;

(c) where any registered person ceases to pay tax under section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital

goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed;

(d) where an exempt supply of goods or services or both by a registered person becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relating to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable:

Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed.

(2) A registered person shall not be entitled to take input tax credit under sub-section (1) in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of one year from the date of issue of tax invoice relating to such supply.

(3) Where there is a change in the constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with the specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilised in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed.

(4) Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under section 10 or, where the goods or services or both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods, reduced by such percentage points as may be prescribed, on the day immediately preceding the date of exercising of such option or, as the case may be, the date of such exemption:

Provided that after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.

(5) The amount of credit under sub-section (1) and the amount payable under sub-section (4) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(6) In case of supply of capital goods or plant and machinery, on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15, whichever is higher:

Provided that where refractory bricks, moulds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value of such goods determined under section 15.

19. Taking input tax credit in respect of inputs and capital goods sent for job work.- (1) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on inputs sent to a job worker for job work.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 143 within one year of being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out:

Provided that where the inputs are sent directly to a job worker, the period of one year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker.

(4) The principal shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on capital goods sent to a job worker for job work.

(5) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2) of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are

directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business.

(6) Where the capital goods sent for job work are not received back by the principal within a period of three years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out:

Provided that where the capital goods are sent directly to a job worker, the period of three years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker.

(7) Nothing contained in sub-section (3) or sub-section (6) shall apply to moulds and dies, jigs and fixtures, or tools sent out to a job worker for job work.

Explanation.- For the purpose of this section, “principal” means the person referred to in section 143.

20. Manner of distribution of credit by Input Service Distributor.- (1) The Input Service Distributor shall distribute the credit of State tax as State tax or integrated tax and integrated tax as integrated tax or State tax, by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed in such manner as may be prescribed.

(2) The Input Service Distributor may distribute the credit subject to the following conditions, namely:-

(a) the credit can be distributed to the recipients of credit against a document containing such details as may be prescribed;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the current year, during the said relevant period;

(e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) the “relevant period” shall be-

(i) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or

(ii) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;

(b) the expression “recipient of credit” means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;

(c) the term “turnover”, in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entry 84 of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entry 51 and 54 of List II of the said Schedule.

21. Manner of recovery of credit distributed in excess.-

Where the Input Service Distributor distributes the credit in contravention of the provisions contained in section 20 resulting in excess distribution of credit to one or more recipients of credit, the excess credit so distributed shall be recovered from such recipients along with interest, and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of amount to be recovered.

CHAPTER - VI

REGISTRATION

22. Persons liable for registration.- (1) Every supplier making a taxable supply of goods or services or both in the State shall be liable to be registered under this Act if his aggregate turnover in a financial year exceeds twenty lakh rupees:

Provided that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from any of the special category States, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds ten lakh rupees.

(2) Every person who, on the day immediately preceding the appointed day, is registered or holds a licence under an existing law, shall be liable to be registered under this Act with effect from the appointed day.

(3) Where a business carried on by a taxable person registered under this Act is transferred, whether on account of succession or otherwise, to another person as a going concern, the transferee or the successor, as the case may be, shall be liable to be registered with effect from the date of such transfer or succession.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (3), in a case of transfer pursuant to sanction of a scheme or an arrangement for amalgamation or, as the case may be, de-merger of two or more companies pursuant to an order of a High Court, Tribunal or otherwise, the transferee shall be liable to be registered, with effect from the date on which the Registrar of Companies issues a certificate of incorporation giving effect to such order of the High Court or Tribunal.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(i) the expression “aggregate turnover” shall include all supplies made by the taxable person, whether on his own account or made on behalf of all his principals;

(ii) the supply of goods, after completion of job work, by a registered job worker shall be treated as the supply of goods by the principal referred to in section 143, and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker;

(iii) the expression “special category States” shall mean the States as specified in sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution.

23. Persons not liable for registration.- (1) The following persons shall not be liable to registration, namely:-

(a) any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act;

(b) an agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land.

(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

24. Compulsory registration in certain cases.- Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act,-

(i) persons making any inter-State taxable supply;

(ii) casual taxable persons making taxable supply;

(iii) persons who are required to pay tax under reverse charge;

(iv) persons who are required to pay tax under sub-section (5) of section 9;

(v) non-resident taxable persons making taxable supply;

(vi) persons who are required to deduct tax under section 51, whether or not separately registered under this Act;

(vii) persons who make taxable supply of goods or services or both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise;

(viii) Input Service Distributor, whether or not separately registered under this Act;

(ix) persons who supply goods or services or both, other than supplies specified under sub-section (5) of section 9, through such electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(x) every electronic commerce operator;

(xi) every person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and

(xii) such other person or class of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

25. Procedure for registration.- (1) Every person who is liable to be registered under section 22 or section 24 shall apply for registration within thirty days from the date on which he becomes liable to registration, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that a casual taxable person or a non-resident taxable person shall apply for registration at least five days prior to the commencement of business.

Explanation.- Every person who makes a supply from the territorial waters of India shall obtain registration in the State where the nearest point of the appropriate baseline is located in the State.

(2) A person seeking registration under this Act shall be granted a single registration:

Provided that a person having multiple business verticals in the State may be granted a separate registration for each business vertical, subject to such conditions as may be prescribed.

(3) A person, though not liable to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntarily, and all provisions of this Act, as are applicable to a registered person, shall apply to such person.

(4) A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or more than one State or Union territory shall, in respect of each such registration, be treated as distinct persons for the purposes of this Act.

(5) Where a person who has obtained or is required to obtain registration in a State or Union territory in respect of an establishment, has an establishment in another State or Union territory, then such establishments shall be treated as establishments of distinct persons for the purposes of this Act.

(6) Every person shall have a Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961) in order to be eligible for grant of registration:

Provided that a person required to deduct tax under section 51 may have, in lieu of a Permanent Account Number, a Tax Deduction and Collection Account Number issued under the said Act in order to be eligible for grant of registration.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), a non-resident taxable person may be granted registration under

sub-section (1) on the basis of such other documents as may be prescribed.

(8) Where a person who is liable to be registered under this Act fails to obtain registration, the proper officer may, without prejudice to any action which may be taken under this Act or under any other law for the time being in force, proceed to register such person in such manner as may be prescribed.

(9) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),-

(a) any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (Central Act No. 46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries; and

(b) any other person or class of persons, as may be notified by the Commissioner,

shall be granted a Unique Identity Number in such manner and for such purposes, including refund of taxes on the notified supplies of goods or services or both received by them, as may be prescribed.

(10) The registration or the Unique Identity Number shall be granted or rejected after due verification in such manner and within such period as may be prescribed.

(11) A certificate of registration shall be issued in such form and with effect from such date as may be prescribed.

(12) A registration or a Unique Identity Number shall be deemed to have been granted after the expiry of the period prescribed under sub-section (10), if no deficiency has been communicated to the applicant within that period.

26. Deemed registration.- (1) The grant of registration or the Unique Identity Number under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a grant of registration or the Unique Identity Number under this Act subject to the condition that the application for registration or the Unique Identity Number has not been rejected under this Act within the time specified in sub-section (10) of section 25.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (10) of section 25, any rejection of application for registration or the Unique Identity Number under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection of application for registration under this Act.

27. Special provisions relating to casual taxable person and non-resident taxable person.- (1) The certificate of

registration issued to a casual taxable person or a non-resident taxable person shall be valid for the period specified in the application for registration or ninety days from the effective date of registration, whichever is earlier and such person shall make taxable supplies only after the issuance of the certificate of registration:

Provided that the proper officer may, on sufficient cause being shown by the said taxable person, extend the said period of ninety days by a further period not exceeding ninety days.

(2) A casual taxable person or a non-resident taxable person shall, at the time of submission of application for registration under sub-section (1) of section 25, make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the registration is sought:

Provided that where any extension of time is sought under sub-section (1), such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period for which the extension is sought.

(3) The amount deposited under sub-section (2) shall be credited to the electronic cash ledger of such person and shall be utilised in the manner provided under section 49.

28. Amendment of registration.- (1) Every registered person and a person to whom a Unique Identity Number has been assigned shall inform the proper officer of any changes in the information furnished at the time of registration or subsequent thereto, in such form and manner and within such period as may be prescribed.

(2) The proper officer may, on the basis of information furnished under sub-section (1) or as ascertained by him, approve or reject amendments in the registration particulars in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that approval of the proper officer shall not be required in respect of amendment of such particulars as may be prescribed:

Provided further that the proper officer shall not reject the application for amendment in the registration particulars without giving the person an opportunity of being heard.

(3) Any rejection or approval of amendments under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a rejection or approval under this Act.

29. Cancellation of registration.- (1) The proper officer may, either on his own motion or on an application filed by the registered person or by his legal heirs, in case of death of such person, cancel the registration, in such manner and within such period as may be prescribed, having regard to the circumstances where,-

(a) the business has been discontinued, transferred fully for any reason including death of the proprietor, amalgamated with other legal entity, demerged or otherwise disposed of; or

(b) there is any change in the constitution of the business; or

(c) the taxable person, other than the person registered under sub-section (3) of section 25, is no longer liable to be registered under section 22 or section 24.

(2) The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit, where,-

(a) a registered person has contravened such provisions of the Act or the rules made thereunder as may be prescribed; or

(b) a person paying tax under section 10 has not furnished returns for three consecutive tax periods; or

(c) any registered person, other than a person specified in clause (b), has not furnished returns for a continuous period of six months; or

(d) any person who has taken voluntary registration under sub-section (3) of section 25 has not commenced business within six months from the date of registration; or

(e) registration has been obtained by means of fraud, wilful misstatement or suppression of facts:

Provided that the proper officer shall not cancel the registration without giving the person an opportunity of being heard.

(3) The cancellation of registration under this section shall not affect the liability of the person to pay tax and other dues under this Act or to discharge any obligation under this Act or the rules made thereunder for any period prior to the date of cancellation whether or not such tax and other dues are determined before or after the date of cancellation.

(4) The cancellation of registration under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a cancellation of registration under this Act.

(5) Every registered person whose registration is cancelled shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock or capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of such cancellation or the output tax payable on such goods, whichever is higher, calculated in such manner as may be prescribed:

Provided that in case of capital goods or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery under section 15, whichever is higher.

(6) The amount payable under sub-section (5) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

30. Revocation of cancellation of registration.- (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order.

(2) The proper officer may, in such manner and within such period as may be prescribed, by order, either revoke cancellation of the registration or reject the application:

Provided that the application for revocation of cancellation of registration shall not be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(3) The revocation of cancellation of registration under the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be a revocation of cancellation of registration under this Act.

CHAPTER VII

TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

31. Tax invoice.- (1) A registered person supplying taxable goods shall, before or at the time of,-

(a) removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods; or

(b) delivery of goods or making available thereof to the recipient, in any other case,

issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) A registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of service but within a prescribed period, issue a tax invoice, showing the description, value, tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification and subject to such conditions as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which-

(a) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(b) tax invoice may not be issued.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2),-

(a) a registered person may, within one month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him;

(b) a registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(c) a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;

(d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing receipt of such payment;

(e) where, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment, a refund voucher against such payment;

(f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;

(g) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier.

(4) In case of continuous supply of goods, where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or, as the case may be, each such payment is received.

(5) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (3), in case of continuous supply of services,-

(a) where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment;

(b) where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receives the payment;

(c) where the payment is linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event.

(6) In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or six months from the date of removal, whichever is earlier.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression “tax invoice” shall include any revised invoice issued by the supplier in respect of a supply made earlier.

32. Prohibition of unauthorised collection of tax- (1) A person who is not a registered person shall not collect in respect of any supply of goods or services or both any amount by way of tax under this Act.

(2) No registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

33. Amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents.- Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents, the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made.

34. Credit and debit notes.- (1) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to exceed the taxable value or tax payable in respect of such supply, or where the goods supplied are returned by the recipient, or where goods or services or both supplied are found to be deficient, the registered person, who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient a credit note containing such particulars as may be prescribed.

(2) Any registered person who issues a credit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued but not later than September following the end of the financial year in which such supply was

made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier, and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed:

Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the incidence of tax and interest on such supply has been passed on to any other person.

(3) Where a tax invoice has been issued for supply of any goods or services or both and the taxable value or tax charged in that tax invoice is found to be less than the taxable value or tax payable in respect of such supply, the registered person, who has supplied such goods or services or both, shall issue to the recipient a debit note containing such particulars as may be prescribed.

(4) Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued and the tax liability shall be adjusted in such manner as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of this Act, the expression “debit note” shall include a supplementary invoice.

CHAPTER VIII ACCOUNTS AND RECORDS

35. Accounts and other records.- (1) Every registered person shall keep and maintain, at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of-

- (a) production or manufacture of goods;
- (b) inward and outward supply of goods or services or both;
- (c) stock of goods;
- (d) input tax credit availed;
- (e) output tax payable and paid; and
- (f) such other particulars as may be prescribed:

Provided that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such places of business:

Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed.

(2) Every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed.

(3) The Commissioner may notify a class of taxable persons to maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein.

(4) Where the Commissioner considers that any class of taxable persons is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable persons to maintain accounts in such manner as may be prescribed.

(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed.

(6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of such tax.

36. Period of retention of accounts.- Every registered person required to keep and maintain books of account or other records in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 35 shall retain them until the expiry of seventy two months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records:

Provided that a registered person, who is a party to an appeal or revision or any other proceedings before any Appellate Authority or Revisional Authority or Appellate Tribunal or court, whether filed by him or by the Commissioner, or is under investigation for an offence under Chapter XIX, shall retain the books of account and other records pertaining to the subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a

period of one year after final disposal of such appeal or revision or proceedings or investigation, or for the period specified above, whichever is later.

CHAPTER IX RETURNS

37. Furnishing details of outward supplies.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a non-resident taxable person and a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, in such form and manner as may be prescribed, the details of outward supplies of goods or services or both effected during a tax period on or before the tenth day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies during the period from the eleventh day to the fifteenth day of the month succeeding the tax period:

Provided further that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided also that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(2) Every registered person who has been communicated the details under sub-section (3) of section 38 or the details pertaining to inward supplies of Input Service Distributor under sub-section (4) of section 38, shall either accept or reject the details so communicated, on or before the seventeenth day, but not before the fifteenth day, of the month succeeding the tax period and the details furnished by him under sub-section (1) shall stand amended accordingly.

(3) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (1) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account

of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (1) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression “details of outward supplies” shall include details of invoices, debit notes, credit notes and revised invoices issued in relation to outward supplies made during any tax period.

38. Furnishing details of inward supplies.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall verify, validate, modify or delete, if required, the details relating to outward supplies and credit or debit notes communicated under sub-section (1) of section 37 to prepare the details of his inward supplies and credit or debit notes and may include therein, the details of inward supplies and credit or debit notes received by him in respect of such supplies that have not been declared by the supplier under sub-section (1) of section 37.

(2) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52, shall furnish, electronically, the details of inward supplies of taxable goods or services or both, including inward supplies of goods or services or both on which the tax is payable on reverse charge basis under this Act and inward supplies of goods or services or both taxable under the Integrated Goods and Services Tax Act or on which integrated goods and services tax is payable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975), and credit or debit notes received in respect of such supplies during a tax period after the tenth day but on or before the fifteenth day of the month succeeding the tax period in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing such details for such class of taxable persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(3) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient and furnished under sub-section (2) shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(4) The details of supplies modified, deleted or included by the recipient in the return furnished under sub-section (2) or sub-section (4) of section 39 shall be communicated to the supplier concerned in such manner and within such time as may be prescribed.

(5) Any registered person, who has furnished the details under sub-section (2) for any tax period and which have remained unmatched under section 42 or section 43, shall, upon discovery of any error or omission therein, rectify such error or omission in the tax period during which such error or omission is noticed in such manner as may be prescribed, and shall pay the tax and interest, if any, in case there is a short payment of tax on account of such error or omission, in the return to be furnished for such tax period:

Provided that no rectification of error or omission in respect of the details furnished under sub-section (2) shall be allowed after furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such details pertain, or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier.

39. Furnishing of returns.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars as may be prescribed on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10 shall, for each quarter or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both,

tax payable and tax paid within eighteen days after the end of such quarter.

(3) Every registered person required to deduct tax at source under the provisions of section 51 shall furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, for the month in which such deductions have been made within ten days after the end of such month.

(4) Every taxable person registered as an Input Service Distributor shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within thirteen days after the end of such month.

(5) Every registered non-resident taxable person shall, for every calendar month or part thereof, furnish, in such form and manner as may be prescribed, a return, electronically, within twenty days after the end of a calendar month or within seven days after the last day of the period of registration specified under sub-section (1) of section 27, whichever is earlier.

(6) The Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the returns under this section for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided that any extension of time limit notified by the Commissioner of central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.

(7) Every registered person, who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return.

(8) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) or sub-section (2) shall furnish a return for every tax period whether or not any supplies of goods or services or both have been made during such tax period.

(9) Subject to the provisions of sections 37 and 38, if any registered person after furnishing a return under sub-section (1) or sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4) or sub-section (5) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the return to be furnished for the month or

quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest under this Act:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of the financial year, or the actual date of furnishing of relevant annual return, whichever is earlier.

(10) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax periods has not been furnished by him.

40. First Return.- Every registered person who has made outward supplies in the period between the date on which he became liable to registration till the date on which registration has been granted shall declare the same in the first return furnished by him after grant of registration.

41. Claim of input tax credit and provisional acceptance thereof.- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited on a provisional basis to his electronic credit ledger.

(2) The credit referred to in sub-section (1) shall be utilised only for payment of self-assessed output tax as per the return referred to in the said sub-section.

42. Matching, reversal and reclaim of input tax credit.- (1) The details of every inward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the “recipient”) for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched-

(a) with the corresponding details of outward supply furnished by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the “supplier”) in his valid return for the same tax period or any preceding tax period;

(b) with the integrated goods and services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975) in respect of goods imported by him; and

(c) for duplication of claims of input tax credit.

(2) The claim of input tax credit in respect of invoices or debit notes relating to inward supply that match with the details of corresponding outward supply or with the integrated goods and

services tax paid under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act No. 51 of 1975) in respect of goods imported by him shall be finally accepted and such acceptance shall be communicated, in such manner as may be prescribed, to the recipient.

(3) Where the input tax credit claimed by a recipient in respect of an inward supply is in excess of the tax declared by the supplier for the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims of input tax credit shall be communicated to the recipient in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the supplier in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the recipient, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount claimed as input tax credit that is found to be in excess on account of duplication of claims shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which the duplication is communicated.

(7) The recipient shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5), if the supplier declares the details of the invoice or debit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.

(8) A recipient in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date of availing of credit till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the recipient by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the supplier.

(10) The amount reduced from the output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the recipient in his return for the month in which such contravention takes place and such recipient shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

43. Matching, reversal and reclaim of reduction in output tax liability.- (1) The details of every credit note relating to outward supply furnished by a registered person (hereafter in this section referred to as the “supplier”) for a tax period shall, in such manner and within such time as may be prescribed, be matched-

(a) with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the corresponding registered person (hereafter in this section referred to as the “recipient”) in his valid return for the same tax period or any subsequent tax period; and

(b) for duplication of claims for reduction in output tax liability.

(2) The claim for reduction in output tax liability by the supplier that matches with the corresponding reduction in the claim for input tax credit by the recipient shall be finally accepted and communicated, in such manner as may be prescribed, to the supplier.

(3) Where the reduction of output tax liability in respect of outward supplies exceeds the corresponding reduction in the claim for input tax credit or the corresponding credit note is not declared by the recipient in his valid returns, the discrepancy shall be communicated to both such persons in such manner as may be prescribed.

(4) The duplication of claims for reduction in output tax liability shall be communicated to the supplier in such manner as may be prescribed.

(5) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (3) and which is not rectified by the recipient in his valid return for the month in which discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier, in such manner as may be prescribed, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated.

(6) The amount in respect of any reduction in output tax liability that is found to be on account of duplication of claims

shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such duplication is communicated.

(7) The supplier shall be eligible to reduce, from his output tax liability, the amount added under sub-section (5) if the recipient declares the details of the credit note in his valid return within the time specified in sub-section (9) of section 39.

(8) A supplier in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (5) or sub-section (6), shall be liable to pay interest at the rate specified under sub-section (1) of section 50 in respect of the amount so added from the date of such claim for reduction in the output tax liability till the corresponding additions are made under the said sub-sections.

(9) Where any reduction in output tax liability is accepted under sub-section (7), the interest paid under sub-section (8) shall be refunded to the supplier by crediting the amount in the corresponding head of his electronic cash ledger in such manner as may be prescribed:

Provided that the amount of interest to be credited in any case shall not exceed the amount of interest paid by the recipient.

(10) The amount reduced from output tax liability in contravention of the provisions of sub-section (7) shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the month in which such contravention takes place and such supplier shall be liable to pay interest on the amount so added at the rate specified in sub-section (3) of section 50.

44. Annual return.- (1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year.

(2) Every registered person who is required to get his accounts audited in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 35 shall furnish, electronically, the annual return under sub-section (1) along with a copy of the audited annual accounts and a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the audited annual financial statement, and such other particulars as may be prescribed.

45. Final return.- Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1) of section 39 and whose registration has been cancelled shall furnish a final return within three months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later, in such form and manner as may be prescribed.

46. Notice to return defaulters.- Where a registered person fails to furnish a return under section 39 or section 44 or section 45, a notice shall be issued requiring him to furnish such return within fifteen days in such form and manner as may be prescribed.

47. Levy of late fee.- (1) Any registered person who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37 or section 38 or returns required under section 39 or section 45 by the due date shall pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum amount of five thousand rupees.

(2) Any registered person who fails to furnish the return required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fee of one hundred rupees for every day during which such failure continues subject to a maximum of an amount calculated at a quarter per cent. of his turnover in the State.

48. Goods and services tax practitioners.- (1) The manner of approval of goods and services tax practitioners, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed.

(2) A registered person may authorise an approved goods and services tax practitioner to furnish the details of outward supplies under section 37, the details of inward supplies under section 38 and the return under section 39 or section 44 or section 45 in such manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the goods and services tax practitioners shall continue to rest with the registered person on whose behalf such return and details are furnished.

CHAPTER X PAYMENT OF TAX

49. Payment of tax, interest, penalty and other amounts.- (1) Every deposit made towards tax, interest, penalty, fee or any other amount by a person by internet banking or by using credit or debit cards or National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed.

(2) The input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger, in accordance with section 41, to be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(4) The amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards output tax under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act in such manner and subject to such conditions and within such time as may be prescribed.

(5) The amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered person on account of -

(a) integrated tax shall first be utilised towards payment of integrated tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of central tax and State tax, or as the case may be, Union territory tax, in that order;

(b) the central tax shall first be utilised towards payment of central tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(c) the State tax shall first be utilised towards payment of State tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(d) the Union territory tax shall first be utilised towards payment of Union territory tax and the amount remaining, if any, may be utilised towards the payment of integrated tax;

(e) the central tax shall not be utilised towards payment of State tax or Union territory tax; and

(f) the State tax or Union territory tax shall not be utilised towards payment of central tax.

(6) The balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provisions of section 54.

(7) All liabilities of a taxable person under this Act shall be recorded and maintained in an electronic liability register in such manner as may be prescribed.

(8) Every taxable person shall discharge his tax and other dues under this Act or the rules made thereunder in the following order, namely:-

(a) self-assessed tax, and other dues related to returns of previous tax periods;

(b) self-assessed tax, and other dues related to the return of the current tax period;

(c) any other amount payable under this Act or the rules made thereunder including the demand determined under section 73 or section 74.

(9) Every person who has paid the tax on goods or services or both under this Act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(a) the date of credit to the account of the Government in the authorised bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger;

(b) the expression,-

(i) “tax dues” means the tax payable under this Act and does not include interest, fee and penalty; and

(ii) “other dues” means interest, penalty, fee or any other amount payable under this Act or the rules made thereunder.

50. Interest on delayed payment of tax.- (1) Every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per

cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

(2) The interest under sub-section (1) shall be calculated, in such manner as may be prescribed, from the day succeeding the day on which such tax was due to be paid.

(3) A taxable person who makes an undue or excess claim of input tax credit under sub-section (10) of section 42 or undue or excess reduction in output tax liability under sub-section (10) of section 43, shall pay interest on such undue or excess claim or on such undue or excess reduction, as the case may be, at such rate not exceeding twenty-four per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.

51. Tax deduction at source.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Government may mandate,-

(a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or

(b) local authority; or

(c) Governmental agencies; or

(d) such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council,

(hereafter in this section referred to as “the deductor”), to deduct tax at the rate of one per cent. from the payment made or credited to the supplier (hereafter in this section referred to as “the deductee”) of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees:

Provided that no deduction shall be made if the location of the supplier and the place of supply is in a State or Union territory which is different from the State or, as the case may be, Union territory of registration of the recipient.

Explanation.- For the purpose of deduction of tax specified above, the value of supply shall be taken as the amount excluding the central tax, State tax, integrated tax and cess indicated in the invoice.

(2) The amount deducted as tax under this section shall be paid to the Government by the deductor within ten days after the end of the month in which such deduction is made, in such manner as may be prescribed.

(3) The deductor shall furnish to the deductee a certificate mentioning therein the contract value, rate of deduction, amount deducted, amount paid to the Government and such other particulars in such manner as may be prescribed.

(4) If any deductor fails to furnish to the deductee the certificate, after deducting the tax at source, within five days of crediting the amount so deducted to the Government, the deductor shall pay, by way of a late fee, a sum of one hundred rupees per day from the day after the expiry of such five days period until the failure is rectified, subject to a maximum amount of five thousand rupees.

(5) The deductee shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the tax deducted and reflected in the return of the deductor furnished under sub-section (3) of section 39, in such manner as may be prescribed.

(6) If any deductor fails to pay to the Government the amount deducted as tax under sub-section (1), he shall pay interest in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 50, in addition to the amount of tax deducted.

(7) The determination of the amount in default under this section shall be made in the manner specified in section 73 or section 74.

(8) The refund to the deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with the provisions of section 54:

Provided that no refund to the deductor shall be granted, if the amount deducted has been credited to the electronic cash ledger of the deductee.

52. Collection of tax at source.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, every electronic commerce operator (hereafter in this section referred to as the "operator"), not being an agent, shall collect an amount calculated at such rate not exceeding one per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "net value of taxable supplies" shall mean the aggregate value of taxable supplies of goods or services or both, other than services notified under sub-section (5) of section 9, made during

any month by all registered persons through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during the said month.

(2) The power to collect the amount specified in sub-section (1) shall be without prejudice to any other mode of recovery from the operator.

(3) The amount collected under sub-section (1) shall be paid to the Government by the operator within ten days after the end of the month in which such collection is made, in such manner as may be prescribed.

(4) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish a statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under sub-section (1) during a month, in such form and manner as may be prescribed, within ten days after the end of such month.

(5) Every operator who collects the amount specified in sub-section (1) shall furnish an annual statement, electronically, containing the details of outward supplies of goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or services or both returned through it, and the amount collected under the said sub-section during the financial year, in such form and manner as may be prescribed, before the thirty first day of December following the end of such financial year.

(6) If any operator after furnishing a statement under sub-section (4) discovers any omission or incorrect particulars therein, other than as a result of scrutiny, audit, inspection or enforcement activity by the tax authorities, he shall rectify such omission or incorrect particulars in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest, as specified in sub-section (1) of section 50:

Provided that no such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after the due date for furnishing of statement for the month of September following the end of the financial year or the actual date of furnishing of the relevant annual statement, whichever is earlier.

(7) The supplier who has supplied the goods or services or both through the operator shall claim credit, in his electronic cash ledger, of the amount collected and reflected in the statement of the

operator furnished under sub-section (4), in such manner as may be prescribed.

(8) The details of supplies furnished by every operator under sub-section (4) shall be matched with the corresponding details of outward supplies furnished by the concerned supplier registered under this Act in such manner and within such time as may be prescribed.

(9) Where the details of outward supplies furnished by the operator under sub-section (4) do not match with the corresponding details furnished by the supplier under section 37, the discrepancy shall be communicated to both persons in such manner and within such time as may be prescribed.

(10) The amount in respect of which any discrepancy is communicated under sub-section (9) and which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement for the month in which discrepancy is communicated, shall be added to the output tax liability of the said supplier, where the value of outward supplies furnished by the operator is more than the value of outward supplies furnished by the supplier, in his return for the month succeeding the month in which the discrepancy is communicated in such manner as may be prescribed.

(11) The concerned supplier, in whose output tax liability any amount has been added under sub-section (10), shall pay the tax payable in respect of such supply along with interest, at the rate specified under sub-section (1) of section 50 on the amount so added from the date such tax was due till the date of its payment.

(12) Any authority not below the rank of Deputy Commissioner may serve a notice, either before or during the course of any proceedings under this Act, requiring the operator to furnish such details relating to-

(a) supplies of goods or services or both effected through such operator during any period; or

(b) stock of goods held by the suppliers making supplies through such operator in the godowns or warehouses, by whatever name called, managed by such operator and declared as additional places of business by such suppliers,

as may be specified in the notice.

(13) Every operator on whom a notice has been served under sub-section (12) shall furnish the required information within fifteen working days of the date of service of such notice.

(14) Any person who fails to furnish the information required by the notice served under sub-section (12) shall, without prejudice to any action that may be taken under section 122, be liable to a penalty which may extend to twenty-five thousand rupees.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression “concerned supplier” shall mean the supplier of goods or services or both making supplies through the operator.

53. Transfer of input tax credit.- On utilisation of input tax credit availed under this Act for payment of tax dues under the Integrated Goods and Services Tax Act in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 49, as reflected in the valid return furnished under sub-section (1) of section 39, the amount collected as State tax shall stand reduced by an amount equal to such credit so utilised and the State Government shall transfer an amount equal to the amount so reduced from the State tax account to the integrated tax account in such manner and within such time as may be prescribed.

CHAPTER XI REFUNDS

54. Refund of tax.- (1) Any person claiming refund of any tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid by him, may make an application before the expiry of two years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed:

Provided that a registered person, claiming refund of any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49, may claim such refund in the return furnished under section 39 in such manner as may be prescribed.

(2) A specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (Central Act No. 46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries or any other person or class of persons, as notified under section 55, entitled to a refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as

may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received.

(3) Subject to the provisions of sub-section (10), a registered person may claim refund of any unutilised input tax credit at the end of any tax period:

Provided that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases other than-

(i) zero-rated supplies made without payment of tax;

(ii) where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supplies (other than nil rated or fully exempt supplies), except supplies of goods or services or both as may be notified by the Government on the recommendations of the Council:

Provided further that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed in cases where the goods exported out of India are subjected to export duty:

Provided also that no refund of input tax credit shall be allowed, if the supplier of goods or services or both claims refund of the integrated tax paid on such supplies.

(4) The application shall be accompanied by-

(a) such documentary evidence as may be prescribed to establish that a refund is due to the applicant; and

(b) such documentary or other evidence (including the documents referred to in section 33) as the applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest, if any, paid on such tax or any other amount paid in relation to which such refund is claimed was collected from, or paid by, him and the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person:

Provided that where the amount claimed as refund is less than two lakh rupees, it shall not be necessary for the applicant to furnish any documentary and other evidences but he may file a declaration, based on the documentary or other evidences available with him, certifying that the incidence of such tax and interest had not been passed on to any other person.

(5) If, on receipt of any such application, the proper officer is satisfied that the whole or part of the amount claimed as refund is refundable, he may make an order accordingly and the amount so determined shall be credited to the Fund referred to in section 57.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.

(7) The proper officer shall issue the order under sub-section (5) within sixty days from the date of receipt of application complete in all respects.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the refundable amount shall, instead of being credited to the Fund, be paid to the applicant, if such amount is relatable to -

(a) refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies;

(b) refund of unutilised input tax credit under sub-section (3);

(c) refund of tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued, or where a refund voucher has been issued;

(d) refund of tax in pursuance of section 77;

(e) the tax and interest, if any, or any other amount paid by the applicant, if he had not passed on the incidence of such tax and interest to any other person; or

(f) the tax or interest borne by such other class of applicants as the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify.

(9) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the Appellate Tribunal

or any court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, no refund shall be made except in accordance with the provisions of sub-section (8).

(10) Where any refund is due under sub-section (3) to a registered person who has defaulted in furnishing any return or who is required to pay any tax, interest or penalty, which has not been stayed by any court, Tribunal or Appellate Authority by the specified date, the proper officer may-

(a) withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest or penalty, as the case may be;

(b) deduct from the refund due, any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this Act or under the existing law.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “specified date” shall mean the last date for filing an appeal under this Act.

(11) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of an appeal or further proceedings or where any other proceedings under this Act is pending and the Commissioner is of the opinion that grant of such refund is likely to adversely affect the revenue in the said appeal or other proceedings on account of malfeasance or fraud committed, he may, after giving the taxable person an opportunity of being heard, withhold the refund till such time as he may determine.

(12) Where a refund is withheld under sub-section (11), the taxable person shall, notwithstanding anything contained in section 56, be entitled to interest at such rate not exceeding six per cent. as may be notified on the recommendations of the Council, if as a result of the appeal or further proceedings he becomes entitled to refund.

(13) Notwithstanding anything to the contrary contained in this section, the amount of advance tax deposited by a casual taxable person or a non-resident taxable person under sub-section (2) of section 27, shall not be refunded unless such person has, in respect of the entire period for which the certificate of registration granted to him had remained in force, furnished all the returns required under section 39.

(14) Notwithstanding anything contained in this section, no refund under sub-section (5) or sub-section (6) shall be paid to an applicant, if the amount is less than one thousand rupees.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(1) “refund” includes refund of tax paid on zero-rated supplies of goods or services or both or on inputs or input services used in making such zero-rated supplies, or refund of tax on the supply of goods regarded as deemed exports, or refund of unutilised input tax credit as provided under sub-section (3).

(2) “relevant date” means -

(a) in the case of goods exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of goods themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such goods,-

(i) if the goods are exported by sea or air, the date on which the ship or the aircraft in which such goods are loaded, leaves India; or

(ii) if the goods are exported by land, the date on which such goods pass the frontier; or

(iii) if the goods are exported by post, the date of despatch of goods by the Post Office concerned to a place outside India;

(b) in the case of supply of goods regarded as deemed exports where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return relating to such deemed exports is furnished;

(c) in the case of services exported out of India where a refund of tax paid is available in respect of services themselves or, as the case may be, the inputs or input services used in such services, the date of-

(i) receipt of payment in convertible foreign exchange, where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment; or

(ii) issue of invoice, where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of the invoice;

(d) in case where the tax becomes refundable as a consequence of judgment, decree, order or direction of the Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court, the date of communication of such judgment, decree, order or direction;

(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under sub-section (3), the end of the financial year in which such claim for refund arises;

(f) in the case where tax is paid provisionally under this Act or the rules made thereunder, the date of adjustment of tax after the final assessment thereof;

(g) in the case of a person, other than the supplier, the date of receipt of goods or services or both by such person; and

(h) in any other case, the date of payment of tax.

55. Refund in certain cases.- The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialized agency of the United Nations Organization or any Multilateral Financial Institution and Organization notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (Central Act No. 46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf, who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them.

56. Interest on delayed refunds.- If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt

of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:

Provided that where any claim of refund arises from an order passed by an adjudicating authority or Appellate Authority or Appellate Tribunal or court which has attained finality and the same is not refunded within sixty days from the date of receipt of application filed consequent to such order, interest at such rate not exceeding nine per cent. as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application till the date of refund.

Explanation.- For the purposes of this section, where any order of refund is made by an Appellate Authority, Appellate Tribunal or any court against an order of the proper officer under sub-section (5) of section 54, the order passed by the Appellate Authority, Appellate Tribunal or by the court shall be deemed to be an order passed under the said sub-section (5).

57. Consumer Welfare Fund.- The Government shall constitute a Fund, to be called the Consumer Welfare Fund and there shall be credited to the Fund,-

- (a) the amount referred to in sub-section (5) of section 54;
- (b) any income from investment of the amount credited to the Fund; and
- (c) such other monies received by it,

in such manner as may be prescribed.

58. Utilisation of Fund.- (1) All sums credited to the Fund shall be utilised by the Government for the welfare of the consumers in such manner as may be prescribed.

(2) The Government or the authority specified by it shall maintain proper and separate account and other relevant records in relation to the Fund and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

CHAPTER XII ASSESSMENT

59. Self-assessment.- Every registered person shall self-assess the taxes payable under this Act and furnish a return for each tax period as specified under section 39.

60. Provisional assessment.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), where the taxable person is unable to determine the value of goods or services or both or determine the rate of tax applicable thereto, he may request the proper officer in writing giving reasons for payment of tax on a provisional basis and the proper officer shall pass an order, within a period not later than ninety days from the date of receipt of such request, allowing payment of tax on provisional basis at such rate or on such value as may be specified by him.

(2) The payment of tax on provisional basis may be allowed, if the taxable person executes a bond in such form as may be prescribed, and with such surety or security as the proper officer may deem fit, binding the taxable person for payment of the difference between the amount of tax as may be finally assessed and the amount of tax provisionally assessed.

(3) The proper officer shall, within a period not exceeding six months from the date of the communication of the order issued under sub-section (1), pass the final assessment order after taking into account such information as may be required for finalizing the assessment:

Provided that the period specified in this sub-section may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, be extended by the Joint Commissioner or Additional Commissioner for a further period not exceeding six months and by the Commissioner for such further period not exceeding four years.

(4) The registered person shall be liable to pay interest on any tax payable on the supply of goods or services or both under provisional assessment but not paid on the due date specified under sub-section (7) of section 39 or the rules made thereunder, at the rate specified under sub-section (1) of section 50, from the first day after the due date of payment of tax in respect of the said supply of goods or services or both till the date of actual payment, whether such amount is paid before or after the issuance of order for final assessment.

(5) Where the registered person is entitled to a refund consequent to the order of final assessment under sub-section (3), subject to the provisions of sub-section (8) of section 54, interest shall be paid on such refund as provided in section 56.

61. Scrutiny of returns.- (1) The proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the

registered person to verify the correctness of the return and inform him of the discrepancies noticed, if any, in such manner as may be prescribed and seek his explanation thereto.

(2) In case the explanation is found acceptable, the registered person shall be informed accordingly and no further action shall be taken in this regard.

(3) In case no satisfactory explanation is furnished within a period of thirty days of being informed by the proper officer or such further period as may be permitted by him or where the registered person, after accepting the discrepancies, fails to take the corrective measure in his return for the month in which the discrepancy is accepted, the proper officer may initiate appropriate action including those under section 65 or section 66 or section 67, or proceed to determine the tax and other dues under section 73 or section 74.

62. Assessment of non-filers of returns.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.

(2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under sub-section (1) of section 50 or for payment of late fee under section 47 shall continue.

63. Assessment of unregistered persons.- Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so or whose registration has been cancelled under sub-section (2) of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of his judgment for the relevant tax periods and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the

annual return for the financial year to which the tax not paid relates:

Provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard.

64. Summary assessment in certain special cases.- (1)

The proper officer may, on any evidence showing a tax liability of a person coming to his notice, with the previous permission of Additional Commissioner or Joint Commissioner, proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of revenue and issue an assessment order, if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of revenue:

Provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable and such liability pertains to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to be assessed and liable to pay tax and any other amount due under this section.

(2) On an application made by the taxable person within thirty days from the date of receipt of order passed under sub-section (1) or on his own motion, if the Additional Commissioner or Joint Commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow the procedure laid down in section 73 or section 74.

CHAPTER XIII

AUDIT

65. Audit by tax authorities.- (1) The Commissioner or any officer authorised by him, by way of a general or a specific order, may undertake audit of any registered person for such period, at such frequency and in such manner as may be prescribed.

(2) The officers referred to in sub-section (1) may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office.

(3) The registered person shall be informed by way of a notice not less than fifteen working days prior to the conduct of audit in such manner as may be prescribed.

(4) The audit under sub-section (1) shall be completed within a period of three months from the date of commencement of the audit:

Provided that where the Commissioner is satisfied that audit in respect of such registered person cannot be completed

within three months, he may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period by a further period not exceeding six months.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression “commencement of audit” shall mean the date on which the records and other documents, called for by the tax authorities, are made available by the registered person or the actual institution of audit at the place of business, whichever is later.

(5) During the course of audit, the authorised officer may require the registered person,-

(i) to afford him the necessary facility to verify the books of account or other documents as he may require;

(ii) to furnish such information as he may require and render assistance for timely completion of the audit.

(6) On conclusion of audit, the proper officer shall, within thirty days, inform the registered person, whose records are audited, about the findings, his rights and obligations and the reasons for such findings.

(7) Where the audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

66. Special audit.- (1) If at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him, any officer not below the rank of Assistant Commissioner, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, is of the opinion that the value has not been correctly declared or the credit availed is not within the normal limits, he may, with the prior approval of the Commissioner, direct such registered person by a communication in writing to get his records including books of account examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by the Commissioner.

(2) The chartered accountant or cost accountant so nominated shall, within the period of ninety days, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said Assistant Commissioner mentioning therein such other particulars as may be specified:

Provided that the Assistant Commissioner may, on an application made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant or cost accountant or for any material and

sufficient reason, extend the said period by a further period of ninety days.

(3) The provisions of sub-section (1) shall have effect notwithstanding that the accounts of the registered person have been audited under any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.

(4) The registered person shall be given an opportunity of being heard in respect of any material gathered on the basis of special audit under sub-section (1) which is proposed to be used in any proceedings against him under this Act or the rules made thereunder.

(5) The expenses of the examination and audit of records under sub-section (1), including the remuneration of such chartered accountant or cost accountant, shall be determined and paid by the Commissioner and such determination shall be final.

(6) Where the special audit conducted under sub-section (1) results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilised, the proper officer may initiate action under section 73 or section 74.

CHAPTER XIV

INSPECTION, SEARCH, SEIZURE AND ARREST

67. Power of inspection, search and seizure.- (1) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, has reasons to believe that-

(a) a taxable person has suppressed any transaction relating to supply of goods or services or both or the stock of goods in hand, or has claimed input tax credit in excess of his entitlement under this Act or has indulged in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder to evade tax under this Act; or

(b) any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped payment of tax or has kept his accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act,

he may authorise in writing any other officer of State tax to inspect any places of business of the taxable person or the persons engaged in the business of transporting goods or the owner or the operator of warehouse or godown or any other place.

(2) Where the proper officer, not below the rank of Joint Commissioner, either pursuant to an inspection carried out under sub-section (1) or otherwise, has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any documents or books or things, which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceedings under this Act, are secreted in any place, he may authorise in writing any other officer of State tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer, or any officer authorised by him, may serve on the owner or the custodian of the goods an order that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer:

Provided further that the documents or books or things so seized shall be retained by such officer only for so long as may be necessary for their examination and for any inquiry or proceedings under this Act.

(3) The documents, books or things referred to in sub-section (2) or any other documents, books or things produced by a taxable person or any other person, which have not been relied upon for the issue of notice under this Act or the rules made thereunder, shall be returned to such person within a period not exceeding thirty days of the issue of the said notice.

(4) The officer authorised under sub-section (2) shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any *almirah*, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or documents of the person are suspected to be concealed, where access to such premises, *almirah*, electronic devices, box or receptacle is denied.

(5) The person from whose custody any documents are seized under sub-section (2) shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of an authorised officer at such place and time as such officer may indicate in this behalf except where making such copies or taking such extracts may, in the opinion of the proper officer, prejudicially affect the investigation.

(6) The goods so seized under sub-section (2) shall be released, on a provisional basis, upon execution of a bond and furnishing of a security, in such manner and of such quantum,

respectively, as may be prescribed or on payment of applicable tax, interest and penalty payable, as the case may be.

(7) Where any goods are seized under sub-section (2) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods, the goods shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the proper officer for a further period not exceeding six months.

(8) The Government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in the value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant considerations, by notification, specify the goods or class of goods which shall, as soon as may be after its seizure under sub-section (2), be disposed of by the proper officer in such manner as may be prescribed.

(9) Where any goods, being goods specified under sub-section (8), have been seized by a proper officer, or any officer authorised by him under sub-section (2), he shall prepare an inventory of such goods in such manner as may be prescribed.

(10) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), relating to search and seizure, shall, so far as may be, apply to search and seizure under this section subject to the modification that sub-section (5) of section 165 of the said Code shall have effect as if for the word "Magistrate", wherever it occurs, the word "Commissioner" were substituted.

(11) Where the proper officer has reasons to believe that any person has evaded or is attempting to evade the payment of any tax, he may, for reasons to be recorded in writing, seize the accounts, registers or documents of such person produced before him and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same for so long as may be necessary in connection with any proceedings under this Act or the rules made thereunder for prosecution.

(12) The Commissioner or an officer authorised by him may cause purchase of any goods or services or both by any person authorised by him from the business premises of any taxable person, to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of goods so purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business

premises shall refund the amount so paid towards the goods after cancelling any tax invoice or bill of supply issued earlier.

68. Inspection of goods in movement.- (1) The Government may require the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding such amount as may be specified to carry with him such documents and such devices as may be prescribed.

(2) The details of documents required to be carried under sub-section (1) shall be validated in such manner as may be prescribed.

(3) Where any conveyance referred to in sub-section (1) is intercepted by the proper officer at any place, he may require the person in charge of the said conveyance to produce the documents prescribed under the said sub-section and devices for verification, and the said person shall be liable to produce the documents and devices and also allow the inspection of goods.

69. Power to arrest.- (1) Where the Commissioner has reasons to believe that a person has committed any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) of section 132 which is punishable under clause (i) or clause (ii) of sub-section (1), or sub-section (2) of the said section, he may, by order, authorise any officer of State tax to arrest such person.

(2) Where a person is arrested under sub-section (1) for an offence specified under sub-section (5) of section 132, the officer authorised to arrest the person shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a Magistrate within twenty four hours.

(3) Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974),-

(a) where a person is arrested under sub-section (1) for any offence specified under sub-section (4) of section 132, he shall be admitted to bail or in default of bail, forwarded to the custody of the Magistrate;

(b) in the case of a non-cognizable and bailable offence, the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner shall, for the purpose of releasing an arrested person on bail or otherwise, have the same powers and be subject to the same provisions as an officer-in-charge of a police station.

70. Power to summon persons to give evidence and produce documents.- (1) The proper officer under this Act shall have power to summon any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document or any other thing in any inquiry in the same manner, as provided in the case of a civil court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(2) Every such inquiry referred to in sub-section (1) shall be deemed to be a “judicial proceedings” within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860).

71. Access to business premises.- (1) Any officer under this Act, authorised by the proper officer not below the rank of Joint Commissioner, shall have access to any place of business of a registered person to inspect books of account, documents, computers, computer programs, computer software whether installed in a computer or otherwise and such other things as he may require and which may be available at such place, for the purposes of carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue.

(2) Every person in charge of place referred to in sub-section (1) shall, on demand, make available to the officer authorised under sub-section (1) or the audit party deputed by the proper officer or a cost accountant or chartered accountant nominated under section 66-

(i) such records as prepared or maintained by the registered person and declared to the proper officer in such manner as may be prescribed;

(ii) trial balance or its equivalent;

(iii) statements of annual financial accounts, duly audited, wherever required;

(iv) cost audit report, if any, under section 148 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);

(v) the income-tax audit report, if any, under section 44AB of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961); and

(vi) any other relevant record,

for the scrutiny by the officer or audit party or the chartered accountant or cost accountant within a period not exceeding fifteen working days from the day when such demand is made, or such

further period as may be allowed by the said officer or the audit party or the chartered accountant or cost accountant.

72. Officers to assist proper officers.- (1) All officers of Police, Railways, Customs and those officers engaged in the collection of land revenue, including village officers, officers of central tax and officers of the Union territory tax shall assist the proper officers in the implementation of this Act.

(2) The Government may, by notification, empower and require any other class of officers to assist the proper officers in the implementation of this Act when called upon to do so by the Commissioner.

CHAPTER XV DEMANDS AND RECOVERY

73. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason other than fraud or any wilful misstatement or suppression of facts.- (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least three months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods

other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), pay the amount of tax along with interest payable thereon under section 50 on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1) or, as the case may be, the statement under sub-section (3), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) or sub-section (3) pays the said tax along with interest payable under section 50 within thirty days of issue of show cause notice, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and a penalty equivalent to ten per cent. of tax or ten thousand rupees, whichever is higher, due from such person and issue an order.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within three years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within three years from the date of erroneous refund.

(11) Notwithstanding anything contained in sub-section (6) or sub-section (8), penalty under sub-section (9) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

74. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any wilful misstatement or

suppression of facts.- (1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to the tax specified in the notice.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) at least six months prior to the time limit specified in sub-section (10) for issuance of order.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub-section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub-section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of statement under sub-section (3) shall be deemed to be service of notice under sub-section (1) of section 73, subject to the condition that the grounds relied upon in the said statement, except the ground of fraud, or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, for periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The person chargeable with tax may, before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment.

(6) The proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(7) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under sub-section (5) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided

for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(8) Where any person chargeable with tax under sub-section (1) pays the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty five per cent. of such tax within thirty days of issue of the notice, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order.

(10) The proper officer shall issue the order under sub-section (9) within a period of five years from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within five years from the date of erroneous refund.

(11) Where any person served with an order issued under sub-section (9) pays the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within thirty days of communication of the order, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

Explanation 1.- For the purposes of section 73 and this section, -

(i) the expression “all proceedings in respect of the said notice” shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under section 73 or section 74, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122, 125, 129 and 130 are deemed to be concluded.

Explanation 2.- For the purposes of this Act, the expression “suppression” shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

75. General provisions relating to determination of tax.-

(1) Where the service of notice or issuance of order is stayed by an order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period specified in sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74, as the case may be.

(2) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the notice issued under sub-section (1) of section 74 is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established against the person to whom the notice was issued, the proper officer shall determine the tax payable by such person, deeming as if the notice were issued under sub-section (1) of section 73.

(3) Where any order is required to be issued in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, such order shall be issued within two years from the date of communication of the said direction.

(4) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person chargeable with tax or penalty, or where any adverse decision is contemplated against such person.

(5) The proper officer shall, if sufficient cause is shown by the person chargeable with tax, grant time to the said person and adjourn the hearing for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted for more than three times to a person during the proceedings.

(6) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(7) The amount of tax, interest and penalty demanded in the order shall not be in excess of the amount specified in the notice and no demand shall be confirmed on the grounds other than the grounds specified in the notice.

(8) Where the Appellate Authority or Appellate Tribunal or court modifies the amount of tax determined by the proper officer, the amount of interest and penalty shall stand modified accordingly, taking into account the amount of tax so modified.

(9) The interest on the tax short paid or not paid shall be payable whether or not specified in the order determining the tax liability.

(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within three years as provided for in sub-section (10) of section 73 or within five years as provided for in sub-section (10) of section 74.

(11) An issue on which the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision which is prejudicial to the interest of revenue in some other proceedings and an appeal to the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court against such decision of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Authority and that of the Appellate Tribunal or the date of decision of the Appellate Tribunal and that of the High Court or the date of the decision of the High Court and that of the Supreme Court shall be excluded in computing the period referred to in sub-section (10) of section 73 or sub-section (10) of section 74 where proceedings are initiated by way of issue of a show cause notice under the said sections.

(12) Notwithstanding anything contained in section 73 or section 74, where any amount of self-assessed tax in accordance with a return furnished under section 39 remains unpaid, either wholly or partly, or any amount of interest payable on such tax remains unpaid, the same shall be recovered under the provisions of section 79.

(13) Where any penalty is imposed under section 73 or section 74, no penalty for the same act or omission shall be imposed on the same person under any other provision of this Act.

76. Tax collected but not paid to Government.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any order or direction of any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court or in any other provisions of this Act or the rules made thereunder or any other law for the time being in force, every person who has collected from any other person any amount as representing the tax under this Act, and has not paid the said amount to the Government, shall forthwith pay the said amount to the Government, irrespective of whether the supplies in respect of which such amount was collected are taxable or not.

(2) Where any amount is required to be paid to the Government under sub-section (1), and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount a notice requiring him to show cause as to why the said

amount as specified in the notice, should not be paid by him to the Government and why a penalty equivalent to the amount specified in the notice should not be imposed on him under the provisions of this Act.

(3) The proper officer shall, after considering the representation, if any, made by the person on whom the notice is served under sub-section (2), determine the amount due from such person and thereupon such person shall pay the amount so determined.

(4) The person referred to in sub-section (1) shall in addition to paying the amount referred to in sub-section (1) or sub-section (3) also be liable to pay interest thereon at the rate specified under section 50 from the date such amount was collected by him to the date such amount is paid by him to the Government.

(5) An opportunity of hearing shall be granted where a request is received in writing from the person to whom the notice was issued to show cause.

(6) The proper officer shall issue an order within one year from the date of issue of the notice.

(7) Where the issuance of order is stayed by an order of the court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(8) The proper officer, in his order, shall set out the relevant facts and the basis of his decision.

(9) The amount paid to the Government under sub-section (1) or sub-section (3) shall be adjusted against the tax payable, if any, by the person in relation to the supplies referred to in sub-section (1).

(10) Where any surplus is left after the adjustment under sub-section (9), the amount of such surplus shall either be credited to the Fund or refunded to the person who has borne the incidence of such amount.

(11) The person who has borne the incidence of the amount, may apply for the refund of the same in accordance with the provisions of section 54.

77. Tax wrongfully collected and paid to Central Government or State Government.- (1) A registered person who has paid the central tax and State tax on a transaction considered by him to be an intra-State supply, but which is subsequently held to be an inter-State supply, shall be refunded the amount of taxes

so paid in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(2) A registered person who has paid integrated tax on a transaction considered by him to be an inter-State supply, but which is subsequently held to be an intra-State supply, shall not be required to pay any interest on the amount of State tax payable.

78. Initiation of recovery proceedings.- Any amount payable by a taxable person in pursuance of an order passed under this Act shall be paid by such person within a period of three months from the date of service of such order failing which recovery proceedings shall be initiated:

Provided that where the proper officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for reasons to be recorded in writing, require the said taxable person to make such payment within such period less than a period of three months as may be specified by him.

79. Recovery of tax.- (1) Where any amount payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer shall proceed to recover the amount by one or more of the following modes, namely:-

(a) the proper officer may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer;

(b) the proper officer may recover or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer or such other specified officer;

(c) (i) the proper officer may, by a notice in writing, require any other person from whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on account of such person, to pay to the Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person

or the whole of the money when it is equal to or less than that amount;

(ii) every person to whom the notice is issued under sub-clause (i) shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;

(iii) in case the person to whom a notice under sub-clause (i) has been issued, fails to make the payment in pursuance thereof to the Government, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow;

(iv) the officer issuing a notice under sub-clause (i) may, at any time, amend or revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;

(v) any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-clause (i) shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the Government shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the person in default to the extent of the amount specified in the receipt;

(vi) any person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice issued under sub-clause (i) shall be personally liable to the Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the person in default for tax, interest and penalty, whichever is less;

(vii) where a person on whom a notice is served under sub-clause (i) proves to the

satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money for or on account of the person in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said person or be held for or on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the Government any such money or part thereof;

(d) the proper officer may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus amount, if any, to such person;

(e) the proper officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his business or to any officer authorised by the Government and the said Collector or the said officer, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue;

(f) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the proper officer may file an application to the appropriate Magistrate and such Magistrate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

(2) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules or regulations made thereunder provide that any amount due under such instrument

may be recovered in the manner laid down in sub-section (1), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.

(3) Where any amount of tax, interest or penalty is payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the proper officer of central tax, during the course of recovery of said tax arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrear of central tax and credit the amount so recovered to the account of the Government.

(4) Where the amount recovered under sub-section (3) is less than the amount due to the Central Government and State Government, the amount to be credited to the account of the respective Governments shall be in proportion to the amount due to each such Government.

80. Payment of tax and other amount in instalments.-

On an application filed by a taxable person, the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, extend the time for payment or allow payment of any amount due under this Act, other than the amount due as per the liability self-assessed in any return, by such person in monthly instalments not exceeding twenty four, subject to payment of interest under section 50 and subject to such conditions and limitations as may be prescribed:

Provided that where there is default in payment of any one instalment on its due date, the whole outstanding balance payable on such date shall become due and payable forthwith and shall, without any further notice being served on the person, be liable for recovery.

81. Transfer of property to be void in certain cases.-

Where a person, after any amount has become due from him, creates a charge on or parts with the property belonging to him or in his possession by way of sale, mortgage, exchange, or any other mode of transfer whatsoever of any of his properties in favour of any other person with the intention of defrauding the Government revenue, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or any other sum payable by the said person:

Provided that, such charge or transfer shall not be void if it is made for adequate consideration, in good faith and without notice of the pendency of such proceedings under this Act or without notice of such tax or other sum payable by the said person, or with the previous permission of the proper officer.

82. Tax to be first charge on property.- Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016(Central Act No. 31 of 2016), any amount payable by a taxable person or any other person on account of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the Government shall be a first charge on the property of such taxable person or such person.

83. Provisional attachment to protect revenue in certain cases.- (1) Where during the pendency of any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 67 or section 73 or section 74, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue, it is necessary so to do, he may, by order in writing attach provisionally any property, including bank account, belonging to the taxable person in such manner as may be prescribed.

(2) Every such provisional attachment shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of the order made under sub-section (1).

84. Continuation and validation of certain recovery proceedings.- Where any notice of demand in respect of any tax, penalty, interest or any other amount payable under this Act, (hereafter in this section referred to as “Government dues”), is served upon any taxable person or any other person and any appeal or revision application is filed or any other proceedings is initiated in respect of such Government dues, then-

(a) where such Government dues are enhanced in such appeal, revision or other proceedings, the Commissioner shall serve upon the taxable person or any other person another notice of demand in respect of the amount by which such Government dues are enhanced and any recovery proceedings in relation to such Government dues as are covered by the notice of demand served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceedings may, without the service of any fresh notice of demand, be continued from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal;

(b) where such Government dues are reduced in such appeal, revision or in other proceedings-

(i) it shall not be necessary for the Commissioner to serve upon the taxable person a fresh notice of demand;

(ii) the Commissioner shall give intimation of such reduction to him and to the appropriate authority with whom recovery proceedings is pending;

(iii) any recovery proceedings initiated on the basis of the demand served upon him prior to the disposal of such appeal, revision or other proceedings may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal.

CHAPTER XVI

LIABILITY TO PAY IN CERTAIN CASES

85. Liability in case of transfer of business.- (1) Where a taxable person, liable to pay tax under this Act, transfers his business in whole or in part, by sale, gift, lease, leave and license, hire or in any other manner whatsoever, the taxable person and the person to whom the business is so transferred shall, jointly and severally, be liable wholly or to the extent of such transfer, to pay the tax, interest or any penalty due from the taxable person upto the time of such transfer, whether such tax, interest or penalty has been determined before such transfer, but has remained unpaid or is determined thereafter.

(2) Where the transferee of a business referred to in subsection (1) carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on the supply of goods or services or both effected by him with effect from the date of such transfer and shall, if he is a registered person under this Act, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration.

86. Liability of agent and principal.- Where an agent supplies or receives any taxable goods on behalf of his principal, such agent and his principal shall, jointly and severally, be liable to pay the tax payable on such goods under this Act.

87. Liability in case of amalgamation or merger of companies.- (1) When two or more companies are amalgamated or merged in pursuance of an order of court or of Tribunal or

otherwise and the order is to take effect from a date earlier to the date of the order and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other during the period commencing on the date from which the order takes effect till the date of the order, then such transactions of supply and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies and they shall be liable to pay tax accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in the said order, for the purposes of this Act, the said two or more companies shall be treated as distinct companies for the period up to the date of the said order and the registration certificates of the said companies shall be cancelled with effect from the date of the said order.

88. Liability in case of company in liquidation.- (1)

When any company is being wound up whether under the orders of a court or Tribunal or otherwise, every person appointed as receiver of any assets of a company (hereafter in this section referred to as the “liquidator”), shall, within thirty days after his appointment, give intimation of his appointment to the Commissioner.

(2) The Commissioner shall, after making such inquiry or calling for such information as he may deem fit, notify the liquidator within three months from the date on which he receives intimation of the appointment of the liquidator, the amount which in the opinion of the Commissioner would be sufficient to provide for any tax, interest or penalty which is then, or is likely thereafter to become, payable by the company.

(3) When any private company is wound up and any tax, interest or penalty determined under this Act on the company for any period, whether before or in the course of or after its liquidation, cannot be recovered, then every person who was a director of such company at any time during the period for which the tax was due shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty, unless he proves to the satisfaction of the Commissioner that such non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

89. Liability of directors of private company.- (1)

Notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013), where any tax, interest or penalty due from a private company in respect of any supply of goods or

services or both for any period cannot be recovered, then, every person who was a director of the private company during such period shall, jointly and severally, be liable for the payment of such tax, interest or penalty unless he proves that the non-recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or breach of duty on his part in relation to the affairs of the company.

(2) Where a private company is converted into a public company and the tax, interest or penalty in respect of any supply of goods or services or both for any period during which such company was a private company cannot be recovered before such conversion, then, nothing contained in sub-section (1) shall apply to any person who was a director of such private company in relation to any tax, interest or penalty in respect of such supply of goods or services or both of such private company:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any personal penalty imposed on such director.

90. Liability of partners of firm to pay tax.- Notwithstanding any contract to the contrary and any other law for the time being in force, where any firm is liable to pay any tax, interest or penalty under this Act, the firm and each of the partners of the firm shall, jointly and severally, be liable for such payment:

Provided that where any partner retires from the firm, he or the firm, shall intimate the date of retirement of the said partner to the Commissioner by a notice in that behalf in writing and such partner shall be liable to pay tax, interest or penalty due upto the date of his retirement whether determined or not, on that date:

Provided further that if no such intimation is given within one month from the date of retirement, the liability of such partner under the first proviso shall continue until the date on which such intimation is received by the Commissioner.

91. Liability of guardians, trustees, etc.- Where the business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this Act is carried on by any guardian, trustee or agent of a minor or other incapacitated person on behalf of and for the benefit of such minor or other incapacitated person, the tax, interest or penalty shall be levied upon and recoverable from such guardian, trustee or agent in like manner and to the same extent as it would be determined and recoverable from any such minor or other incapacitated person, as if he were a major or capacitated person and as if he were conducting the business himself, and all the

provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

92. Liability of Court of Wards, etc.- Where the estate or any portion of the estate of a taxable person owning a business in respect of which any tax, interest or penalty is payable under this Act is under the control of the Court of Wards, the Administrator General, the Official Trustee or any receiver or manager (including any person, whatever be his designation, who in fact manages the business) appointed by or under any order of a court, the tax, interest or penalty shall be levied upon and be recoverable from such Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, receiver or manager in like manner and to the same extent as it would be determined and be recoverable from the taxable person as if he were conducting the business himself, and all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply accordingly.

93. Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases.- (1) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016), where a person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, dies, then-

(a) if a business carried on by the person is continued after his death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person, shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this Act; and

(b) if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay, out of the estate of the deceased, to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax, interest or penalty due from such person under this Act,

whether such tax, interest or penalty has been determined before his death but has remained unpaid or is determined after his death.

(2) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016), where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a Hindu Undivided Family or an association of persons and the property of the Hindu Undivided Family or the association of persons is partitioned amongst the various members or groups of members, then, each member or group of members shall, jointly

and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person under this Act upto the time of the partition whether such tax, penalty or interest has been determined before partition but has remained unpaid or is determined after the partition.

(3) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Central Act No. 31 of 2016), where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a firm, and the firm is dissolved, then, every person who was a partner shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the firm under this Act upto the time of dissolution whether such tax, interest or penalty has been determined before the dissolution, but has remained unpaid or is determined after dissolution.

(4) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, (Central Act No. 31 of 2016), where a taxable person liable to pay tax, interest or penalty under this Act,-

(a) is the guardian of a ward on whose behalf the business is carried on by the guardian; or

(b) is a trustee who carries on the business under a trust for a beneficiary,

then, if the guardianship or trust is terminated, the ward or the beneficiary shall be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person upto the time of the termination of the guardianship or trust, whether such tax, interest or penalty has been determined before the termination of guardianship or trust but has remained unpaid or is determined thereafter.

94. Liability in other cases.- (1) Where a taxable person is a firm or an association of persons or a Hindu Undivided Family and such firm, association or family has discontinued business-

(a) the tax, interest or penalty payable under this Act by such firm, association or family upto the date of such discontinuance may be determined as if no such discontinuance had taken place; and

(b) every person who, at the time of such discontinuance, was a partner of such firm, or a member of such association or family, shall, notwithstanding such discontinuance, jointly and severally, be liable for the payment of tax and interest determined and penalty imposed and payable by such firm, association or family, whether such tax and interest has been determined or

penalty imposed prior to or after such discontinuance and subject as aforesaid, the provisions of this Act shall, so far as may be, apply as if every such person or partner or member were himself a taxable person.

(2) Where a change has occurred in the constitution of a firm or an association of persons, the partners of the firm or members of association, as it existed before and as it exists after the reconstitution, shall, without prejudice to the provisions of section 90, jointly and severally, be liable to pay tax, interest or penalty due from such firm or association for any period before its reconstitution.

(3) The provisions of sub-section (1) shall, so far as may be, apply where the taxable person, being a firm or association of persons is dissolved or where the taxable person, being a Hindu Undivided Family, has effected partition with respect to the business carried on by it and accordingly references in that sub-section to discontinuance shall be construed as reference to dissolution or to partition.

Explanation.- For the purposes of this Chapter,-

(i) a “Limited Liability Partnership” formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009), shall also be considered as a firm;

(ii) “court” means the District Court, High Court or Supreme Court.

CHAPTER XVII ADVANCE RULING

95. Definitions.- In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

(a) “advance ruling” means a decision provided by the Authority or the Appellate Authority to an applicant on matters or on questions specified in sub-section (2) of section 97 or sub-section (1) of section 100, in relation to the supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant;

(b) “Appellate Authority” means the Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 99;

(c) “applicant” means any person registered or desirous of obtaining registration under this Act;

(d) “application” means an application made to the Authority under sub-section (1) of section 97;

(e) “Authority” means the Authority for Advance Ruling, constituted under section 96.

96. Constitution of Authority for Advance Ruling.- (1) The Government shall, by notification, constitute an Authority to be known as the Rajasthan Authority for Advance Ruling:

Provided that the Government may, on the recommendation of the Council, notify any Authority located in another State to act as the Authority for the State.

(2) The Authority shall consist of-

(i) one member from amongst the officers of central tax; and

(ii) one member from amongst the officers of State tax,

to be appointed by the Central Government and the State Government respectively.

(3) The qualifications, the method of appointment of the members and the terms and conditions of their services shall be such as may be prescribed.

97. Application for advance ruling.- (1) An applicant desirous of obtaining an advance ruling under this Chapter may make an application in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed, stating the question on which the advance ruling is sought.

(2) The question on which the advance ruling is sought under this Act, shall be in respect of, -

(a) classification of any goods or services or both;

(b) applicability of a notification issued under the provisions of this Act;

(c) determination of time and value of supply of goods or services or both;

(d) admissibility of input tax credit of tax paid or deemed to have been paid;

(e) determination of the liability to pay tax on any goods or services or both;

(f) whether applicant is required to be registered;

(g) whether any particular thing done by the applicant with respect to any goods or services or both amounts to or results in a supply of goods or services or both, within the meaning of that term.

98. Procedure on receipt of application.- (1) On receipt of an application, the Authority shall cause a copy thereof to be

forwarded to the concerned officer and, if necessary, call upon him to furnish the relevant records:

Provided that where any records have been called for by the Authority in any case, such records shall, as soon as possible, be returned to the said concerned officer.

(2) The Authority may, after examining the application and the records called for and after hearing the applicant or his authorised representative and the concerned officer or his authorised representative, by order, either admit or reject the application:

Provided that the Authority shall not admit the application where the question raised in the application is already pending or decided in any proceedings in the case of an applicant under any of the provisions of this Act:

Provided further that no application shall be rejected under this sub-section unless an opportunity of hearing has been given to the applicant:

Provided also that where the application is rejected, the reasons for such rejection shall be specified in the order.

(3) A copy of every order made under sub-section (2) shall be sent to the applicant and to the concerned officer.

(4) Where an application is admitted under sub-section (2), the Authority shall, after examining such further material as may be placed before it by the applicant or obtained by the Authority and after providing an opportunity of being heard to the applicant or his authorised representative as well as to the concerned officer or his authorised representative, pronounce its advance ruling on the question specified in the application.

(5) Where the members of the Authority differ on any question on which the advance ruling is sought, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the Appellate Authority for hearing and decision on such question.

(6) The Authority shall pronounce its advance ruling in writing within ninety days from the date of receipt of application.

(7) A copy of the advance ruling pronounced by the Authority duly signed by the members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer after such pronouncement.

99. Constitution of Appellate Authority for Advance Ruling.- The Government shall, by notification, constitute an

Authority to be known as Rajasthan Appellate Authority for Advance Ruling for Goods and Services Tax for hearing appeals against the advance ruling pronounced by the Advance Ruling Authority consisting of-

(i) the Chief Commissioner of central tax as designated by the Board; and

(ii) the Commissioner of State tax:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify any Appellate Authority located in another State or Union territory to act as the Appellate Authority for the State.

100. Appeal to the Appellate Authority.- (1) The concerned officer, the jurisdictional officer or an applicant aggrieved by any advance ruling pronounced under sub-section (4) of section 98, may appeal to the Appellate Authority.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, the jurisdictional officer and the applicant:

Provided that the Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, allow it to be presented within a further period not exceeding thirty days.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101. Orders of Appellate Authority.- (1) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal or reference an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the ruling appealed against or referred to.

(2) The order referred to in sub-section (1) shall be passed within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 100 or a reference under sub-section (5) of section 98.

(3) Where the members of the Appellate Authority differ on any point or points referred to in appeal or reference, it shall be deemed that no advance ruling can be issued in respect of the question under the appeal or reference.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the Appellate Authority duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed shall be sent to the applicant,

the concerned officer, the jurisdictional officer and to the Authority after such pronouncement.

102. Rectification of advance ruling.- The Authority or the Appellate Authority may amend any order passed by it under section 98 or section 101, so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by the Authority or the Appellate Authority on its own accord, or is brought to its notice by the concerned officer, the jurisdictional officer, or the applicant or the appellant within a period of six months from the date of the order:

Provided that no rectification which has the effect of enhancing the tax liability or reducing the amount of admissible input tax credit shall be made unless the applicant or the appellant has been given an opportunity of being heard.

103. Applicability of advance ruling.- (1) The advance ruling pronounced by the Authority or the Appellate Authority under this Chapter shall be binding only -

(a) on the applicant who had sought it in respect of any matter referred to in sub-section (2) of section 97 for advance ruling;

(b) on the concerned officer or the jurisdictional officer in respect of the applicant.

(2) The advance ruling referred to in sub-section (1) shall be binding unless the law, facts or circumstances supporting the original advance ruling have changed.

104. Advance ruling to be void in certain circumstances.- (1) Where the Authority or the Appellate Authority finds that advance ruling pronounced by it under sub-section (4) of section 98 or under sub-section (1) of section 101 has been obtained by the applicant or the appellant by fraud or suppression of material facts or misrepresentation of facts, it may, by order, declare such ruling to be void *ab-initio* and thereupon all the provisions of this Act or the rules made thereunder shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling had never been made:

Provided that no order shall be passed under this sub-section unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or the appellant.

Explanation.-The period beginning with the date of such advance ruling and ending with the date of order under this sub-section shall be excluded while computing the period specified in

sub-sections (2) and (10) of section 73 or sub-sections (2) and (10) of section 74.

(2) A copy of the order made under sub-section (1) shall be sent to the applicant, the concerned officer and the jurisdictional officer.

105. Powers of Authority and Appellate Authority.- (1)

The Authority or the Appellate Authority shall, for the purpose of exercising its powers regarding -

(a) discovery and inspection;

(b) enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(c) issuing commissions and compelling production of books of account and other records,

have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

(2) The Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195, but not for the purposes of Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), and every proceeding before the Authority or the Appellate Authority shall be deemed to be a judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228, and for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860).

106. Procedure of Authority and Appellate Authority.-

The Authority or the Appellate Authority shall, subject to the provisions of this Chapter, have power to regulate its own procedure.

CHAPTER XVIII

APPEALS AND REVISION

107. Appeals to Appellate Authority.- (1) Any person

aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act by an adjudicating authority may appeal to such Appellate Authority as may be prescribed within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceeding in which an adjudicating authority has passed any decision or order under this Act or the Central Goods and Services Tax Act, for the purpose of satisfying himself

as to the legality or propriety of the said decision or order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Authority within six months from the date of communication of the said decision or order for the determination of such points arising out of the said decision or order as may be specified by the Commissioner in his order.

(3) Where, in pursuance of an order under sub-section (2), the authorised officer makes an application to the Appellate Authority, such application shall be dealt with by the Appellate Authority as if it were an appeal made against the decision or order of the adjudicating authority and such authorised officer were an appellant and the provisions of this Act relating to appeals shall apply to such application.

(4) The Appellate Authority may, if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months or six months, as the case may be, allow it to be presented within a further period of one month.

(5) Every appeal under this section shall be in such form and shall be verified in such manner as may be prescribed.

(6) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to ten per cent. of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(7) Where the appellant has paid the amount under sub-section (6), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed.

(8) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant of being heard.

(9) The Appellate Authority may, if sufficient cause is shown at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(10) The Appellate Authority may, at the time of hearing of an appeal, allow an appellant to add any ground of appeal not

specified in the grounds of appeal, if it is satisfied that the omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(11) The Appellate Authority shall, after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as it thinks just and proper, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against but shall not refer the case back to the adjudicating authority that passed the said decision or order:

Provided that an order enhancing any fee or penalty or fine in lieu of confiscation or confiscating goods of greater value or reducing the amount of refund or input tax credit shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order:

Provided further that where the Appellate Authority is of the opinion that any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 or section 74.

(12) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for such decision.

(13) The Appellate Authority shall, where it is possible to do so, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed:

Provided that where the issuance of order is stayed by an order of a court or Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of one year.

(14) On disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by it to the appellant, respondent and to the adjudicating authority.

(15) A copy of the order passed by the Appellate Authority shall also be sent to the Commissioner or the authority designated by him in this behalf and the jurisdictional Commissioner of central tax or an authority designated by him in this behalf.

(16) Every order passed under this section shall, subject to the provisions of section 108 or section 113 or section 117 or section 118 be final and binding on the parties.

108. Powers of Revisional Authority.- (1) Subject to the provisions of section 121 and any rules made thereunder, the Revisional Authority may, on his own motion, or upon information received by him or on request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any proceedings, and if he considers that any decision or order passed under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act by any officer subordinate to him is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, whether available at the time of issuance of the said order or not or in consequence of an observation by the Comptroller and Auditor General of India, he may, if necessary, stay the operation of such decision or order for such period as he deems fit and after giving the person concerned an opportunity of being heard and after making such further inquiry as may be necessary, pass such order, as he thinks just and proper, including enhancing or modifying or annulling the said decision or order.

(2) The Revisional Authority shall not exercise any power under sub-section (1), if-

(a) the order has been subject to an appeal under section 107 or section 112 or section 117 or section 118; or

(b) the period specified under sub-section (2) of section 107 has not yet expired or more than three years have expired after the passing of the decision or order sought to be revised; or

(c) the order has already been taken for revision under this section at an earlier stage; or

(d) the order has been passed in exercise of the powers under sub-section (1):

Provided that the Revisional Authority may pass an order under sub-section (1) on any point which has not been raised and decided in an appeal referred to in clause (a) of sub-section (2), before the expiry of a period of one year from the date of the order in such appeal or before the expiry of a period of three years referred to in clause (b) of that sub-section, whichever is later.

(3) Every order passed in revision under sub-section (1) shall, subject to the provisions of section 113 or section 117 or section 118, be final and binding on the parties.

(4) If the said decision or order involves an issue on which the Appellate Tribunal or the High Court has given its decision in some other proceedings and an appeal to the High Court or the

Supreme Court against such decision of the Appellate Tribunal or the High Court is pending, the period spent between the date of the decision of the Appellate Tribunal and the date of the decision of the High Court or the date of the decision of the High Court and the date of the decision of the Supreme Court shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2) where proceedings for revision have been initiated by way of issue of a notice under this section.

(5) Where the issuance of an order under sub-section (1) is stayed by the order of a court or Appellate Tribunal, the period of such stay shall be excluded in computing the period of limitation referred to in clause (b) of sub-section (2).

(6) For the purposes of this section, the term,-

(i) "record" shall include all records relating to any proceedings under this Act available at the time of examination by the Revisional Authority;

(ii) "decision" shall include intimation given by any officer lower in rank than the Revisional Authority.

109. Appellate Tribunal and Benches thereof.- (1)

Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.

(2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the State shall be in accordance with the provisions of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder.

110. President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.- The qualifications, appointment, salary and allowances, terms of office, resignation and removal of the President and Members of the State Bench and Area Benches shall be in accordance with the provisions of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act.

111. Procedure before Appellate Tribunal.- (1) The Appellate Tribunal shall not, while disposing of any proceedings before it or an appeal before it, be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and subject to the other provisions of this Act and the rules made

thereunder, the Appellate Tribunal shall have power to regulate its own procedure.

(2) The Appellate Tribunal shall, for the purposes of discharging its functions under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), while trying a suit in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) subject to the provisions of sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act No. 1 of 1872), requisitioning any public record or document or a copy of such record or document from any office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) dismissing a representation for default or deciding it *ex parte*;

(g) setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it *ex parte*; and

(h) any other matter which may be prescribed.

(3) Any order made by the Appellate Tribunal may be enforced by it in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the Appellate Tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limits of whose jurisdiction,-

(a) in the case of an order against a company, the registered office of the company is situated; or

(b) in the case of an order against any other person, the person concerned voluntarily resides or carries on business or personally works for gain.

(4) All proceedings before the Appellate Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228, and for the purposes of section 196 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860), and the Appellate Tribunal shall be deemed to be civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

112. Appeals to Appellate Tribunal.- (1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.

(2) The Appellate Tribunal may, in its discretion, refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined by such order, does not exceed fifty thousand rupees.

(3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of central tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or under the Central Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.

(4) Where in pursuance of an order under sub-section (3) the authorised officer makes an application to the Appellate Tribunal, such application shall be dealt with by the Appellate Tribunal as if it were an appeal made against the order under sub-section (11) of section 107 or under sub-section (1) of section 108 and the provisions of this Act shall apply to such application, as they apply in relation to appeals filed under sub-section (1).

(5) On receipt of notice that an appeal has been preferred under this section, the party against whom the appeal has been preferred may, notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, file, within forty five days of the receipt of notice, a memorandum of cross-objections, verified in the prescribed manner, against any part of the order appealed against and such memorandum shall be disposed of by the Appellate Tribunal, as if it were an appeal presented within the time specified in sub-section (1).

(6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1), or permit the filing of a memorandum of cross-

objections within forty five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.

(7) An appeal to the Appellate Tribunal shall be in such form, verified in such manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.

(8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-

(a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him; and

(b) a sum equal to twenty per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order, in relation to which the appeal has been filed.

(9) Where the appellant has paid the amount as per sub-section (8), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.

(10) Every application made before the Appellate Tribunal,

(a) in an appeal for rectification of error or for any other purpose; or

(b) for restoration of an appeal or an application, shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

113. Orders of Appellate Tribunal.- (1) The Appellate Tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against or may refer the case back to the Appellate Authority, or the Revisional Authority or to the original adjudicating authority, with such directions as it may think fit, for a fresh adjudication or decision after taking additional evidence, if necessary.

(2) The Appellate Tribunal may, if sufficient cause is shown, at any stage of hearing of an appeal, grant time to the parties or any of them and adjourn the hearing of the appeal for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such adjournment shall be granted more than three times to a party during hearing of the appeal.

(3) The Appellate Tribunal may amend any order passed by it under sub-section (1) so as to rectify any error apparent on the face of the record, if such error is noticed by it on its own accord,

or is brought to its notice by the Commissioner or the Commissioner of central tax or the other party to the appeal within a period of three months from the date of the order:

Provided that no amendment which has the effect of enhancing an assessment or reducing a refund or input tax credit or otherwise increasing the liability of the other party, shall be made under this sub-section, unless the party has been given an opportunity of being heard.

(4) The Appellate Tribunal shall, as far as possible, hear and decide every appeal within a period of one year from the date on which it is filed.

(5) The Appellate Tribunal shall send a copy of every order passed under this section to the Appellate Authority or the Revisional Authority, or the original adjudicating authority, as the case may be, the appellant and the Commissioner or the jurisdictional Commissioner of central tax.

(6) Save as provided in section 117 or section 118, orders passed by the Appellate Tribunal on an appeal shall be final and binding on the parties.

114. Financial and administrative powers of State President.-The State President shall exercise such financial and administrative powers over the State Bench and Area Benches of the Appellate Tribunal in a State, as may be prescribed:

Provided that the State President shall have the authority to delegate such of his financial and administrative powers as he may think fit to any other Member or any officer of the State Bench or Area Benches, subject to the condition that such Member or officer shall, while exercising such delegated powers, continue to act under the direction, control and supervision of the State President.

115. Interest on refund of amount paid for admission of appeal.- Where an amount paid by the appellant under sub-section (6) of section 107 or sub-section (8) of section 112 is required to be refunded consequent to any order of the Appellate Authority or of the Appellate Tribunal, interest at the rate specified under section 56 shall be payable in respect of such refund from the date of payment of the amount till the date of refund of such amount.

116. Appearance by authorised representative.- (1) Any person who is entitled or required to appear before an officer appointed under this Act, or the Appellate Authority or the Appellate Tribunal in connection with any proceedings under this Act, may, otherwise than when required under this Act to appear

personally for examination on oath or affirmation, subject to the other provisions of this section, appear by an authorised representative.

(2) For the purposes of this Act, the expression “authorised representative” shall mean a person authorised by the person referred to in sub-section (1) to appear on his behalf, being -

(a) his relative or regular employee; or

(b) an advocate who is entitled to practice in any court in India, and who has not been debarred from practising before any court in India; or

(c) any chartered accountant, a cost accountant or a company secretary, who holds a certificate of practice and who has not been debarred from practice; or

(d) a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or Union territory or of the Board who, during his service under the Government, had worked in a post not below the rank than that of a Group-B Gazetted officer for a period of not less than two years:

Provided that such officer shall not be entitled to appear before any proceedings under this Act for a period of one year from the date of his retirement or resignation; or

(e) any person who has been authorised to act as a goods and services tax practitioner on behalf of the concerned registered person.

(3) No person, -

(a) who has been dismissed or removed from Government service; or

(b) who is convicted of an offence connected with any proceedings under this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act, or under the existing law or under any of the Acts passed by a State Legislature dealing with the imposition of taxes on sale of goods or supply of goods or services or both; or

(c) who is found guilty of misconduct by the prescribed authority; or

(d) who has been adjudged as an insolvent, shall be qualified to represent any person under sub-section (1)-

(i) for all times in case of persons referred to in clauses (a), (b) and (c); and

(ii) for the period during which the insolvency continues in the case of a person referred to in clause (d).

(4) Any person who has been disqualified under the provisions of the Central Goods and Services Tax Act or the Goods and Services Tax Act of any other State or the Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be disqualified under this Act.

117. Appeal to High Court.- (1) Any person aggrieved by any order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court and the High Court may admit such appeal, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be filed within a period of one hundred and eighty days from the date on which the order appealed against is received by the aggrieved person and it shall be in such form, verified in such manner as may be prescribed:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within such period.

(3) Where the High Court is satisfied that a substantial question of law is involved in any case, it shall formulate that question and the appeal shall be heard only on the question so formulated, and the respondents shall, at the hearing of the appeal, be allowed to argue that the case does not involve such question:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear, for reasons to be recorded, the appeal on any other substantial question of law not formulated by it, if it is satisfied that the case involves such question.

(4) The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which such decision is founded and may award such cost as it deems fit.

(5) The High Court may determine any issue which-

(a) has not been determined by the State Bench or Area Benches; or

(b) has been wrongly determined by the State Bench or Area Benches, by reason of a decision on such question of law as herein referred to in sub-section (3).

(6) Where an appeal has been filed before the High Court, it shall be heard by a Bench of not less than two Judges of the High Court, and shall be decided in accordance with the opinion of such Judges or of the majority, if any, of such Judges.

(7) Where there is no such majority, the Judges shall state the point of law upon which they differ and the case shall, then, be heard upon that point only, by one or more of the other Judges of the High Court and such point shall be decided according to the opinion of the majority of the Judges who have heard the case including those who first heard it.

(8) Where the High Court delivers a judgment in an appeal filed before it under this section, effect shall be given to such judgment by either side on the basis of a certified copy of the judgment.

(9) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), relating to appeals to the High Court shall, as far as may be, apply in the case of appeals under this section.

118. Appeal to Supreme Court.- (1) An appeal shall lie to the Supreme Court-

(a) from any order passed by the National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal; or

(b) from any judgment or order passed by the High Court in an appeal made under section 117 in any case which, on its own motion or on an application made by or on behalf of the party aggrieved, immediately after passing of the judgment or order, the High Court certifies to be a fit one for appeal to the Supreme Court.

(2) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), relating to appeals to the Supreme Court shall, so far as may be, apply in the case of appeals under this section as they apply in the case of appeals from decrees of a High Court.

(3) Where the judgment of the High Court is varied or reversed in the appeal, effect shall be given to the order of the Supreme Court in the manner provided in section 117 in the case of a judgment of the High Court.

119. Sums due to be paid notwithstanding appeal, etc.-

Notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or the Supreme Court, sums due to the Government as a result of an order passed by the National or Regional Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the High Court under section 117, as the case may be, shall be payable in accordance with the order so passed.

120. Appeal not to be filed in certain cases.-

(1) The Commissioner may, on the recommendations of the Council, from time to time, issue orders or instructions or directions fixing such monetary limits, as he may deem fit, for the purposes of regulating the filing of appeal or application by the officer of the State tax under the provisions of this Chapter.

(2) Where, in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), the officer of the State tax has not filed an appeal or application against any decision or order passed under the provisions of this Act, it shall not preclude such officer of the State tax from filing appeal or application in any other case involving the same or similar issues or questions of law.

(3) Notwithstanding the fact that no appeal or application has been filed by the officer of the State tax pursuant to the orders or instructions or directions issued under sub-section (1), no person, being a party in appeal or application shall contend that the officer of the State tax has acquiesced in the decision on the disputed issue by not filing an appeal or application.

(4) The Appellate Tribunal or court hearing such appeal or application shall have regard to the circumstances under which appeal or application was not filed by the officer of the State tax in pursuance of the orders or instructions or directions issued under sub-section (1).

121. Non appealable decisions and orders.-

Notwithstanding anything to the contrary in any provisions of this Act, no appeal shall lie against any decision taken or order passed by an officer of State tax if such decision taken or order passed relates to any one or more of the following matters, namely:-

(a) an order of the Commissioner or other authority empowered to direct transfer of proceedings from one officer to another officer; or

- (b) an order pertaining to the seizure or retention of books of account, register and other documents; or
(c) an order sanctioning prosecution under this Act;
or
(d) an order passed under section 80.

CHAPTER XIX OFFENCES AND PENALTIES

122. Penalty for certain offences.- (1) Where a taxable person who-

(i) supplies any goods or services or both without issue of any invoice or issues an incorrect or false invoice with regard to any such supply;

(ii) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(iii) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(iv) collects any tax in contravention of the provisions of this Act but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(v) fails to deduct the tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 51, or deducts an amount which is less than the amount required to be deducted under the said sub-section, or where he fails to pay to the Government under sub-section (2) thereof, the amount deducted as tax;

(vi) fails to collect tax in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 52, or collects an amount which is less than the amount required to be collected under the said sub-section or where he fails to pay to the Government the amount collected as tax under sub-section (3) of section 52;

(vii) takes or utilises input tax credit without actual receipt of goods or services or both either fully or partially, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(viii) fraudulently obtains refund of tax under this Act;

(ix) takes or distributes input tax credit in contravention of section 20, or the rules made thereunder;

(x) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(xi) is liable to be registered under this Act but fails to obtain registration;

(xii) furnishes any false information with regard to registration particulars, either at the time of applying for registration, or subsequently;

(xiii) obstructs or prevents any officer in discharge of his duties under this Act;

(xiv) transports any taxable goods without the cover of documents as may be specified in this behalf;

(xv) suppresses his turnover leading to evasion of tax under this Act;

(xvi) fails to keep, maintain or retain books of account and other documents in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(xvii) fails to furnish information or documents called for by an officer in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or furnishes false information or documents during any proceedings under this Act;

(xviii) supplies, transports or stores any goods which he has reasons to believe are liable to confiscation under this Act;

(xix) issues any invoice or document by using the registration number of another registered person;

(xx) tampers with, or destroys any material evidence or documents;

(xxi) disposes off or tampers with any goods that have been detained, seized, or attached under this Act,

he shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees or an amount equivalent to the tax evaded or the tax not deducted under section 51 or short deducted or deducted but not paid to the Government or tax not collected under section 52 or short collected or collected but not paid to the Government or input tax credit availed of or passed on or distributed irregularly, or the refund claimed fraudulently, whichever is higher.

(2) Any registered person who supplies any goods or services or both on which any tax has not been paid or short-paid or erroneously refunded, or where the input tax credit has been wrongly availed or utilized,-

(a) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty of ten thousand rupees or ten per cent. of the tax due from such person, whichever is higher;

(b) for reason of fraud or any wilful misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be liable to a penalty equal to ten thousand rupees or the tax due from such person, whichever is higher.

(3) Any person who-

(a) aids or abets any of the offences specified in clauses (i) to (xxi) of sub-section (1);

(b) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing or in any other manner deals with any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(c) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(d) fails to appear before the officer of State tax, when issued with a summon for appearance to give evidence or produce a document in an inquiry;

(e) fails to issue invoice in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or fails to account for an invoice in his books of account,

shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

123. Penalty for failure to furnish information return.-

If a person who is required to furnish an information return under section 150 fails to do so within the period specified in the notice issued under sub-section (3) thereof, the proper officer may direct, that such person shall be liable to pay a penalty of one hundred

rupees for each day of the period during which the failure to furnish such return continues:

Provided that the penalty imposed under this section shall not exceed five thousand rupees.

124. Fine for failure to furnish statistics.- If any person required to furnish any information or return under section 151,-

(a) without reasonable cause fails to furnish such information or return as may be required under that section, or

(b) wilfully furnishes or causes to furnish any information or return which he knows to be false,

he shall be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees and in case of a continuing offence to a further fine which may extend to one hundred rupees for each day after the first day during which the offence continues subject to a maximum limit of twenty five thousand rupees.

125. General penalty.- Any person, who contravenes any of the provisions of this Act or any rules made thereunder for which no penalty is separately provided for in this Act, shall be liable to a penalty which may extend to twenty five thousand rupees.

126. General disciplines related to penalty.- (1) No officer under this Act shall impose any penalty for minor breaches of tax regulations or procedural requirements and in particular, any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence.

Explanation.- For the purpose of this sub-section,-

(a) a breach shall be considered a 'minor breach' if the amount of tax involved is less than five thousand rupees;

(b) an omission or mistake in documentation shall be considered to be easily rectifiable if the same is an error apparent on the face of record.

(2) The penalty imposed under this Act shall depend on the facts and circumstances of each case and shall commensurate with the degree and severity of the breach.

(3) No penalty shall be imposed on any person without giving him an opportunity of being heard.

(4) The officer under this Act shall while imposing penalty in an order for a breach of any law, regulation or procedural requirement, specify the nature of the breach and the applicable

law, regulation or procedure under which the amount of penalty for the breach has been specified.

(5) When a person voluntarily discloses to an officer under this Act the circumstances of a breach of the tax law, regulation or procedural requirement prior to the discovery of the breach by the officer under this Act, the proper officer may consider this fact as a mitigating factor when quantifying a penalty for that person.

(6) The provisions of this section shall not apply in such cases where the penalty specified under this Act is either a fixed sum or expressed as a fixed percentage.

127. Power to impose penalty in certain cases.- Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

128. Power to waive penalty or fee or both.- The Government may, by notification, waive in part or full, any penalty referred to in section 122 or section 123 or section 125 or any late fee referred to in section 47 for such class of taxpayers and under such mitigating circumstances as may be specified therein on the recommendations of the Council.

129. Detention, seizure and release of goods and conveyances in transit.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person transports any goods or stores any goods while they are in transit in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a means of transport for carrying the said goods and documents relating to such goods and conveyance shall be liable to detention or seizure and after detention or seizure, shall be released,-

(a) on payment of the applicable tax and penalty equal to one hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such tax and penalty;

(b) on payment of the applicable tax and penalty equal to the fifty per cent. of the value of the goods reduced

by the tax amount paid thereon and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such tax and penalty;

(c) upon furnishing a security equivalent to the amount payable under clause (a) or clause (b) in such form and manner as may be prescribed:

Provided that no such goods or conveyance shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods.

(2) The provisions of sub-section (6) of section 67 shall, *mutatis mutandis*, apply for detention and seizure of goods and conveyances.

(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyances shall issue a notice specifying the tax and penalty payable and thereafter, pass an order for payment of tax and penalty under clause (a) or clause (b) or clause (c).

(4) No tax, interest or penalty shall be determined under sub-section (3) without giving the person concerned an opportunity of being heard.

(5) On payment of amount referred in sub-section (1), all proceedings in respect of the notice specified in sub-section (3) shall be deemed to be concluded.

(6) Where the person transporting any goods or the owner of the goods fails to pay the amount of tax and penalty as provided in sub-section (1) within seven days of such detention or seizure, further proceedings shall be initiated in accordance with the provisions of section 130:

Provided that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of seven days may be reduced by the proper officer.

130. Confiscation of goods or conveyances and levy of penalty.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if any person -

(i) supplies or receives any goods in contravention of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(ii) does not account for any goods on which he is liable to pay tax under this Act; or

(iii) supplies any goods liable to tax under this Act without having applied for registration; or

(iv) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder with intent to evade payment of tax; or

(v) uses any conveyance as a means of transport for carriage of goods in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in charge of the conveyance,

then, all such goods or conveyances shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122.

(2) Whenever confiscation of any goods or conveyance is authorised by this Act, the officer adjudging it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation, such fine as the said officer thinks fit:

Provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated, less the tax chargeable thereon:

Provided further that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129:

Provided also that where any such conveyance is used for the carriage of the goods or passengers for hire, the owner of the conveyance shall be given an option to pay in lieu of the confiscation of the conveyance a fine equal to the tax payable on the goods being transported thereon.

(3) Where any fine in lieu of confiscation of goods or conveyance is imposed under sub-section (2), the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub-section (1), shall, in addition, be liable to any tax, penalty and charges payable in respect of such goods or conveyance.

(4) No order for confiscation of goods or conveyance or for imposition of penalty shall be issued without giving the person an opportunity of being heard.

(5) Where any goods or conveyance are confiscated under this Act, the title of such goods or conveyance shall thereupon vest in the Government.

(6) The proper officer adjudging confiscation shall take and hold possession of the things confiscated and every officer of

Police, on the requisition of such proper officer, shall assist him in taking and holding such possession.

(7) The proper officer may, after satisfying himself that the confiscated goods or conveyance are not required in any other proceedings under this Act and after giving reasonable time not exceeding three months to pay fine in lieu of confiscation, dispose of such goods or conveyance and deposit the sale proceeds thereof with the Government.

131. Confiscation or penalty not to interfere with other punishments.- Without prejudice to the provisions contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), no confiscation made or penalty imposed under the provisions of this Act or the rules made thereunder shall prevent the infliction of any other punishment to which the person affected thereby is liable under the provisions of this Act or under any other law for the time being in force.

132. Punishment for certain offences.- (1) Whoever commits any of the following offences, namely:-

(a) supplies any goods or services or both without issue of any invoice, in violation of the provisions of this Act or the rules made thereunder, with the intention to evade tax;

(b) issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this Act, or the rules made thereunder leading to wrongful availment or utilisation of input tax credit or refund of tax;

(c) avails input tax credit using such invoice or bill referred to in clause (b);

(d) collects any amount as tax but fails to pay the same to the Government beyond a period of three months from the date on which such payment becomes due;

(e) evades tax, fraudulently avails input tax credit or fraudulently obtains refund and where such offence is not covered under clauses (a) to (d);

(f) falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information with an intention to evade payment of tax due under this Act;

(g) obstructs or prevents any officer in the discharge of his duties under this Act;

(h) acquires possession of, or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, purchasing or in any other manner deals with, any goods which he knows or has reasons to believe are liable to confiscation under this Act or the rules made thereunder;

(i) receives or is in any way concerned with the supply of, or in any other manner deals with any supply of services which he knows or has reasons to believe are in contravention of any provisions of this Act or the rules made thereunder;

(j) tampers with or destroys any material evidence or documents;

(k) fails to supply any information which he is required to supply under this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information; or

(l) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (a) to (k) of this section,

shall be punishable-

(i) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine;

(ii) in cases where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds two hundred lakh rupees but does not exceed five hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine;

(iii) in the case of any other offence where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;

(iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) or clause

(g) or clause (j), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(2) Where any person convicted of an offence under this section is again convicted of an offence under this section, then, he shall be punishable for the second and for every subsequent offence with imprisonment for a term which may extend to five years and with fine.

(3) The imprisonment referred to in clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (1) and sub-section (2) shall, in the absence of special and adequate reasons to the contrary to be recorded in the judgment of the Court, be for a term not less than six months.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), all offences under this Act, except the offences referred to in sub-section (5) shall be non-cognizable and bailable.

(5) The offences specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub-section (1) and punishable under clause (i) of that sub-section shall be cognizable and non-bailable.

(6) A person shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

Explanation.- For the purposes of this section, the term “tax” shall include the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or refund wrongly taken under the provisions of this Act, the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and cess levied under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act.

133. Liability of officers and certain other persons.- (1) Where any person engaged in connection with the collection of statistics under section 151 or compilation or computerisation thereof or if any officer of State tax having access to information specified under sub-section (1) of section 150, or if any person engaged in connection with the provision of service on the common portal or the agent of common portal, wilfully discloses any information or the contents of any return furnished under this Act or rules made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for the purposes of prosecution for an offence under this Act or under any other Act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for a term

which may extend to six months or with fine which may extend to twenty five thousand rupees, or with both.

(2) Any person -

(a) who is a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Government;

(b) who is not a Government servant shall not be prosecuted for any offence under this section except with the previous sanction of the Commissioner.

134. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Magistrate of the First Class, shall try any such offence.

135. Presumption of culpable mental state.- In any prosecution for an offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(i) the expression “culpable mental state” includes intention, motive, knowledge of a fact, and belief in, or reason to believe, a fact;

(ii) a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

136. Relevancy of statements under certain circumstances.- A statement made and signed by a person on appearance in response to any summons issued under section 70 during the course of any inquiry or proceedings under this Act shall be relevant, for the purpose of proving, in any prosecution for an offence under this Act, the truth of the facts which it contains,-

(a) when the person who made the statement is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or whose presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the court considers unreasonable; or

(b) when the person who made the statement is examined as a witness in the case before the court and the court is of the opinion that, having regard to the circumstances of the case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice.

137. Offences by Companies.- (1) Where an offence committed by a person under this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(3) Where an offence under this Act has been committed by a taxable person being a partnership firm or a Limited Liability Partnership or a Hindu Undivided Family or a trust, the partner or karta or managing trustee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly and the provisions of sub-section (2) shall, *mutatis mutandis*, apply to such persons.

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation.- For the purposes of this section,-

(i) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(ii) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.

138. Compounding of offences.- (1) Any offence under this Act may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by the Commissioner on payment, by the person accused of the offence, to the Central Government or the State

Government, as the case may be, of such compounding amount in such manner as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this section shall apply to -

(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section;

(b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;

(c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being in force;

(d) a person who has been convicted for an offence under this Act by a court;

(e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of section 132; and

(f) any other class of persons or offences as may be prescribed:

Provided further that any compounding allowed under the provisions of this section shall not affect the proceedings, if any, instituted under any other law:

Provided also that compounding shall be allowed only after making payment of tax, interest and penalty involved in such offences.

(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher.

(3) On payment of such compounding amount as may be determined by the Commissioner, no further proceedings shall be

initiated under this Act against the accused person in respect of the same offence and any criminal proceedings, if already initiated in respect of the said offence, shall stand abated.

CHAPTER XX TRANSITIONAL PROVISIONS

139. Migration of existing taxpayers.- (1) On and from the appointed day, every person registered under any of the existing laws and having a valid Permanent Account Number shall be issued a certificate of registration on provisional basis, subject to such conditions and in such form and manner as may be prescribed, which unless replaced by a final certificate of registration under sub-section (2), shall be liable to be cancelled if the conditions so prescribed are not complied with.

(2) The final certificate of registration shall be granted in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed.

(3) The certificate of registration issued to a person under sub-section (1) shall be deemed to have not been issued if the said registration is cancelled in pursuance of an application filed by such person that he was not liable to registration under section 22 or section 24.

140. Transitional arrangements for input tax credit.- (1) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the amount of Value Added Tax, if any, carried forward in the return relating to the period ending with the day immediately preceding the appointed day, furnished by him under the existing law in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit in the following circumstances, namely: -

(i) where the said amount of credit is not admissible as input tax credit under this Act; or

(ii) where he has not furnished all the returns required under the existing law for the period of six months immediately preceding the appointed date:

Provided further that so much of the said credit as is attributable to any claim related to section 3, sub-section (3) of section 5, section 6, section 6A or sub-section (8) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) which is not substantiated in the manner, and within the period,

prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957 shall not be eligible to be credited to the electronic credit ledger:

Provided also that an amount equivalent to the credit specified in the second proviso shall be refunded under the existing law when the said claims are substantiated in the manner prescribed in rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957.

(2) A registered person, other than a person opting to pay tax under section 10, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the unavailed input tax credit in respect of capital goods, not carried forward in a return, furnished under the existing law by him, for the period ending with the day immediately preceding the appointed day in such manner as may be prescribed:

Provided that the registered person shall not be allowed to take credit unless the said credit was admissible as input tax credit under the existing law and is also admissible as input tax credit under this Act.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression “unavailed input tax credit” means the amount that remains after subtracting the amount of input tax credit already availed in respect of capital goods by the taxable person under the existing law from the aggregate amount of input tax credit to which the said person was entitled in respect of the said capital goods under the existing law.

(3) A registered person, who was not liable to be registered under the existing law or who was engaged in the sale of exempted goods or tax free goods, by whatever name called, or goods which have suffered tax at the first point of their sale in the State and the subsequent sales of which are not subject to tax in the State under the existing law but which are liable to tax under this Act or where the person was entitled to the credit of input tax at the time of sale of goods, if any, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of the value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions namely:-

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iii) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of such inputs; and

(iv) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day:

Provided that where a registered person, other than a manufacturer or a supplier of services, is not in possession of an invoice or any other documents evidencing payment of tax in respect of inputs, then, such registered person shall, subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed, including that the said taxable person shall pass on the benefit of such credit by way of reduced prices to the recipient, be allowed to take credit at such rate and in such manner as may be prescribed.

(4) A registered person, who was engaged in the sale of taxable goods as well as exempted goods or tax free goods, by whatever name called, under the existing law but which are liable to tax under this Act, shall be entitled to take, in his electronic credit ledger,-

(a) the amount of credit of the value added tax, if any, carried forward in a return furnished under the existing law by him in accordance with the provisions of sub-section (1); and

(b) the amount of credit of the value added tax, if any, in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day, relating to such exempted goods or tax free goods, by whatever name called, in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) A registered person shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax, if any, in respect of inputs received on or after the appointed day but the tax in respect of which has been paid by the supplier under the existing law, subject to the condition that the invoice or any other tax paying document of the same was recorded in the books of account of such person within a period of thirty days from the appointed day:

Provided that the period of thirty days may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding thirty days:

Provided further that the said registered person shall furnish a statement, in such manner as may be prescribed, in respect of credit that has been taken under this sub-section.

(6) A registered person, who was either paying tax at a fixed rate or paying a fixed amount in lieu of the tax payable under the existing law shall be entitled to take, in his electronic credit ledger, credit of value added tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the appointed day subject to the following conditions, namely:-

(i) such inputs or goods are used or intended to be used for making taxable supplies under this Act;

(ii) the said registered person is not paying tax under section 10;

(iii) the said registered person is eligible for input tax credit on such inputs under this Act;

(iv) the said registered person is in possession of invoice or other prescribed documents evidencing payment of tax under the existing law in respect of inputs; and

(v) such invoices or other prescribed documents were issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day.

(7) The amount of credit under sub-sections (3), (4) and (6) shall be calculated in such manner as may be prescribed.

141. Transitional provisions relating to job work.- (1) Where any inputs received at a place of business had been dispatched as such or dispatched after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, reconditioning or any other purpose in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such inputs are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if such inputs, after completion of the job work or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if such inputs are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142.

(2) Where any semi-finished goods had been dispatched from the place of business to any other premises for carrying out certain manufacturing processes in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods (hereafter in this sub-section referred to as “the said goods”) are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing manufacturing processes or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within a period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the person dispatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods to the premises of any registered person for the purpose of supplying therefrom on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(3) Where any goods had been dispatched from the place of business without payment of tax for carrying out tests or any other process, to any other premises, whether registered or not, in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods, are returned to the said place of business on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing tests or any other process, are returned to such place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142:

Provided also that the person dispatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods from the said other premises on payment of tax in India or without payment of tax for exports within the period specified in this sub-section.

(4) The tax under sub-sections (1), (2) and (3) shall not be payable, only if the person dispatching the goods and the job worker declare the details of the inputs or goods held in stock by the job worker on behalf of the said person on the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed.

142. Miscellaneous transitional provisions.- (1) Where any goods on which tax, if any, had been paid under the existing law at the time of sale thereof, not being earlier than six months prior to the appointed day, are returned to any place of business on or after the appointed day, the registered person shall be eligible for refund of the tax paid under the existing law where such goods are returned by a person, other than a registered person, to the said place of business within a period of six months from the appointed day and such goods are identifiable to the satisfaction of the proper officer:

Provided that if the said goods are returned by a registered person, the return of such goods shall be deemed to be a supply.

(2) (a) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised upwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods shall issue to the recipient a supplementary invoice or debit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act, such supplementary invoice or debit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act;

(b) where, in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day, the price of any goods is revised downwards on or after the appointed day, the registered person who had sold such goods may issue to the recipient a credit note, containing such particulars as may be prescribed, within thirty days of such price revision and for the purposes of this Act, such credit note shall be deemed to have been issued in respect of an outward supply made under this Act:

Provided that the registered person shall be allowed to reduce his tax liability on account of issue of the credit note only if the recipient of the credit note has reduced his input tax credit corresponding to such reduction of tax liability.

(3) Every claim for refund filed by any person before, on or after the appointed day for refund of any amount of input tax credit, tax, interest or any other amount paid under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of existing law and any amount eventually accruing to him shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the said law:

Provided that where any claim for refund of the amount of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(4) Every claim for refund filed after the appointed day for refund of any tax paid under the existing law in respect of the goods exported before or after the appointed day, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law:

Provided that where any claim for refund of input tax credit is fully or partially rejected, the amount so rejected shall lapse:

Provided further that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said amount as on the appointed day has been carried forward under this Act.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, any amount of input tax credit reversed prior to the appointed day shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(6) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to a claim for input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount of credit found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act:

Provided that no refund shall be allowed of any amount of input tax credit where the balance of the said

amount as on the appointed day has been carried forward under this Act;

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to recovery of input tax credit initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount of credit becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(7) (a) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and if any amount becomes recoverable as a result of such appeal, revision, review or reference, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(b) every proceeding of appeal, revision, review or reference relating to any output tax liability initiated whether before, on or after the appointed day under the existing law, shall be disposed of in accordance with the provisions of the existing law, and any amount found to be admissible to the claimant shall be refunded to him in cash in accordance with the provisions of the existing law and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(8) (a) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes recoverable from the person, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where in pursuance of an assessment or adjudication proceedings instituted, whether before, on or

after the appointed day under the existing law, any amount of tax, interest, fine or penalty becomes refundable to the taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the said law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(9) (a) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day and if, pursuant to such revision, any amount is found to be recoverable or any amount of input tax credit is found to be inadmissible, the same shall, unless recovered under the existing law, be recovered as an arrear of tax under this Act and the amount so recovered shall not be admissible as input tax credit under this Act;

(b) where any return, furnished under the existing law, is revised after the appointed day but within the time limit specified for such revision under the existing law and if, pursuant to such revision, any amount is found to be refundable or input tax credit is found to be admissible to any taxable person, the same shall be refunded to him in cash under the existing law, and the amount rejected, if any, shall not be admissible as input tax credit under this Act.

(10) Save as otherwise provided in this Chapter, the goods or services or both supplied on or after the appointed day in pursuance of a contract entered into prior to the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act.

(11) (a) notwithstanding anything contained in section 12, no tax shall be payable on goods under this Act to the extent the tax was leviable on the said goods under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);

(b) notwithstanding anything contained in section 13, no tax shall be payable on services under this Act to the extent the tax was leviable on the said services under Chapter V of the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994);

(c) where tax was paid on any supply, both under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and under Chapter V of the Finance Act, 1994 (Central Act No. 32 of 1994), tax shall be leviable under this Act and the taxable person shall be entitled to take credit of value added tax or service tax paid under the

existing law to the extent of supplies made after the appointed day and such credit shall be calculated in such manner as may be prescribed.

(12) Where any goods sent on approval basis, not earlier than six months before the appointed day, are rejected or not approved by the buyer and returned to the seller on or after the appointed day, no tax shall be payable thereon if such goods are returned within six months from the appointed day:

Provided that the said period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that the tax shall be payable by the person returning the goods if such goods are liable to tax under this Act, and are returned after the period specified in this sub-section:

Provided also that tax shall be payable by the person who has sent the goods on approval basis if such goods are liable to tax under this Act, and are not returned within the period specified in this sub-section.

(13) Where a supplier has made any sale of goods in respect of which tax was required to be deducted at source under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003) and has also issued an invoice for the same before the appointed day, no deduction of tax at source under section 51 shall be made by the deductor under the said section where payment to the said supplier is made on or after the appointed day.

(14) Where any goods or capital goods belonging to the principal are lying at the premises of the agent on the appointed day, the agent shall be entitled to take credit of the tax paid on such goods or capital goods subject to fulfilment of the following conditions:

(i) the agent is a registered taxable person under this Act;

(ii) both the principal and the agent declare the details of stock of goods or capital goods lying with such agent on the day immediately preceding the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed in this behalf;

(iii) the invoices for such goods or capital goods had been issued not earlier than twelve months immediately preceding the appointed day; and

(iv) the principal has either reversed or not availed of the input tax credit in respect of such,-

(a) goods; or

(b) capital goods or, having availed of such credit, has reversed the said credit, to the extent availed of by him.

Explanation.- For the purposes of this Chapter, the expression “capital goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Rajasthan Value Added Tax, 2003 (Act No. 4 of 2003).

CHAPTER XXI MISCELLANEOUS

143. Job work procedure.- (1) A registered person (hereafter in this section referred to as the “principal”) may, under intimation and subject to such conditions as may be prescribed, send any inputs or capital goods, without payment of tax, to a job worker for job work and from there subsequently send to another job worker and likewise, and shall,-

(a) bring back inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out, to any of his place of business, without payment of tax;

(b) supply such inputs, after completion of job work or otherwise, or capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, within one year and three years, respectively, of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export, as the case may be:

Provided that the principal shall not supply the goods from the place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of the job worker as his additional place of business except in a case-

(i) where the job worker is registered under section 25; or

(ii) where the principal is engaged in the supply of such goods as may be notified by the Commissioner.

(2) The responsibility for keeping proper accounts for the inputs or capital goods shall lie with the principal.

(3) Where the inputs sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of one year of their being sent out, it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out.

(4) Where the capital goods, other than moulds and dies, jigs and fixtures, or tools, sent for job work are not received back by the principal in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) or are not supplied from the place of business of the job worker in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) within a period of three years of their being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent out.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax, if such job worker is registered, or by the principal, if the job worker is not registered.

Explanation.- For the purposes of job work, input includes intermediate goods arising from any treatment or process carried out on the inputs by the principal or the job worker.

144. Presumption as to documents in certain cases.-

Where any document-

(i) is produced by any person under this Act or any other law for the time being in force; or

(ii) has been seized from the custody or control of any person under this Act or any other law for the time being in force; or

(iii) has been received from any place outside India in the course of any proceedings under this Act or any other law for the time being in force,

and such document is tendered by the prosecution in evidence against him or any other person who is tried jointly with him, the court shall--

(a) unless the contrary is proved by such person, presume -

(i) the truth of the contents of such document;

(ii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person or which the court may reasonably assume to have been signed by, or to be in the handwriting of, any particular person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;

(b) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.

145. Admissibility of micro films, facsimile copies of documents and computer printouts as documents and as evidence.- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, -

(a) a micro film of a document or the reproduction of the image or images embodied in such micro film (whether enlarged or not); or

(b) a facsimile copy of a document; or

(c) a statement contained in a document and included in a printed material produced by a computer, subject to such conditions as may be prescribed; or

(d) any information stored electronically in any device or media, including any hard copies made of such information,

shall be deemed to be a document for the purposes of this Act and the rules made thereunder and shall be admissible in any proceedings thereunder, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

(2) In any proceedings under this Act or the rules made thereunder, where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate, -

(a) identifying the document containing the statement and describing the manner in which it was produced;

(b) giving such particulars of any device involved in the production of that document as may be appropriate for the purpose of showing that the document was produced by a computer,

shall be evidence of any matter stated in the certificate and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.

146. Common Portal.- The Government may, on the recommendations of the Council, notify the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax, electronic way bill and for carrying out such other functions and for such purposes as may be prescribed.

147. Deemed Exports.- The Government may, on the recommendations of the Council, notify certain supplies of goods as “deemed exports”, where goods supplied do not leave India, and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in convertible foreign exchange, if such goods are manufactured in India.

148. Special procedure for certain processes.- The Government may, on the recommendations of the Council, and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, notify certain classes of registered persons, and the special procedures to be followed by such persons including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such persons.

149. Goods and services tax compliance rating.- (1) Every registered person may be assigned a goods and services tax compliance rating score by the Government based on his record of compliance with the provisions of this Act.

(2) The goods and services tax compliance rating score may be determined on the basis of such parameters as may be prescribed.

(3) The goods and services tax compliance rating score may be updated at periodic intervals and intimated to the registered person and also placed in the public domain in such manner as may be prescribed.

150. Obligation to furnish information return.- (1) Any person, being-

(a) a taxable person; or

(b) a local authority or other public body or association; or

(c) any authority of the State Government responsible for the collection of value added tax or sales tax or State excise duty or an authority of the Central Government responsible for the collection of excise duty or customs duty; or

(d) an income tax authority appointed under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961); or

(e) a banking company within the meaning of clause (a) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934); or

(f) a State Electricity Board or an electricity distribution or transmission licensee under the Electricity Act, 2003 (Central Act No. 36 of 2003), or any other entity entrusted with such functions by the Central Government or the State Government; or

(g) the Registrar or Sub-Registrar appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908); or

(h) a Registrar within the meaning of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013); or

(i) the registering authority empowered to register motor vehicles under the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988); or

(j) the Collector referred to in clause (c) of section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No. 30 of 2013); or

(k) the recognised stock exchange referred to in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956); or

(l) a depository referred to in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (Central Act No. 22 of 1996); or

(m) an officer of the Reserve Bank of India as constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934); or

(n) the Goods and Services Tax Network, a company registered under the Companies Act, 2013(Central Act No. 18 of 2013); or

(o) a person to whom a Unique Identity Number has been granted under sub-section (9) of section 25; or

(p) any other person as may be specified, on the recommendations of the Council, by the Government, who is responsible for maintaining record of registration or statement of accounts or any periodic return or document containing details of payment of tax and other details of transaction of goods or services or both or transactions related to a bank account or consumption of electricity or transaction of purchase, sale or exchange of goods or property or right or interest in a property under any law for the time being in force, shall furnish an information return of the same in respect of such periods, within such time, in such form and manner and to such authority or agency as may be prescribed.

(2) Where the Commissioner, or an officer authorised by him in this behalf, considers that the information furnished in the information return is defective, he may intimate the defect to the person who has furnished such information return and give him an opportunity of rectifying the defect within a period of thirty days from the date of such intimation or within such further period which, on an application made in this behalf, the said authority may allow and if the defect is not rectified within the said period of thirty days or, the further period so allowed, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, such information return shall be treated as not furnished and the provisions of this Act shall apply.

(3) Where a person who is required to furnish information return has not furnished the same within the time specified in sub-section (1) or sub-section (2), the said authority may serve upon him a notice requiring furnishing of such information return within a period not exceeding ninety days from the date of service of the notice and such person shall furnish the information return.

151. Power to collect statistics.- (1) The Commissioner may, if he considers that it is necessary so to do, by notification, direct that statistics may be collected relating to any matter dealt with by or in connection with this Act.

(2) Upon such notification being issued, the Commissioner, or any person authorised by him in this behalf, may call upon the

concerned persons to furnish such information or returns, in such form and manner as may be prescribed, relating to any matter in respect of which statistics is to be collected.

152. Bar on disclosure of information.- (1) No information of any individual return or part thereof with respect to any matter given for the purposes of section 150 or section 151 shall, without the previous consent in writing of the concerned person or his authorised representative, be published in such manner so as to enable such particulars to be identified as referring to a particular person and no such information shall be used for the purpose of any proceedings under this Act.

(2) Except for the purposes of prosecution under this Act or any other Act for the time being in force, no person who is not engaged in the collection of statistics under this Act or compilation or computerisation thereof for the purposes of this Act, shall be permitted to see or have access to any information or any individual return referred to in section 151.

(3) Nothing in this section shall apply to the publication of any information relating to a class of taxable persons or class of transactions, if in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest to publish such information.

153. Taking assistance from an expert.- Any officer not below the rank of Assistant Commissioner may, having regard to the nature and complexity of the case and the interest of revenue, take assistance of any expert at any stage of scrutiny, inquiry, investigation or any other proceedings before him.

154. Power to take samples.- The Commissioner or an officer authorised by him may take samples of goods from the possession of any taxable person, where he considers it necessary, and provide a receipt for any samples so taken.

155. Burden of Proof.- Where any person claims that he is eligible for input tax credit under this Act, the burden of proving such claim shall lie on such person.

156. Persons deemed to be public servants.- All persons discharging functions under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860).

157. Protection of action taken under this Act.- (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the President, State President, Members, officers or other employees of the Appellate Tribunal or any other person authorised by the

said Appellate Tribunal for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer appointed or authorised under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or the rules made thereunder.

158. Disclosure of information by a public servant.-

(1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act (other than proceedings before a criminal court), or in any record of any proceedings under this Act shall, save as provided in sub-section (3), not be disclosed.

(2) Notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (Central Act No. 1 of 1872), no court shall, save as otherwise provided in sub-section (3), require any officer appointed or authorised under this Act to produce before it or to give evidence before it in respect of particulars referred to in sub-section (1).

(3) Nothing contained in this section shall apply to the disclosure of,-

(a) any particulars in respect of any statement, return, accounts, documents, evidence, affidavit or deposition, for the purpose of any prosecution under the Indian Penal Code (Central Act No. 45 of 1860) or the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988), or any other law for the time being in force; or

(b) any particulars to the Central Government or the State Government or to any person acting in the implementation of this Act, for the purposes of carrying out the objects of this Act; or

(c) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise under this Act of any process for the service of any notice or recovery of any demand; or

(d) any particulars to a civil court in any suit or proceedings, to which the Government or any authority under this Act is a party, which relates to any matter arising out of any proceedings under this Act or under any other law for the time being in force authorising any such authority to exercise any powers thereunder; or

(e) any particulars to any officer appointed for the purpose of audit of tax receipts or refunds of the tax imposed by this Act; or

(f) any particulars where such particulars are relevant for the purposes of any inquiry into the conduct of any officer appointed or authorised under this Act, to any person or persons appointed as an inquiry officer under any law for the time being in force; or

(g) any such particulars to an officer of the Central Government or of any State Government, as may be necessary for the purpose of enabling that Government to levy or realise any tax or duty; or

(h) any particulars when such disclosure is occasioned by the lawful exercise by a public servant or any other statutory authority, of his or its powers under any law for the time being in force; or

(i) any particulars relevant to any inquiry into a charge of misconduct in connection with any proceedings under this Act against a practising advocate, a tax practitioner, a practising cost accountant, a practising chartered accountant, a practising company secretary to the authority empowered to take disciplinary action against the members practising the profession of a legal practitioner, a cost accountant, a chartered accountant or a company secretary, as the case may be; or

(j) any particulars to any agency appointed for the purposes of data entry on any automated system or for the purpose of operating, upgrading or maintaining any automated system where such agency is contractually bound not to use or disclose such particulars except for the aforesaid purposes; or

(k) any such particulars to an officer of the Government as may be necessary for the purposes of any other law for the time being in force; and

(l) any information relating to any class of taxable persons or class of transactions for publication, if, in the opinion of the Commissioner, it is desirable in the public interest, to publish such information.

159. Publication of information in respect of persons in certain cases.- (1) If the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, is of the opinion that it is

necessary or expedient in the public interest to publish the name of any person and any other particulars relating to any proceedings or prosecution under this Act in respect of such person, it may cause to be published such name and particulars in such manner as it thinks fit.

(2) No publication under this section shall be made in relation to any penalty imposed under this Act until the time for presenting an appeal to the Appellate Authority under section 107 has expired without an appeal having been presented or the appeal, if presented, has been disposed of.

Explanation.- In the case of firm, company or other association of persons, the names of the partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers or managers of the company, or the members of the association, as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Commissioner, or any other officer authorised by him in this behalf, circumstances of the case justify it.

160. Assessment proceedings, etc. not to be invalid on certain grounds.- (1) No assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings done, accepted, made, issued, initiated, or purported to have been done, accepted, made, issued, initiated in pursuance of any of the provisions of this Act shall be invalid or deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission therein, if such assessment, re-assessment, adjudication, review, revision, appeal, rectification, notice, summons or other proceedings are in substance and effect in conformity with or according to the intents, purposes and requirements of this Act or any existing law.

(2) The service of any notice, order or communication shall not be called in question, if the notice, order or communication, as the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalised pursuant to such notice, order or communication.

161. Rectification of errors apparent on the face of record.- Without prejudice to the provisions of section 160, and notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any authority, who has passed or issued any decision or order or notice or certificate or any other document, may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or

order or notice or certificate or any other document, either on its own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this Act or an officer appointed under the Central Goods and Services Tax Act or by the affected person within a period of three months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document, as the case may be:

Provided that no such rectification shall be done after a period of six months from the date of issue of such decision or order or notice or certificate or any other document:

Provided further that the said period of six months shall not apply in such cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error, arising from any accidental slip or omission:

Provided also that where such rectification adversely affects any person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

162. Bar on jurisdiction of civil courts.- Save as provided in sections 117 and 118, no civil court shall have jurisdiction to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this Act.

163. Levy of fee.- Wherever a copy of any order or document is to be provided to any person on an application made by him for that purpose, there shall be paid such fee as may be prescribed.

164. Power of Government to make rules.- (1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section (1) or sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

165. Power to make regulations.- The Government may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

166. Laying of rules, regulations and notifications.- Every rule made by the Government, every regulation made by the Government and every notification issued by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the State Legislature, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the State Legislature agrees in making any modification in the rule or regulation or in the notification, as the case may be, or the State Legislature agrees that the rule or regulation or the notification should not be made, the rule or regulation or notification, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation or notification, as the case may be.

167. Delegation of powers.- The Commissioner may, by notification, direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, any power exercisable by any authority or officer under this Act may be exercisable also by another authority or officer as may be specified in such notification.

168. Power to issue instructions or directions.-The Commissioner may, if he considers it necessary or expedient so to do for the purpose of uniformity in the implementation of this Act, issue such orders, instructions or directions to the State tax officers as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this Act shall observe and follow such orders, instructions or directions.

169. Service of notice in certain circumstances.- (1) Any decision, order, summons, notice or other communication under this Act or the rules made thereunder shall be served by any one of the following methods, namely:-

(a) by giving or tendering it directly or by a messenger including a courier to the addressee or the taxable person or to his manager or authorised

representative or an advocate or a tax practitioner holding authority to appear in the proceedings on behalf of the taxable person or to a person regularly employed by him in connection with the business, or to any adult member of family residing with the taxable person; or

(b) by registered post or speed post or courier with acknowledgement due, to the person for whom it is intended or his authorised representative, if any, at his last known place of business or residence; or

(c) by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time; or

(d) by making it available on the common portal; or

(e) by publication in a newspaper circulating in the locality in which the taxable person or the person to whom it is issued is last known to have resided, carried on business or personally worked for gain; or

(f) if none of the modes aforesaid is practicable, by affixing it in some conspicuous place at his last known place of business or residence and if such mode is not practicable for any reason, then by affixing a copy thereof on the notice board of the office of the concerned officer or authority who or which passed such decision or order or issued such summons or notice.

(2) Every decision, order, summons, notice or any communication shall be deemed to have been served on the date on which it is tendered or published or a copy thereof is affixed in the manner provided in sub-section (1).

(3) When such decision, order, summons, notice or any communication is sent by registered post or speed post, it shall be deemed to have been received by the addressee at the expiry of the period normally taken by such post in transit unless the contrary is proved.

170. Rounding off of tax, etc.- The amount of tax, interest, penalty, fine or any other sum payable, and the amount of refund or any other sum due, under the provisions of this Act shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if such part is less than fifty paise it shall be ignored.

171. Anti-profiteering measure.- (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.

(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.

(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.

172. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to any provisions of this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by a general or a special order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

173. Amendment of certain Acts.- Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act,-

(i) in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), for the existing clause (b) of sub-section (1) of the section 65, the following shall be substituted, namely:-

“(b) a tax on entertainments and amusements;”;

(ii) in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), for the existing clause (e) of sub-section (1) of section 102, the following shall be substituted, namely:-

“(e) a tax on entertainments and amusements;”;
and

(iii) in the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014), the existing Chapter XI (Sections 54 to 61, both inclusive) shall be deleted.

174. Repeal and saving.- (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act,

(i) the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), except in respect of goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(ii) the Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957 (Act No. 24 of 1957);

(iii) the Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 (Act No. 14 of 1988);

(iv) the Rajasthan Tax on Luxuries (in Hotels and Lodging Houses) Act, 1990 (Act No. 9 of 1996);

(v) the Rajasthan Tax on Luxuries (Tobacco and its Products) Act, 1994 (Act No. 11 of 1994); and

(vi) the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (Act No. 13 of 1999),

(hereafter referred to as the repealed Acts) are hereby repealed.

(2) The repeal of the said Acts and the amendment of the Acts specified in section 173 (hereafter referred to as “such amendment” or “amended Act”, as the case may be) to the extent mentioned in sub-section (1) or section 173 shall not-

(a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment or repeal; or

(b) affect the previous operation of the amended Acts or repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder; or

(c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Acts or repealed Acts or orders under such repealed or amended Acts:

Provided that any tax exemption granted as an incentive against investment through a notification shall not continue as privilege if the said notification is rescinded on or after the appointed day; or

(d) affect any tax, surcharge, penalty, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation

committed against the provisions of the amended Acts or repealed Acts; or

(e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if these Acts had not been so amended or repealed; or

(f) affect any proceedings including that relating to an appeal, revision, review or reference, instituted before, on or after the appointed day under the said amended Acts or repealed Acts and such proceedings shall be continued under the said amended Acts or repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been amended or repealed.

(3) The mention of the particular matters referred to in section 173 and sub-section (1) shall not be held to prejudice or affect the general application of provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) with regard to the effect of repeal.

SCHEDULE I

[See section 7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY EVEN IF MADE WITHOUT CONSIDERATION

1. Permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been availed on such assets.
2. Supply of goods or services or both between related persons or between distinct persons as specified in section 25, when made in the course or furtherance of business:

Provided that gifts not exceeding fifty thousand rupees in value in a financial year by an employer to an

employee shall not be treated as supply of goods or services or both.

3. Supply of goods-

(a) by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal; or

(b) by an agent to his principal where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal.

4. Import of services by a taxable person from a related person or from any of his other establishments outside India, in the course or furtherance of business.

SCHEDULE II

[See section 7]

ACTIVITIES TO BE TREATED AS SUPPLY OF GOODS OR SUPPLY OF SERVICES

1. Transfer

(a) any transfer of the title in goods is a supply of goods;

(b) any transfer of right in goods or of undivided share in goods without the transfer of title thereof, is a supply of services;

(c) any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed, is a supply of goods.

2. Land and Building

(a) any lease, tenancy, easement, licence to occupy land is a supply of services;

(b) any lease or letting out of the building including a commercial, industrial or residential complex for business or commerce, either wholly or partly, is a supply of services.

3. Treatment or process

Any treatment or process which is applied to another person's goods is a supply of services.

4. Transfer of business assets

(a) where goods forming part of the assets of a business are transferred or disposed of by or under the directions of the person carrying on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration, such transfer or disposal is a supply of goods by the person;

(b) where, by or under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used, or made available to any person for use, for any purpose other than a purpose of the business, whether or not for a consideration, the usage or making available of such goods is a supply of services;

(c) where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person, unless-

(i) the business is transferred as a going concern to another person; or

(ii) the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person.

5. Supply of services

The following shall be treated as supply of services, namely:-

(a) renting of immovable property;

(b) construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier.

Explanation.- For the purposes of this clause-

(1) the expression “competent authority” means the Government or any authority authorised to issue completion certificate under any law for the time being in force and in case of non-requirement of such certificate from such authority, from any of the following, namely:-

(i) an architect registered with the Council of Architecture constituted under the Architects Act, 1972 (**Central Act No. 20 of 1972**); or

(ii) a chartered engineer registered with the Institution of Engineers (India); or

(iii) a licensed surveyor of the respective local body of the city or town or village or development or planning authority;

(2) the expression “construction” includes additions, alterations, replacements or remodeling of any existing civil structure;

(c) temporary transfer or permitting the use or enjoyment of any intellectual property right;

(d) development, design, programming, customisation, adaptation, upgradation, enhancement, implementation of information technology software;

(e) agreeing to the obligation to refrain from an act, or to tolerate an act or a situation, or to do an act; and

(f) transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration.

6. Composite supply

The following composite supplies shall be treated as a supply of services, namely:-

(a) works contract as defined in clause (119) of section 2; and

(b) supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic liquor for human consumption), where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration.

7. Supply of Goods

The following shall be treated as supply of goods, namely:-
Supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration.

SCHEDULE III

[See section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

1. Services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment.

2. Services by any court or Tribunal established under any law for the time being in force.
3. (a) the functions performed by the Members of Parliament, Members of State Legislature, Members of Panchayats, Members of Municipalities and Members of other local authorities;
(b) the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity; or
(c) the duties performed by any person as a Chairperson or a Member or a Director in a body established by the Central Government or a State Government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause.
4. Services of funeral, burial, crematorium or mortuary including transportation of the deceased.
5. Sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.
6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.
Explanation.- For the purposes of paragraph 2, the term “court” includes District Court, High Court and Supreme Court.

मनोज कुमार व्यास,

Principal Secretary to the Government.

1

Government Central Press, Jaipur



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 28, बुधवार, शके 1941-मार्च 18, 2020
Phalguna 28, Wednesday, Saka 1941-March 18, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2020

संख्या प.2(7)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 4)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी" से पूर्व, अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," अंतःस्थापित की जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय के मूल्य को, राज्य में के आवर्त के मूल्य अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।";

(ii) उप-धारा (2) में,-

- (क) अंग्रेजी पाठ में खण्ड (घ) के अन्त में आये विद्यमान शब्द "and" को हटाया जायेगा;
 (ख) खण्ड (ड) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर अभिव्यक्ति "; और" प्रतिस्थापित की जायेगी;
 (ग) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है, न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(iii) विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक नहीं रहा है, उसके द्वारा धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर, जो विहित की जाये, किन्तु जो राज्य में के आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, संगणित कर की रकम संदत्त करने का विकल्प चुन सकेगा, यदि वह-

- (क) किन्हीं ऐसे माल या सेवाओं, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं हैं, के किसी प्रदाय में नहीं लगा है;
 (ख) माल या सेवाओं के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय में नहीं लगा है;
 (ग) किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे किसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिसके लिए धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है;
 (घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जायें; और
 (ड) कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति नहीं है:

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी एक ही स्थायी खाता संख्यांक है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प नहीं चुनते हैं।";

- (iv) उप-धारा (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) के अधीन", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (v) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (vi) उप-धारा (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2क) के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (vii) विद्यमान उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण 1.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदत्त करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए उसके संकलित आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "संकलित आवर्त" में ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, किये गये प्रदायों का मूल्य सम्मिलित होगा किन्तु इसमें, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य में के आवर्त" में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:-

- (i) किसी वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल से उस तारीख तक, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी हो जाता है, के प्रदाय का मूल्य; और
- (ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य।"

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में,-

- (i) द्वितीय परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ii) इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे प्रदायकर्ता के मामले में जो अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ है, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अध्यक्षीन रहते हुए जो अधिसूचित की जायें, संकलित आवर्त को बीस लाख रुपये से ऐसी रकम तक, जो चालीस लाख रुपये से अधिक न हो, बढ़ा सकेगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को अनन्य रूप से माल के प्रदाय में लगा हुआ माना जायेगा चाहे वह, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या

बड़े के रूप में दर्शित किया जाता है, जमाओं, उधारों या अग्रिमों को विस्तारित करके उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के छूट प्राप्त प्रदाय में लगा हुआ हो।"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 में विद्यमान उप-धारा (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (7) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर विहित की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी:

परन्तु यह और कि आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन कराने या उसके कब्जे का सबूत देने या पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना करने में असफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आबंटित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जायेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसे व्यक्ति के पास कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचना की तारीख से ही प्रत्येक व्यष्टि, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु यदि किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया जाता है तो ऐसे व्यष्टि को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6ग) अधिसूचना की तारीख से ही, किसी व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी हेतु पात्र होने के लिए ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, भागीदारों, संगम की प्रबंध समिति के सदस्यों, न्यासियों के बोर्ड, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग के आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करायेगा या उसके कब्जे का सबूत देगा:

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसी रीति से, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

(6घ) उप-धारा (6क) या उप-धारा (6ख) या उप-धारा (6ग) के उपबंध ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य के ऐसे भाग पर लागू नहीं होंगे, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण.- उप-धारा (6क), (6ख), (6ग) और (6घ) के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो उसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 2 के खण्ड (क) में समनुदेशित किया गया है।"

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 31क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 31 के पश्चात् और विद्यमान धारा 32 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"31क. प्राप्तिकर्ता को डिजिटल संदाय की सुविधा.- सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा किये गये माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रानिक संदाय का विहित तरीका उपलब्ध करायेगा और ऐसे प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किये जायें, अध्यक्षीन रहते हुए तदनुसार संदाय करने का विकल्प देगा।"

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदाय, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, अध्यक्षीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी देगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए, राज्य में के आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों की, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, इलेक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(7) उप-धारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (1) या उप-धारा (3) या उप-धारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, के अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा:

परन्तु यह और कि उप-धारा (2) के अधीन विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, राज्य में के आवर्त, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, देय कर सरकार को संदत्त करेगा।।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 44 की उप-धारा (1) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में, विद्यमान उप-धारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कॉमन पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी अन्य रकम का, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या उपकर के लिए इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, ऐसे प्ररूप में और रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्याधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अंतरण कर सकेगा और ऐसा अंतरण इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय समझा जायेगा।

(11) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी रकम को इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उप-धारा (1) में यथा उपबंधित उक्त खाते में जमा किया गया समझा जायेगा।।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के

अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, उद्गृहीत किया जायेगा।"

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(i) उप-धारा (4) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"; और

(ii) उप-धारा (5) में अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाये, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा विस्तारित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा।"

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 53क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 11 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"53क. कतिपय रकम का अंतरण.- जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां सरकार, केन्द्रीय कर लेखे या एकीकृत कर लेखे या उपकर लेखे में, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के बराबर रकम, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो विहित किया जाये, अंतरित करेगी।"

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में विद्यमान उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(8क) जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय को संवितरित कर दिया है, वहां सरकार इस प्रकार प्रतिदत्त रकम के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को अंतरित करेगी।"

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 95 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 95 में,-

(i) खण्ड (क) में-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा, किसी आवेदक को" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 100 की उप-धारा (1)" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में माल या सेवाओं" से पूर्व, अभिव्यक्ति "या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" अंतःस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ड) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित विराम चिह्न के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(च) "राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।"

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 101क का जोड़ा जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 101 के पश्चात् और विद्यमान धारा 102 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"101क. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण होना.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा।"

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 102 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 102 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 98 या धारा 101" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्रमशः धारा 98 या धारा 101 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "या अपीलार्थी द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा " प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 103 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा-

(क) ऐसे आवेदकों पर, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ख की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्णय की वांछा की थी और ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों, और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनके पास आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी खाता संख्यांक है, के संबंध में संबंधित अधिकारियों और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर।";

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (1)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (1) और उप-धारा (1क)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 101 की उप-धारा (1) के अधीन या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101ग के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां.-";

(ii) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 106 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया.-"; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकरण या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 171 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 171 में विद्यमान उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3क) जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, उक्त उप-धारा के अधीन यथा अपेक्षित परीक्षण करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उप-धारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गयी रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति संदत्त करने का दायी होगा:

परन्तु यदि, प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर मुनाफाखोरी की गयी रकम जमा करा दी जाती है तो कोई भी शास्ति उद्गृहणीय नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "मुनाफाखोरी" से वह रकम अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में कमी का फायदा माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित की गयी है।"

22. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्यवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, February 28, 2020

No. F. 2(7)Vidhi/2/2020.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2020 (2020 Ka Adhinyam Sankhyank 4):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2020
(Act No. 4 of 2020)**

(Received the assent of the Governor on the 27th day of February, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (4) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing expression “the Appellate Authority for Advance Ruling,” and before the existing expression “the Appellate Authority”, the expression “the National Appellate Authority for Advance Ruling,” shall be inserted.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), after the existing second proviso, the following Explanation shall be added, namely:-

“**Explanation.-** For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in State.”;

(ii) in sub-section (2),-

(a) in clause (d), the existing word “and” occurring at the end shall be deleted;

(b) in clause (e), for the existing punctuation mark ":" occurring at the end, the expression "; and" shall be substituted;

(c) after clause (e) so amended, the following clause shall be added, namely:-

“(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person.”;

(iii) after the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three per cent of the turnover in State, if he is not-

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961), the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.”;

- (iv) in sub-section (3), for the existing expression “under sub-section (1)” wherever occurring, the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;
- (v) in sub-section (4), for the existing expression “sub-section (1)”, the expression "sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted;
- (vi) in sub-section (5), for the existing expression “under sub-section (1)”, the expression "under sub-section (1) or sub-section (2A), as the case may be," shall be substituted; and
- (vii) after the existing sub-section (5), the following Explanations shall be added, namely:-

Explanation 1.-For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover” shall include the value of supplies made by such person from the 1st day of April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.-For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression “turnover in State” shall not include the value of following supplies, namely:-

- (i) supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this Act; and
- (ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”.

4. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 22 of the principal Act,-

- (i) in second proviso, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted; and
- (ii) after the second proviso so amended, the following shall be added, namely:-

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”.

5. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 25 of the principal Act, after the existing sub-section (6) and before the existing sub-section (7), the following new sub-sections shall be inserted, namely:-

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or offer alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorised signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or part of the State, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.- For the purposes of sub-sections 6(A), 6(B), 6(C) and 6(D), the expression “Aadhaar number” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016).”

6. Insertion of new section 31A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 31 and before the existing section 32 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“31A. Facility of digital payment to recipient.- The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”

7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-sections (1) and (2), the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”; and

(ii) for the existing sub-section (7), the following shall be substituted, namely:-

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government, the tax due taking into account turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”.

8. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- Insub-section (1) of section 44 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

9. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act, after the existing sub-section (9), the following new sub-sections shall be added, namely:-

“(10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, Central tax, State tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.

(11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”.

10. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- Insub-section (1) of section 50 of the principal Act, for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

11. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act,-

(i) in sub-section (4),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

“Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”; and

(ii) in sub-section (5),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following provisos shall be added, namely:-

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”.

12. Insertion of new section 53A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 53 and before the existing Chapter XI of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“53A. Transfer of certain amount.- Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger under the Central Goods and Services Tax Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act or under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, the Government shall, transfer to the central tax account or integrated tax account or cess account, an amount equal to the amount

transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”.

13. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act, after the existing sub-section (8), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”

14. Amendment of section 95, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 95 of the principal Act,-

(i) in clause (a)-

(a) after the existing expression “Appellate Authority” and before the existing expression "to an applicant", the expression "or the National Appellate Authority" shall be inserted; and

(b) after the existing expression “of section 100” and before the existing expression ",in relation to", the expression “or of section 101C of the Central Goods and Services Tax Act” shall be inserted; and

(ii) in clause (e),for the existing punctuation mark "." occurring at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted and after the punctuation mark so amended, the following new clause shall be added, namely:-

“(f) “National Appellate Authority” means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.”.

15. Addition of new section 101A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 101 and before the existing section 102 of the principal Act, the following new section shall be added, namely:-

“101A. National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under Central Goods and Services Tax Act to be the National Appellate Authority under this Act.- Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.”.

16. Amendment of section 102, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 102 of the principal Act,-

(i) for the existing expression “Appellate Authority” wherever occurring, the expression “Appellate Authority or the National Appellate Authority” shall be substituted;

(ii) after the existing expression “or section 101” and before the expression ", so as to rectify", the expression “or section 101C of the Central Goods and Services Tax Act, respectively” shall be inserted; and

(iii) for the existing expression “or the appellant”, wherever occurring, the expression “, appellant, the Authority or the Appellate Authority” shall be substituted.

17. Amendment of section 103, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 103 of the principal Act,-

- (i) after the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) The Advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on-

- (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B of the Central Goods and Services Tax Act and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);
- (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961).”;
- (ii) in sub-section (2), for the existing expression “sub-section (1)”, the expression “sub-section (1) and sub-section (1A)” shall be substituted.

18. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In sub-section (1) of section 104 of the principal Act,-

- (i) for the existing expression “the Authority or the Appellate Authority”, the expression “the Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority” shall be substituted; and
- (ii) for the existing expression “section 101”, the expression “section 101 or under section 101C of the Central Goods and Services Tax Act” shall be substituted.

19. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 105 of the principal Act,-

- (i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-
“Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”;
- (ii) in sub-section (1), for the existing expression “The Authority or the Appellate Authority”, the expression “The Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority” shall be substituted; and
- (iii) in sub-section (2), for the existing expression “Authority or the Appellate Authority” wherever occurring, the expression “Authority or the Appellate Authority or the National Appellate Authority” shall be substituted.

20. Amendment of section 106, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 106 of the principal Act,-

- (i) for the existing heading, the following shall be substituted, namely:-
“Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority.”; and
- (ii) for the existing expression “Appellate Authority”, the expression “Appellate Authority or the National Appellate Authority” shall be substituted.

21. Amendment of section 171, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-In section 171 of the principal Act, after the existing sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2), after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has

profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation.-For the purposes of this sub-section, the expression “profiteered” shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.”

22. Repeal and Savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 5 of 2019) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को किसी भी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की नहीं हो, भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखे, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित किसी भी अन्य आपदा की दशा अभिप्रेत है, जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।"

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 14, 2020

No. F. 2(24)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Dviteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2020 Ka Adhiniyam Sankhyank 15) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ACT,
2020**

(Act No. 15 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 11th day of September, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th May, 2020.

2. Insertion of new section 168A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 168 and before the existing section 169 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new section shall be inserted, namely:-

"168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under this Act in respect of actions which can not be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the commencement of this Act.

Explanation.- For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अपने इलेक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी और प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 172 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे प्रतिफल के लिए हो या न हो," और खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो," हटायी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से हटायी हुई समझी जायेगी।

14. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश सं. 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 16, 2020

No. F. 2(29)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Triteeya Sanshodhan) Adhinyam, 2020 (2020 Ka Adhinyam Sankhyank 23) :-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (THIRD AMENDMENT) ACT,
2020**

(Act No. 23 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 16th day of September, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Third Amendment) Act, 2020.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-clauses (c) and (d) of clause (114) of section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;

(d) Ladakh;”.

3. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 10 of the principal Act,-

(i) in clause (b), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “which are”, the expression “or services” shall be inserted;

(ii) in clause (c), after the existing expression “of goods” and before the existing punctuation mark “;”, the expression “or services” shall be inserted; and

(iii) in clause (d), after the existing expression “of goods” and before the existing expression “through an”, the expression “or services” shall be inserted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (4) of section 16 of the principal Act, the existing expression “invoice relating to such” shall be deleted.

5. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing clause (c) of sub-section (1) of section 29 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(c) the taxable person is no longer liable to be registered under section 22 or section 24 or intends to opt out of the registration voluntarily made under sub-section (3) of section 25:”.

6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark “.”, appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted; and

(ii) for the existing proviso, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

(a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;

(b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).”.

7. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing proviso to sub-section (2) of section 31 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,—

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which—

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.”.

8. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 51 of the principal Act,—

(a) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) A certificate of tax deduction at source shall be issued in such form and in such manner as may be prescribed.”; and

(b) the existing sub-section (4) shall be deleted.

9. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

“(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.”.

10. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,—

(i) for the existing expression “Whoever commits any of the following offences”, the expression “Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences” shall be substituted;

(ii) for the existing clause (c), the following shall be substituted, namely:—

“(c) avails input tax credit using the invoice or bill referred to in clause (b) or fraudulently avails input tax credit without any invoice or bill;” and

(iii) in sub-clause (e), the existing expression “, fraudulently avails input tax credit” shall be deleted.

11. Amendment of section 140, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 140 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(a) in sub-section (1), after the existing expression “existing law” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(b) in sub-section (2), after the existing expression “appointed day” and before the existing expression “in such manner”, the expression “within such time and” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted;

(c) in sub-section (3), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted;

(d) in sub-section (5), for the existing expression “existing law”, the expression “existing law, within such time and in such manner as may be prescribed” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted; and

(e) in sub-section (6), for the existing expression “goods held in stock on the appointed day subject to”, the expression “goods held in stock on the appointed day, within such time and in such manner as may be prescribed, subject to” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted.

12. Amendment of section 172, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (1) of section 172 of the principal Act, for the existing expression “three years”, the expression “five years” shall be substituted.

13. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In paragraph 4 of Schedule II of the principal Act, the existing expression “whether or not for a consideration,” wherever occurring, shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

14. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 7 of 2020) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 02, शुक्रवार, शाके 1943-सितम्बर 24, 2021
Asvina 02, Friday, Saka 1943- September 24, 2021

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प.2(24)विधि/2/2021.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021

(2021 का अधिनियम संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 7 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) किसी व्यष्टि से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उसके सदस्यों या घटकों या विपर्ययेन से नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए क्रियाकलाप या संव्यवहार;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति और उसके सदस्यों या घटकों को दो पृथक्-पृथक् व्यक्ति समझा जायेगा और क्रियाकलापों का प्रदाय या संव्यवहार, परस्पर ऐसे एक व्यक्ति से अन्य को किया गया समझा जायेगा;"।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(कक) खण्ड (क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में नहीं दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किये गये हैं;"।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी और 1 अगस्त, 2021 से हटायी हुई समझी जाएगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 अगस्त, 2021 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"44. वार्षिक विवरणी.- इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन हैं, लागू नहीं होगी।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात्, किसी कर कालावधि के दौरान किये गये प्रदायों के संबंध में और उक्त कालावधि के लिए दी गयी विवरणी में घोषित संदेय कर पर ब्याज, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी उक्त कालावधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् दी जाती है, कर के उस भाग पर, जिसका संदाय इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से निकासी द्वारा किया जाता है, संदेय होगा।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण 1 के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 122, 125, 129 और धारा 130" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "धारा 122 और 125" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 75 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) में निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "स्वतः निर्धारित कर" में धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किये गये जावक प्रदायों के ब्यौरों के संबंध में संदेय कर, सम्मिलित होगा किन्तु धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में सम्मिलित नहीं किया गया है।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 83 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 83 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, कराधेय व्यक्ति या धारा 122 की उप-धारा (1क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित किसी संपत्ति,

जिसमें बैंक खाता भी सम्मिलित है, को ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 107 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु धारा 129 की उप-धारा (3) के अधीन, किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जायेगी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा, शास्ति के पच्चीस प्रतिशत के बराबर राशि का, संदाय नहीं कर दिया गया हो।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 129 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 129 में,-

(i) उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) ऐसे माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति या ऐसे माल पर संदेय कर के दो सौ प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में, ऐसे माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपये, जो भी कम हो, के संदाय पर, जहां माल का स्वामी ऐसी शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;"

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) माल या प्रवहण का निरोध या अभिग्रहण करने वाला समुचित अधिकारी, ऐसे निरोध या अभिग्रहण के सात दिवस के भीतर-भीतर, संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए, नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से सात दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन शास्ति के संदाय के लिए आदेश पारित करेगा।";

(iv) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कोई कर, ब्याज या शास्ति" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई शास्ति" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) विद्यमान उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या ऐसे माल का स्वामी उप-धारा (3) के अधीन पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर, उप-धारा (1) के अधीन शास्ति की रकम का संदाय करने में असफल रहता है, वहां इस प्रकार निरुद्ध या अभिगृहीत माल या प्रवहण, उप-धारा (3) के अधीन संदेय शास्ति की वसूली के लिए ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जैसाकि विहित किया जाये, विक्रय किये जाने या अन्यथा निपटाये जाने का दायी होगा:

परन्तु परिवहनकर्ता द्वारा उप-धारा (3) के अधीन शास्ति या एक लाख रुपये, जो भी कम हो, का संदाय किये जाने पर प्रवहण को निर्मुक्त किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां निरुद्ध या अभिगृहीत माल नष्ट होने योग्य या परिसंकटमय प्रकृति का है या समय के साथ उसके मूल्य में हास होने की संभावना है तो उक्त पन्द्रह दिवस की कालावधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।"

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 130 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 130 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि कोई" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "जहां कोई" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 129 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा:" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे माल पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति से कम नहीं होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान उप-धारा (3) हटायी जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 151 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 151 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"151. सूचना मंगवाने की शक्ति.- आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर-भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के संबंध में व्यवहृत किसी मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा।"

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 152 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 152 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति विवरणी या उसके भाग की सूचना," के स्थान पर अभिव्यक्ति "कोई भी सूचना," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "समर्थ बना सकें और" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी सूचना इस अधिनियम" से पूर्व, अभिव्यक्ति "संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 2 में, विद्यमान पैरा 7 हटाया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से हटाया हुआ समझा जायेगा।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, September 23, 2021

No. F. 2(24)Vidhi/2/2021.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2021 (2021 Ka Adhinyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2021
(Act No. 8 of 2021)**

(Received the assent of the Governor on the 23rd day of September, 2021)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) the activities or transactions, by a person, other than an individual, to its members or constituents or *vice-versa*, for cash, deferred payment or other valuable consideration;

Explanation.-For the purposes of this clause, it is hereby clarified that, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree or order of any Court, tribunal or authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons and the supply of activities or transactions *inter se* shall be deemed to take place from one such person to another;”.

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing clause (a) and before the existing clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the principal Act, the following new clause shall be inserted, namely:—

“(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;”.

4. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sub-section (5) of section 35 of the principal Act, shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from 1st day of August, 2021.

5. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 44 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st day of August, 2021, namely:—

“**44. Annual return.-** Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

6. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing proviso to sub-section (1) of section 50 of the principal Act, the following shall be

substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger.”.

7. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (ii) of Explanation 1 of section 74 of the principal Act, for the existing expression “sections 122, 125, 129 and 130”, the expression “sections 122 and 125” shall be substituted.

8. Amendment of section 75, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (12) of section 75 of the principal Act, the following new Explanation shall be added, namely:—

“**Explanation.**— For the purposes of this sub-section, the expression "self-assessed tax" shall include the tax payable in respect of details of outward supplies furnished under section 37, but not included in the return furnished under section 39”.

9. Amendment of section 83, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (1) of section 83 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“(1) Where, after the initiation of any proceeding under Chapter XII, Chapter XIV or Chapter XV, the Commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the Government revenue it is necessary so to do, he may, by order in writing, attach provisionally, any property, including bank account, belonging to the taxable person or any person specified in sub-section (1A) of section 122, in such manner as may be prescribed.”.

10. Amendment of section 107, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 107 of the principal Act, for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:—

“Provided that no appeal shall be filed against an order under sub-section (3) of section 129, unless a sum equal to twenty-five per cent of the penalty has been paid by the appellant.”.

11. Amendment of section 129, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 129 of the principal Act, —

(i) for the existing clauses (a) and (b) of sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(a) on payment of penalty equal to two hundred per cent. of the tax payable on such goods and, in case of exempted goods, on payment of an amount equal to two per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty;

(b) on payment of penalty equal to fifty per cent. of the value of the goods or two hundred per cent. of the tax payable on such goods,

whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to five per cent. of the value of goods or twenty-five thousand rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty;”;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

“(3) The proper officer detaining or seizing goods or conveyance shall issue a notice within seven days of such detention or seizure, specifying the penalty payable, and thereafter, pass an order within a period of seven days from the date of service of such notice, for payment of penalty under clause (a) or clause (b) of sub-section (1).”;

(iv) in sub-section (4), for the existing expression “No tax, interest or penalty”, the expression “No penalty” shall be substituted;

(v) for the existing sub-section (6), the following shall be substituted, namely:—

“(6) Where the person transporting any goods or the owner of such goods fails to pay the amount of penalty under sub-section (1) within fifteen days from the date of receipt of the copy of the order passed under sub-section (3), the goods or conveyance so detained or seized shall be liable to be sold or disposed of otherwise, in such manner and within such time as may be prescribed, to recover the penalty payable under sub-section (3):

Provided that the conveyance shall be released on payment by the transporter of penalty under sub-section (3) or one lakh rupees, whichever is less:

Provided further that where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or are likely to depreciate in value with passage of time, the said period of fifteen days may be reduced by the proper officer.”.

12. Amendment of section 130, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 130 of the principal Act, —

(i) in sub-section (1), for the existing expression “Notwithstanding anything contained in this Act, if”, the word “Where” shall be substituted;

(ii) in the second proviso to sub-section (2), for the existing expression “amount of penalty leviable under sub-section (1) of section 129”, the expression “penalty equal to hundred percent of the tax payable on such goods” shall be substituted;

(iii) the existing sub-section (3) shall be deleted.

13. Substitution of section 151, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 151 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

“**151. Power to call for information.-** The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein.”.

14. Amendment of section 152, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 152 of the principal Act, —

(i) in sub-section (1), —

(a) the existing expression “of any individual return or part thereof” shall be deleted;

(b) after the existing expression “any proceedings under this Act” and before the existing punctuation mark “.”, the expression “without giving an opportunity of being heard to the person concerned” shall be inserted;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted.

15. Amendment of Schedule II, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule II of the principal Act, the existing paragraph 7 shall be deleted and shall be deemed to have been deleted with effect from the 1st day of July, 2017.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 08, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 30, 2022
Asvina 08, Friday, Saka 1944- September 30, 2022

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2022

संख्या प.2(26)विधि/2/2022.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 11)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 16 में,-

(i) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ख) एवं इसके स्पष्टीकरण के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(खक) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को धारा 38 के अधीन संसूचित उक्त प्रदाय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित न कर दिये जायें;" और

(ख) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 43क" को हटाया जायेगा; और

(ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) में,-

(i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन क्रमवर्ती कर कालावधियों तक विवरणी" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "किसी वित्तीय वर्ष के लिए, विवरणी के दिये जाने की नियत तारीख से तीन मास के पश्चात् तक उक्त विवरणी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "लगातार छह मास की कालावधि तक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी निरंतर कर कालावधि, जो विहित की जाये, तक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात् एवं विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप में" से पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए और" अंतःस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "उक्त प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा;

(घ) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ङ) तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और भी कि" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी;

(iii) उप-धारा (3) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बिना मिलान के रह गये हैं" को हटाया जायेगा; और

(ख) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिये धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और (iv) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे किसी कर कालावधि के लिए देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये हैं।"

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"38. आवक प्रदाय और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना.- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये गये जावक प्रदायों और ऐसे अन्य प्रदायों, जो विहित किये जायें, के ब्यौरे और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए स्वतःजनित विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, ऐसे प्रदायों के प्राप्तिकर्ताओं को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध करवाया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध हो सके; और

(ख) प्रदायों के ब्यौरे, जिनके संबंध में धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन दिये जाने वाले उक्त प्रदायों के ब्यौरों के मद्धे, प्राप्तिकर्ता द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सके,-

- (i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर जो विहित की जाये; या
- (ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी कालावधि के लिए, जो विहित की जाये, जारी रहा है; या
- (iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा संदेय आउटपुट कर ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उक्त उप-धारा के अधीन उसके द्वारा दिये गये जावक प्रदाय के विवरण के अनुसार, उक्त कालावधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या

- (iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी कालावधि के दौरान, जो विहित की जाये, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग किया है, जो उस प्रत्यय से जिसका उसके द्वारा खण्ड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, से ऐसी सीमा, जो विहित की जाये, से अधिक है; या
- (v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, धारा 49 की उप-धारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या
- (vi) व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग द्वारा, जो विहित किया जाये।"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

- (i) उप-धारा (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस दिवसों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह दिवसों" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) उप-धारा (7) में विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवरणी देता है,-

- (i) माल या सेवाओं या दोनों के आवक और जावक प्रदायों, उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के समतुल्य रकम; या
- (ii) खण्ड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अवधारित रकम, का सरकार को ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किये जायें, संदाय करेगा:";
- (iii) उप-धारा (9) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, यदि" के स्थान पर शब्द "जहां" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास के लिए, या दूसरी तिमाही के लिए, विवरणी देने की नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "विवरणी नहीं दी गयी है।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे नहीं दिये गये हैं:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर कालावधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर कालावधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदाय के ब्यौरे नहीं दिये हों।"

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 41 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"41. इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, अपनी विवरणी में स्वतःनिर्धारित पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जायेगी।

(2) माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदाय के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन उपभोग किये गये इनपुट कर का प्रत्यय, जिस पर संदेय कर, प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लागू ब्याज के साथ लौटाया जायेगा:

परन्तु जहां ऐसा प्रदायकर्ता पूर्वोक्त प्रदाय के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा लौटायी गई प्रत्यय की रकम का ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, पुनः उपभोग कर सकेगा।"

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 42, 43 और 43क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 42, 43 और 43क को हटाया जायेगा।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 47 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "या आवक" को हटाया जायेगा;
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 38" को हटाया जायेगा; और
- (iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात् तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन के ब्यौरे नियत तारीख तक" से पूर्व अभिव्यक्ति "या धारा 52" अंतःस्थापित की जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 48 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 38 के अधीन आवक प्रदायों के ब्यौरे" हटायी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 49 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

- (i) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या धारा 43क" को हटाया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसी शर्तों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के अधीन रहते हुए" के पूर्व अभिव्यक्ति "और निर्बंधनों" अंतःस्थापित की जायेगी; और
- (iii) विद्यमान उप-धारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन, आउटपुट कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से निर्वहन किया जा सके।"

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 50 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 50 में विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का गलत रूप से उपभोग और उपयोग कर लिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, गलत रूप से उपभोग और उपयोग किये गये ऐसे इनपुट कर प्रत्यय पर, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा, यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर जो अधिसूचित की जाये पर ब्याज का संदाय करेगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, की जायेगी।"

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 की उप-धारा (6) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस नवंबर" प्रतिस्थापित की जाएगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "छह मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो वर्ष" प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iii) उप-धारा (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-धारा (3) के अधीन" हटायी जाएगी; और

(iv) उप-धारा (14) के पश्चात् के स्पष्टीकरण के खण्ड (2) में विद्यमान उपखण्ड (ख) के पश्चात् तथा विद्यमान उपखण्ड (ग) के पूर्व, निम्नलिखित नया उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों के प्रदाय की दशा में, जहां, उन्हें ऐसे प्रदाय या यथास्थिति, ऐसे प्रदायों में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख;"।

16. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.-

(1) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-

IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018 संशोधित हो जायेगी और प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट उस अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 146 के अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से, समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

17. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 दिनांक 29 जून, 2017 संशोधित हो जायेगी और द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को और से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित समझी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जायेगा मानो कि राज्य सरकार को राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 की उप-धाराओं (1) और (3), धारा 54 की उप-धारा (12) और धारा 56 के अधीन, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से समस्त तात्विक समयों पर संशोधित करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी प्रभाव से छूट.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर और 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित) को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान, मत्स्य तेल को छोड़कर, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाले) के उत्पादन के दौरान उत्पन्न अनाशयित अपशिष्ट के प्रदाय के संबंध में, कोई राज्य कर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु, यदि उप-धारा (1) समस्त तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

19. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, राजस्थान माल

और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-72 दिनांक 30 सितंबर, 2019 समस्त प्रयोजनों के लिए 1 जुलाई, 2017 को और से तथा सदैव से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(2) ऐसे समस्त राज्य कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिनका संग्रहण कर लिया गया है, किन्तु यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना समस्त तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती तो उनका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता।

प्रथम अनुसूची

[धारा 16 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक 23 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना और परिनिर्धारण और अधिसूचना संख्या एफ.12(46)वित्त/कर/ 2017-पार्ट-V-104 तारीख 20 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन उपबंधित समस्त कृत्य।"	22 जून, 2017

द्वितीय अनुसूची
[धारा 17 (1) देखें]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-39 तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तंभ (3) में, अंक "24" के स्थान पर, अंक "18" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।	1 जुलाई, 2017

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, September 30, 2022

No. F. 2(26)Vidhi/2/2022.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2022 (2022 Ka Adhinyam Sankhyank 11):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2022
(Act No. 11 of 2022)**

(Received the assent of the Governor on the 29th day of September, 2022)

*An
Act*

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2022.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to the principal Act,-

(i) in sub-section (2),-

(a) after the existing clause (b) and its Explanation and before the existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ba) the details of input tax credit in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted;" and

(b) in clause (c), the existing expression "or section 43A" shall be deleted; and

(ii) in sub-section (4), for the existing expression "due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September", the expression "thirtieth day of November" shall be substituted.

3. Amendment of section 29, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 29 of the principal Act,-

(i) in clause (b), for the existing expression "returns for three consecutive tax periods", the expression "the return for a financial year beyond three months from the due date of furnishing the said return" shall be substituted; and

(ii) in clause (c), for the existing expression "a continuous period of six months", the expression "such continuous tax period as may be prescribed" shall be substituted.

4. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the existing expression "September", the expression "the thirtieth day of November" shall be substituted.

5. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 37 of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) after the existing expression "shall furnish, electronically," and before the existing expression "in such form", the expression "subject to such conditions and restrictions and" shall be inserted;

(b) for the existing expression "shall be communicated to the recipient of the said supplies with in such time and in such manner as may be prescribed", the expression "shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies" shall be substituted;

(c) the existing first proviso shall be deleted;

(d) in the second proviso, for the existing expression "Provided further that", the expression "Provided that" shall be substituted;

(e) in the third proviso, for existing expression "Provided also that", the expression "Provided further that" shall be substituted;

(ii) the existing sub-section (2) shall be deleted;

(iii) in sub-section (3),-

(a) the existing expression “and which have remained unmatched under section 42 or section 43” shall be deleted; and

(b) in first proviso, for existing expression “furnishing of the return under section 39 for the month of September”, the expression “the thirtieth day of November” shall be substituted; and

(iv) after sub-section (3) so amended, the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(4) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period, if the details of outward supplies for any of the previous tax periods has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies under sub-section (1), even if he has not furnished the details of outward supplies for one or more previous tax periods.”.

6. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 38 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“38. Communication of details of inward supplies and input tax credit.- (1) The details of outward supplies furnished by the registered persons under sub-section (1) of section 37 and of such other supplies as may be prescribed, and an auto-generated statement containing the details of input tax credit shall be made available electronically to the recipients of such supplies in such form and manner, within such time, and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

(2) The auto-generated statement under sub-section (1) shall consist of -

(a) details of inward supplies in respect of which credit of input tax may be available to the recipient; and

(b) details of supplies in respect of which such credit cannot be availed, whether wholly or partly, by the recipient, on account of the details of the said supplies being furnished under sub-section (1) of section 37,-

(i) by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed; or

(ii) by any registered person, who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for such period as may be prescribed; or

(iii) by any registered person, the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said sub-section during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed; or

(iv) by any registered person who, during such period as may be prescribed, has availed credit of input tax of an amount that exceeds the credit that

can be availed by him in accordance with clause (a), by such limit as may be prescribed; or

- (v) by any registered person, who has defaulted in discharging his tax liability in accordance with the provisions of sub-section (12) of section 49 subject to such conditions and restrictions as may be prescribed; or
- (vi) by such other class of persons as may be prescribed.”.

7. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act,-

(i) in sub-section (5), for the existing expression "twenty days", the expression "thirteen days" shall be substituted;

(ii) in sub-section (7), for the existing first proviso, the following shall be substituted, namely:-

“Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed,-

(i) an amount equal to the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month; or

(ii) in lieu of the amount referred to in clause (a), an amount determined in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.”;

(iii) in sub-section (9),-

(a) for the existing expression “Subject to the provisions of sections 37 and 38, if”, the word “Where” shall be substituted;

(b) in proviso, for the existing expression “the due date for furnishing of return for the month of September or second quarter”, the expression “the thirtieth day of November” shall be substituted;

(iv) in sub-section (10), for the existing expression “has not been furnished by him.”, the following shall be substituted, namely:-

“or the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period has not been furnished by him:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return, even if he has not furnished the returns for one or more previous tax periods or has not furnished the details of outward supplies under sub-section (1) of section 37 for the said tax period.”.

8. Amendment of section 41, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 41 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“41. Availment of input tax credit.- (1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to avail the credit of eligible input tax, as self-assessed, in his return and such amount shall be credited to his electronic credit ledger.

(2) The credit of input tax availed by a registered person under sub-section (1) in respect of such supplies of goods or services or both, the tax payable whereon has not been paid by the supplier, shall be reversed along with applicable interest, by the said person in such manner as may be prescribed:

Provided that where the said supplier makes payment of the tax payable in respect of the aforesaid supplies, the said registered person may re-avail the amount of credit reversed by him in such manner as may be prescribed.”.

9. Deletion of sections 42, 43 and 43A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing sections 42, 43 and 43A of the principal Act shall be deleted.

10. Amendment of section 47, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 47 of the principal Act,-

- (i) the existing expression “or inward” shall be deleted;
- (ii) the existing expression “or section 38” shall be deleted; and
- (iii) after the existing expression “section 39 or section 45” and before the existing expression “by the due date”, the expression “or section 52” shall be inserted.

11. Amendment of section 48, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 48 of the principal Act, the existing expression “,the details of inward supplies under section 38” shall be deleted.

12. Amendment of section 49, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 49 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (2), the existing expression "or section 43A" shall be deleted;
- (ii) in sub-section (4), after the existing expression "subject to such conditions" and before the existing expression “and within such time”, the expression "and restrictions" shall be inserted; and
- (iii) after the existing sub-section (11), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(12) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, subject to such conditions and restrictions, specify such maximum proportion of output tax liability under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person or a class of registered persons, as may be prescribed. "

13. Amendment of section 50, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (3) of section 50 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have substituted with effect from the 1st day of July 2017, namely :-

“(3) Where the input tax credit has been wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed and utilized, at such rate not exceeding twenty-four per cent, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, and the interest shall be calculated, in such manner as may be prescribed”.

14. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In proviso to sub-section (6) of section 52 of the principal Act, for the existing expression “due date for furnishing of statement for the month of September”, the expression “thirtieth day of November” shall be substituted.

15. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 54 of the principal Act,-

(i) in proviso to sub-section (1), for the existing expression “the return furnished under section 39 in such”, the expression “such form and” shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression “six months”, the expression “two years” shall be substituted;

(iii) in sub-section (10), the existing expression “under sub-section (3)” shall be deleted; and

(iv) after the existing sub-clause (b) and before the existing sub-clause (c) of clause (2) of Explanation after sub-section (14), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

“(ba) in case of zero rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves, or as the case may be, the inputs or input services used in such supplies, the due date for furnishing of return under section 39 in respect of such supplies;”.

16. Amendment of notification issued under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act read with section 20 of Integrated Goods and Services Tax Act, retrospectively.- (1) The notification of the Government of Rajasthan Department of Finance, No.F.12(46)FD/Tax/2017-Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the First Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under section 146 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

17. Amendment of notification issued under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, retrospectively.- (1) The notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017, issued by the State Government on the recommendations of the Council, under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall stand amended and shall be deemed to have been amended retrospectively, in the manner specified in column (2) of the Second Schedule, on and from the date specified in column (3) of that Schedule.

(2) For the purpose of sub-section (1), the State Government shall have and shall be deemed to have the power to amend the notification referred to in the said sub-section with retrospective effect as if the State Government had the power to amend the said notification under sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, retrospectively, at all material times.

18. Retrospective exemption from, or levy or collection of State Tax in certain cases.- (1) Notwithstanding anything contained in the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No.F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-40 dated the 29th June, 2017 issued by the State Government on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, no State tax shall be levied or collected in respect of supply of unintended waste generated during the production of fish meal (falling under heading 2301), except for fish oil, during the period commencing from the 1st day of July, 2017 and ending with the 30th day of September, 2019 (both days inclusive).

(2) No refund shall be made of all such tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

19. Retrospective effect to notification issued under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the notification of the Government of Rajasthan, Department of Finance, No. F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-IV-72 dated the 30th September, 2019 issued by the State Government, on the recommendations of the Council, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 7 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deemed to have, and always to have, for all purposes, come into force on and from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all such State tax which has been collected, but which would not have been so collected, had the notification referred to in sub-section (1) been in force at all material times.

THE FIRST SCHEDULE

[See section 16 (1)]


Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(46)FD/Tax/2017 -Pt.-IV-163 dated the 23rd January, 2018	In the said notification, in paragraph 1, for the words “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax”, the following shall be substituted, namely:— “furnishing of returns and computation and settlement of integrated tax and save as otherwise provided in the notification number F.12(46)FD/Tax/2017-Pt-V-104, dated the 20th December, 2019, all functions provided under the Rajasthan Goods and Services Tax Rules, 2017.”.	22 nd June, 2017.

THE SECOND SCHEDULE*[See section 17(1)]*

Notification number and date	Amendment	Date of effect of amendment
(1)	(2)	(3)
F.12(56)FD/Tax/2017-Pt-I-39 dated the 29th June, 2017	In the said notification, in the Table, against serial number 2, in column (3), for the figure "24", the figure "18" shall be substituted.	1 st July, 2017.

प्रवीर भटनागर,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1945-अगस्त 08, 2023 Sravana 17, Tuesday, Saka 1945- August 08, 2023	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 7, 2023

संख्या प.2(34)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में,-

(क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2क) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,-

- (i) द्वितीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उसके द्वारा संदत्त किया जायेगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) तृतीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "के मद्दे रकम का उसके द्वारा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किये गये संदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता को" अंतःस्थापित की जायेगी;

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

- (क) उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सिवाय,-

- (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य; और
- (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किया जाए,

अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" और

- (ख) विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (छ) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में,-

"(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "रद्दकरण आदेश की तारीख की तारीख से तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जैसाकि विहित किया जाये, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् कर कालावधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, उप-धारा (1) के अधीन किसी कर कालावधि के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए, उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में विद्यमान उप-धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् किसी कर कालावधि के लिए कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी कर कालावधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, उप-धारा (1) के अधीन कोई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान उप-धारा (14) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“(15) किसी प्रचालक को, उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के किसी वर्ग को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।”।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," हटायी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 56 में विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक साठ दिवस से अधिक के विलंब की कालावधि के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जो विहित की जाये, संगणित किये जाने वाले ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस दिवस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त विलंब फीस के संदाय पर और साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उसे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर-भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश प्रतिसंहत किया गया समझा जायेगा, किन्तु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज संदत्त करने का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस संदत्त करने का दायित्व जारी रहेगा।”।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 109 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस

अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।”।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 110 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 110 हटायी जायेगी।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 114 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 114 हटायी जायेगी।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 117 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (5) में, खण्ड (क) और (ख) की विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 118 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 119 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 119 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की विद्यमान उप-धारा (1क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) इसके माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रदाय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसा अन्तरराज्यिक प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक प्रदाय अनुज्ञात करता है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से किये गये माल के किसी जावक प्रदाय के सम्बन्ध में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन दिये जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो दस हजार रुपए, या यदि ऐसा प्रदाय धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति, जो भी अधिक हो, का संदाय करने का दायी होगा।”।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 132 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,-

- (क) विद्यमान खण्ड (छ), (ज), और (ट) हटाये जायेंगे;
- (ख) खण्ड (ठ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (क) से (ट)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ) प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे किसी अन्य अपराध" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (घ) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या खण्ड (छ) या खण्ड (ज)" हटायी जायेगी।

22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 138 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 138 में,-

(क) उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:
"(क) कोई व्यक्ति जिसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;";

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) हटाया जायेगा;

(iii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध को कारित करने का अभियुक्त रहा है;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (ङ) हटाया जायेगा; और

(ख) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम रकम दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यूनतम रकम अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होने और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने," प्रतिस्थापित की जायेगी।

23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 158क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 158 के पश्चात् और विद्यमान धारा 159 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना की सहमति आधारित साझेदारी.- (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निम्नलिखित ब्यौरों को, उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गयी विवरणी में, दी गयी विशिष्टियां;
- (ख) बीजक के तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन दिये गये जावक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां; और
- (ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जाएं।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे साझा करने के प्रयोजनों के लिए.-
- (क) उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन दिये गये ब्यौरों के संबंध में प्रदायकर्ता की सहमति; और
- (ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन दिये गये ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति, केवल वहां जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी सूचना है,

ऐसे प्ररूप में और रीति से अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गयी सूचना के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा सुसंगत प्रदाय पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदत्त करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।।

24. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.9) की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट.- (1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के विद्यमान पैरा 7 और 8 और उसके विद्यमान स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते यदि उप-धारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

जान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, August 7, 2023

No. F. 2(34)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2023 (2023 Ka Adhinyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023
(Act No. 13 of 2023)**

(Received the assent of the Governor on the 4th day of August, 2023)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in clause (d) of sub-section (2), the existing expression “goods or” shall be deleted; and

(b) in clause (c) of sub-section (2A), the existing expression “goods or” shall be deleted.

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,-

(i) in the second proviso, for the existing expression “added to his output tax liability, along with interest thereon”, the expression “paid by him along with interest payable under section 50” shall be substituted; and

(ii) in the third proviso, after the existing expression “made by him” and before the existing expression “of the amount”, the expression “to the supplier” shall be inserted.

4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 17 of the principal Act,-

(a) in the Explanation of sub-section (3), for the existing expression “except those specified in paragraph 5 of the said Schedule”, the following shall be substituted, namely:-

“except,-

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.”; and

(b) after the existing clause (f) and before the existing clause (g) of sub-section (5), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);”.

5. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

“(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.”.

6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-

(a) for the existing expression “the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:”, the expression “such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.” shall be substituted; and

(b) the existing proviso shall be deleted.

7. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 37 of the principal Act, after the existing sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely:-

“(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.”.

8. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act, after the existing sub-section (10), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.”.

9. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 44 of the principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

“(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.”.

10. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act, after the existing sub-section (14) and before the existing Explanation, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.”.

11. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 54 of the principal Act, the existing expression “excluding the amount of input tax credit provisionally accepted,” shall be deleted.

12. Amendment of section 56 , Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 56 of the principal Act, for the existing expression “from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax”, the expression “for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed” shall be substituted.

13. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 62 of the principal Act,-

(a) for the existing expression “thirty days”, the expression “sixty days” shall be substituted; and

- (b) for the existing punctuation mark “.” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.”.

14. Substitution of section 109, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 109 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“**109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.-** Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.”.

15. Deletion of section 110, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 110 of the principal Act shall be deleted.

16. Deletion of section 114, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 114 of the principal Act shall be deleted.

17. Amendment of section 117, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 117 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1), for the existing expression “State Bench or Area Benches”, the expression “State Benches” shall be substituted; and
- (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the existing expression “State Bench or Area Benches”, the expression “State Benches” shall be substituted.

18. Amendment of section 118, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (a) of sub-section (1) of section 118 of the principal Act, for the existing expression “National Bench or Regional Benches”, the expression “Principal Bench” shall be substituted.

19. Amendment of section 119, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 119 of the principal Act,-

- (a) for the existing expression “National or Regional Benches”, the expression “Principal Bench” shall be substituted; and
- (b) for the existing expression “State Bench or Area Benches”, the expression “State Benches” shall be substituted.

20. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1A) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1B) Any electronic commerce operator who-

- (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

- (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
- (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.”.

21. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,-

- (a) the existing clauses (g), (j) and (k) shall be deleted;
- (b) in clause (l), for the existing expression “clauses (a) to (k)”, the expression “clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)” shall be substituted;
- (c) in clause (iii), for the existing expression “any other offence”, the expression “an offence specified in clause (b),” shall be substituted; and
- (d) in clause (iv), the existing expression “or clause (g) or clause (j)” shall be deleted.

22. Amendment of section 138, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 138 of the principal Act,-

- (a) in the first proviso to sub-section (1),-
 - (i) for the existing clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;”;
 - (ii) the existing clause (b) shall be deleted;
 - (iii) for the existing clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;”;

 and
 - (iv) the existing clause (e) shall be deleted; and
- (b) in sub-section (2), for the existing expression “ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher”, the expression “twenty five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved” shall be substituted.

23. Insertion of new section 158A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 158 and before the existing section 159 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.- (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the

common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:-

- (a) the particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68; and
- (c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of-

- (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
- (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.


(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.”.

24. Retrospective exemption to certain activities and transaction in Schedule III to the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017).- (1) The existing paragraphs 7 and 8 and the existing Explanation 2 in Schedule III to the principal Act, shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 10, मंगलवार, शाके 1945-जनवरी 30, 2024 Magha 10 Tuesday, Saka 1945- January 30, 2024	

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2024

संख्या प.2(4)विधि/2/2024.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

(2024 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 जनवरी, 2024 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह 1 अक्टूबर, 2023 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(क) विद्यमान खण्ड (80) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (81) से पूर्व, निम्नलिखित नये खण्ड अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(80क) “ऑनलाइन गेम खेलना” से इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसमें ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी सम्मिलित है;

“(80ख) “ऑनलाइन धनीय गेम खेलना” से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी सम्मिलित है, धन या धन के मूल्य, जिसमें आभासी

डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसमें आभासी डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, चाहे इसका परिणाम या प्रदर्शन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो या नहीं;”;

(ख) विद्यमान खण्ड (102) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (103) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(102क) “विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावा” से-

- (i) दांव;
- (ii) कैसीनो;
- (iii) जूआ;
- (iv) घुड़दौड़;
- (v) लाटरी; या
- (vi) ऑनलाईन धनीय गेम खेलना;

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;”;

(ग) विद्यमान खण्ड (105) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “;” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (105) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के प्रदाय की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो ऐसे प्रदाय के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, उसे ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदायकर्ता समझा जायेगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे उसके द्वारा या उसके माध्यम से प्रदाय किये जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों के प्रदाय के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी सम्मिलित हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या अंतरित किये जाते हैं या किसी भी रीति से उसको दिये जाते हैं, और इस अधिनियम के समस्त उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे प्रदायकर्ता को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों का प्रदाय करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी प्रदायकर्ता हो;” और

(घ) विद्यमान खण्ड (117) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (118) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(117क) “आभासी डिजिटल आस्ति” का वही अर्थ होगा, जो उसे आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 43) की धारा 2 के खण्ड (47क) में समनुदेशित किया गया है;”।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) खण्ड (xi) के अंग्रेजी पाठ के अंत में आये विद्यमान शब्द "and" को हटाया जायेगा; और

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने का प्रदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और”।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की अनुसूची 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के, पैरा 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "लाटरी, दांव और जुआं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. संक्रमणकालीन उपबंध.- इस अधिनियम के अधीन किये गये संशोधन दांव, कैसीनो, जूआ खेलने, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, January 30, 2024

No. F. 2(4)Vidhi/2/2024.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (2024 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2024
(Act No. 1 of 2024)**

(Received the assent of the Governor on the 29th day of January, 2024)

An

Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 1st October, 2023.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 2 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) after the existing clause (80) and before the existing clause (81), the following new clauses shall be inserted, namely:-

“(80A) “online gaming” means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) “online money gaming” means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;”;

(b) after the existing clause (102) and before the existing clause (103), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(102A) “specified actionable claim” means the actionable claim involved in or by way of-

- (i) betting;
- (ii) casinos;
- (iii) gambling;
- (iv) horse racing;
- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;”;

- (c) in clause (105), for the existing punctuation mark “;” appearing at the end, the punctuation mark “:” shall be substituted and after clause (105) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;” and

- (d) after the existing clause (117) and before the existing clause (118), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(117A) “virtual digital asset” shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (Central Act No. 43 of 1961);”.

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 24 of the principal Act,-

- (a) in English version of clause (xi), the existing word “and” appearing at the end, shall be deleted; and
- (b) after clause (xi) and before the existing clause (xii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and”.

4. Amendment of Schedule III, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In Schedule III of the principal Act, in paragraph 6, for the existing expression “lottery, betting and gambling”, the expression “specified actionable claims” shall be substituted.

5. Transitory provision.- The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for

prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Ordinance No. 1 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।